[2021] 12 एस. सी. आर. 1071

वाइन डूआ

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 का सं. 154)

3 जून, 2021

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला. 32 - - तथ्यों पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर.-प्रसिद्ध पत्रकार यू/एस. के तहत एफ. आई. आर. को रद्द करना। 124 - ए, 505,501,268 कोविड महामारी से निपटने के बारे में सोशल मीडिया पर अपने टॉक शो में उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों के लिए; और यह कि प्रधानमंत्री ने वोट हासिल करने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल किया है-अधिनियम सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा भड़काने का है

मंत्री, और जनता में दहशत पैदा करना और झूठी जानकारी फैलाने की कोशिश करके सार्वजनिक शांति को बिगाड़ना-याचिका यू/आर्ट। 32 याचिकाकर्ता द्वारा प्राथमिकी रद्द करने और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश मांगने के लिए आयोजितः एफ. आई. आर. में उल्लिखित सभी अपराध नहीं किए गए हैं-नागरिक को सरकार और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से नहीं उकसाता है। 124 ए और 505 केवल तभी काम में आते हैं जब शब्दों या अभिव्यक्तियों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता है-बयानों को सबसे अच्छा अभिव्यक्ति कहा जा सकता है

सरकार और उसके अधिकारियों के कार्यों की अस्वीकृति

इन्हें लोगों को भड़काने या दिखाने के इरादे से नहीं बनाया गया था।

हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में खलल डालने की प्रवृत्ति-याचिकाकर्ता के लिए जिम्मेदार बयान कि प्रधानमंत्री ने वोट हासिल करने के लिए मौतों और आतंकवादी हमले का इस्तेमाल किया जो टॉक शो में नहीं किए गए इस प्रकार, अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया

दंडनीय यू/एस. एस. 124 ए और 505 (1) (बी) अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अपने अधिकारों का अन्यायपूर्ण और उल्लंघन है। 19 (1) (क)-इसके अलावा, अपराध यू/एस. एस. 501

और 268 नहीं बनाए गए, साथ ही दंडनीय अपराध भी। 52 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 और। 188 आई. पी. सी.-जहां तक संबंध है, प्रार्थना है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जाए।

कम से कम 10 साल की स्थिति के साथ मीडिया जब तक कि समिति के सुझाव के अनुसार, समिति का गठन बाहर है

वैधानिक ढांचे का दायरा, और इसमें दी गई कोई भी राहत

इसकी शर्तें विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण के बराबर होंगी-इस प्रकार, एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया, हालांकि, समिति के गठन के लिए अनुरोध को खारिज कर दिया गया-शक्तियों का पृथक्करण।

दंड संहिता, 1860 एस. एस. 124 - ए, 505,501,268।

दंड संहिता, 1860: एस. 124 ए-राजद्रोह-एस की प्रयोज्यता।

124 ए, कब-केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले के संदर्भ में समझाया गया।

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी गई है; लेकिन यह प्रार्थना कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए

कम से कम 10 साल की स्थिति वाले मीडिया को तब तक खारिज कर दिया जाता है जब तक कि समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार मंजूरी नहीं दी जाती है। [पैरा 68] [1177-सी-डी]

1.2 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी पहले उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश देने की प्रथा इस न्यायालय द्वारा स्वयं थोपा गया अनुशासन है; लेकिन स्वतंत्रता से वंचित होने के स्पष्ट मामलों में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार किया है। इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक है, याचिकाकर्ता द्वारा की गई दूसरी प्रार्थना पर प्रभावी रूप से केवल एक रिट याचिका में विचार किया जा सकता है। से गुज़रते हुए दूसरी प्रार्थना की प्रकृति, याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए खारिज करना, हो सकता है कि

उचित है। बल्कि, इस मुद्दे को आदर्श रूप से हल किया जाना चाहिए

यह न्यायालय। नतीजतन, द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति

उत्तरदाताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। [पारस 24-25] [1106-G-H;

1107 - डी-एफ]

रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य [1950] एस. सी. आर. 594; जागीशा अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

एक अन्य (2019) 6 एस. सी. सी. 619; प्रिया प्रकाश वारियर और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और एक अन्य (2019) 12 एस. सी. सी. 432: [2018] 10 एस. सी. आर. 615; अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य (2021) 1 एस. सी. सी. 1: 2020 (12) जेटी 300 - संदर्भित किया गया।

1.3 तथ्यों पर, यह स्थापित किया गया है कि याचिकाकर्ता के बयानों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. का उपयोग किया था।

भारत और ओआरएस का संघ।

अनुवादित संस्करण किसी भी तरह से गलत था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारत द्वारा बालाकोट पर हवाई हमले और बालाकोट पर हमले पठानकोट और पुलवामा को राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप में इस्तेमाल किया गया था

वोट दिए लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया जैसा कि एफ. आई. आर. में कहा गया था। यह सच है कि टॉक शो के कुछ हिस्सों में दावा किया गया है कि पर्याप्त परीक्षण नहीं किए गए थे। सुविधाएं; कि देश में उपलब्ध तीन प्लाई के पी. पी. ई. किट/सूट, एन 95 मास्क और मास्क की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी; कि श्वसन उपकरणों और सैनिटाइज़र को देश में उपयोग के लिए रखने के बजाय 24 मार्च (2020) तक निर्यात किया जा रहा था; कि सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई; और कि प्रवासी श्रमिक एक बड़ी समस्या थी। यह भी कहा गया कि आपूर्ति श्रृंखलाओं के बंद होने से कुछ लोगों को खाद्य दंगों का डर था, जो देश में नहीं हुआ था। [पैरा 27] [1108-सी-जी]

1.4 एफ. आई. आर. में दिए गए दो गलत बयानों को दरकिनार करते हुए, टॉक शो के निम्नलिखित दावों पर भरोसा किया जाता है कि कथित अपराध बनाए गए हैं: (i) टॉक शो में बयान यह है कि यह आम जानकारी है कि दुनिया भर के देशों ने खुद को पाया

कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता है। इस देश की आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए, महामारी के प्रसार और प्रभाव को मापने और

जांचने के लिए परीक्षण सुविधाएं, कम से कम उछाल के शुरुआती चरणों में, बिल्कुल पर्याप्त नहीं थीं। यदि उस प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने परीक्षण सुविधाओं या पी. पी. ई. सूट, एन-95 मास्क और 3 प्लाई के मास्क के बारे में कोई टिप्पणी की है, तो पहले दो बयानों में वे टिप्पणियां, स्थिति के मूल्यांकन के अलावा और कुछ नहीं हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं था कि

उत्तरदाताओं ने कहा कि ये दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से गलत थे। (ii) उत्तरदाताओं का निवेदन था कि वेंटीलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात पर प्रतिबंध 19.03.2020 [2021] 12 एस. सी. आर. पर लगाया गया था।

और इसलिए उक्त कथन बिल्कुल सही नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने 19.03.2020 पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले वास्तविक निर्यात का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया और कहा कि प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद कोई निर्यात नहीं हुआ।

(iii) राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का प्रभाव जो 24.03.2020 और 25.03.2020 के बीच की आधी रात से लागू हुआ,

याचिकाकर्ता के अनुसार, सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। यह उत्तरदाताओं का निवेदन था कि 28.03.2020 (जिसे आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत एक आदेश कहा गया था) पर जारी समेकित दिशानिर्देशों द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। यह कहा जाना चाहिए कि चौथे कथन ने स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन

माल की अनुमति दी जा रही थी और उस अर्थ में, यह उस समय की स्थिति का कमोबेश सही चित्रण था।

((iv) यह प्रस्तुत किया गया था कि खाद्य दंगों के संबंध में बयानों ने न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दी है, बल्कि आम जनता को उकसाने के बराबर है और यह इस तरह के गलत कारणों से था। जानकारी के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद के साक्षात्कार पर भरोसा रखा गया था जो 28.03.2020 पर रिपोर्ट किया गया था कि यदि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिकों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था, तो खाद्य दंगे एक वास्तविक संभावना हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक टॉक शो अपलोड किया गया था, तब तक प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी और चरम पर थी। [पारस 38 और 39] [1144-एफ-जी; 1145-एफ-एच; 1146-ए-एफ]

1.5 इसलिए 30.03.2020 पर जो प्रचलित था वह स्पष्ट था और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपनी ओर बढ़ रहे थे।

गृहनगर/गाँव। इन परिस्थितियों में, स्वाभाविक रूप से रास्ते में उन्हें प्रदान किए जाने वाले आश्रय और भोजन के बारे में कुछ आशंका होगी। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से एक संभावना व्यक्त की थी। यदि याचिकाकर्ता ने 30.03.2020 पर अपलोड किए गए अपने टॉक शो में, यानी इस अदालत द्वारा मामला उठाए जाने से पहले ही, अपने बयानों में कुछ दावे किए हैं, तो उन्हें यह कहने का अधिकार होगा कि एक पत्रकार के रूप में वह बहुत चिंता के मुद्दों को छू रहे थे ताकि प्रचलित VINOD DUA v पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

भारत और ओआरएस का संघ।

गलत जानकारी या अफवाहें। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि प्रवासी श्रमिक अपनी ओर बढ़ने लगे विशुद्ध रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप गृहनगर/गाँव। प्रवासी श्रमिकों की इस तरह की आवाजाही बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। इन परिस्थितियों में, इन बयानों को न तो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृहनगर या गाँवों की ओर बढ़ने के लिए उकसाने के प्रयास के रूप में लिया जा सकता है और न ही इसे किसी भी खाद्य दंगे के लिए उकसाने के रूप में लिया जा सकता है। आई. डी. 1 के आसपास स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक थी और एक पत्रकार के रूप में यदि याचिकाकर्ता ने कुछ चिंता दिखाई, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने आरोप के अनुसार अपराध किए हैं। [पैरा 42] [1149-ए-ई]

1.6 एक नागरिक को सरकार और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है।

जब तक वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है; और यह केवल तभी है जब शब्दों या अभिव्यक्तियों में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा हो कि आई. पी. सी. की धारा 124ए और 505 में हस्तक्षेप करना चाहिए। याचिकाकर्ता के बयान, यदि केदार नाथ में निर्णय से उत्पन्न सिद्धांतों के आलोक में पढ़े जाते हैं सिंह के मामले को और उन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में जब वे बनाए गए थे, सबसे अच्छा अभिव्यक्ति के रूप में कहा जा सकता है

सरकार और उसके अधिकारियों के कार्यों की अस्वीकृति

ताकि मौजूदा स्थिति से जल्दी और कुशलता से निपटा जा सके। वे निश्चित रूप से लोगों को उकसाने के इरादे से नहीं बनाए गए थे या हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई गई थी। याचिकाकर्ता केदार में इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर था।

नाथ सिंह का मामला। ऐसा हो सकता है कि प्रतिबंध लागू होने की तारीख के बारे में कुछ तथ्यात्मक विवरण पूरी तरह से नहीं थे

सही है। हालांकि, पूरे टॉक शो के उतार-चढ़ाव और सभी बयानों को एक साथ रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने केदार नाथ सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले में निर्धारित सीमाओं को पार कर लिया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर आई. पी. सी. की धारा 124 ए और 505 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाना अन्यायपूर्ण होगा। एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए उन अपराधों को [2021] 12 एस. सी. आर. में नहीं बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके संबंध में सभी और कोई भी अभियोजन उल्लंघनकारी होगा

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के अधिकार। [पैरा 43,44] [1149-ई-एच; 1150-ए-डी]

* केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) पूरक। 2

इसके बाद एस. सी. आर. 769 आया।

1.7 एफ. आई. आर. में निर्दिष्ट अन्य उल्लंघनकारी प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 501 है जो किसी मामले को छापना या उत्कीर्ण करना है जो है -

(आई. पी. सी. की धारा 501 उक्त अध्याय का हिस्सा है) न्यायालय द्वारा केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही लिया जा सकता है। इस तरह की तकनीकी बातों में गए बिना, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बयानों को दूसरे और तीसरे द्वारा कवर किया जाएगा। आई. पी. सी. की धारा 499 के अपवाद। इस प्रकार, जहां तक आई. पी. सी. की धारा 501 का संबंध है, तत्काल कार्यवाही भी होनी चाहिए।

निरस्त कर दिया। [पैरा 45] [1150-डी-जी]

जवाहरलाल दर्डा और अन्य बनाम मनोहरराव

गणपतराव कापसीकर और एक अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 112; राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे और अन्य बनाम उत्तम और एक अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 134: [1999] 1 एससीआर 580; विवेक गोयनका और अन्य बनाम वाई. आर. पाटिल (2000) 9 एस. सी. सी. 87; एस. खुशबू

बनाम कन्नियामल और एक अन्य (2010) 5 एस. सी. सी. 600: [2010] 5 एस. सी. आर. 322- निर्भर।

1.8 एफ. आई. आर. में निर्दिष्ट अन्य प्रावधान एस था। 268 आई. पी. सी. जो "सार्वजनिक उपद्रव" की परिभाषा के अलावा और कुछ नहीं है और

यह अपने आप में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो किसी भी सजा को निर्धारित करता है। यह भी प्रतिवादी का मामला नहीं था कि "सार्वजनिक उपद्रव" के तत्व से जुड़े किसी भी दंडात्मक प्रावधान में आकर्षित किया गया था

तत्काल मामला। इस प्रकार, एफ. आई. आर. में उल्लिखित सभी अपराधों को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। [पारस 46,47] [1150-जी; 1151-ए-बी] 1.9 एफ. आई. आर. में जिन अपराधों का उल्लेख नहीं किया गया था, उनके संबंध में प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एफ. आई. आर. में विशेष रूप से निर्धारित अपराधों के अलावा, याचिकाकर्ता आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 और 54 और आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराधों का भी दोषी होगा।

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

याचिकाकर्ता द्वारा, क्योंकि प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए इनमें से कोई भी अपराध तत्काल मामले में आकर्षित नहीं होता है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान केदार नाथ सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थे और यह कि बयान सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए लोगों को उकसाने के इरादे के बिना थे। यह भी सुझाव नहीं दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप देश के किसी भी हिस्से में दहशत की स्थिति पैदा हुई थी। परिस्थितियों में, तकनीकीताओं में जाने के बिना क्या की शुरुआत कार्यवाही केवल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 या संहिता की धारा 195 के अनुरूप दायर की गई शिकायत के माध्यम से हो सकती है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या आई. पी. सी. की धारा 188 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हैं। [पारस 48,51,52] [1151-बी-डी; 1152-सी-डी; 1153-ए-सी]

* केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) पूरक। 2

इसके बाद एस. सी. आर. 769 आया। -

ललिता कुमारी के मामले में संविधान पीठ, लेकिन जैकब मैथ्यू के मामले में जारी किए गए वे दिशानिर्देश मापदंड पर खड़े हैं जो हैं भारत संघ बनाम भारत राज्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के बाद के फैसलों से पूरी तरह से अलग।

महाराष्ट्र और अन्य और मानव अधिकार के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच और एक अन्य बनाम भारत संघ, कानून और न्याय मंत्रालय [2021] 12 एस. सी. आर.

और अन्य। दूसरी प्रार्थना के संदर्भ में दी गई कोई भी राहत निश्चित रूप से विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण के बराबर होगी। इसलिए, प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है और रिट याचिका को उस हद तक खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह के मामले के संदर्भ में सुरक्षा का हकदार होगा, क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 124 ए और 505 के तहत प्रत्येक अभियोजन दायरे के सख्त अनुरूप होना चाहिए। और उक्त धाराओं का दायरा जैसा कि केदार नाथ सिंह के मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप बताया गया है। [पारस 66,67] [1176-एफ-एच; 1177-ए-सी]

जैकब मैथ्यू का मामला v. पंजाब राज्य और एक अन्य (2005) 6 एस. सी. सी. 1: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 307; ललिता कुमारी का मामला बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और

अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713; अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (2020) 14 एस. सी. सी. 12: [2020] (8) एस. सी. आर. 222; अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (2020) 14 एस. सी. सी. 51; एच. पी. राज्य। बनाम। पिरथी चंद और एक अन्य (1996) 2 एस. सी. सी. 37: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 29; यूपी राज्य बनाम ओ. पी. शर्मा (1996) 7 एस. सी. सी. 705: [1996] 2 एस. सी. आर. 236; विजय शेखर और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

(2004) 4 एस. सी. सी. 666; रिनी जौहर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 11 एस. सी. सी. 703: [2016] 5 एस. सी. आर. 579; मोनिका कुमार और एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ

उत्तर प्रदेश और अन्य (2017) 16 एससीसी 169: [2017] 8 एस. सी. आर. 550; लक्ष्मीबाई चंदरगी बी. और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2021) 3 एस. सी. सी. 360; रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) एस. सी. 620: [1957] एस. सी. आर. 860; दरियाव और अन्य बनाम। यू. पी. राज्य और अन्य [1962] 1 एससीआर 574; भारत संघ बनाम पॉल माणिकम और एक अन्य (2003) 8 एससीसी 342: [2003] 4

पूरक। एस. सी. आर. 618; केदार नाथ सिंह का मामला v. बिहार राज्य बंगोबाशी मामला (महारानी महारानी बनाम. जोगेंद्र चंदर बोस (1892) आई. एल. आर. 19 कैल. 35 ; रानी-महारानी बनाम। बालगंगाधर तिलक (1898) आई. एल. आर. 22 बम। 112 ; बालगंगाधर तिलक बनाम क्वीन एक्सप्रेस, (1897) एल. आर.

25 आई. ए. आई. ; निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम। राजा द.

सम्राट (1942) एफ. सी. आर. 38; राजा सम्राट बनाम, सदाशिव

नारायण भालेराव 74 आई. ए. 89; इंडियन एक्सप्रेस वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

समाचार पत्र (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। बनाम यूनियन ऑफ भारत और अन्य (1985) 1 एससीसी 641: [1985] 2 एससीआर 287;

एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य। 1989 (2) एससीसी

लोहिया एयर 1960 एससी 633: [1960] एस. सी. आर. 821; राज्य हरियाणा और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य (1992)

पूरक 1 एस. सी. सी. 335: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; मंझर

सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा (2007) 5 एससीसी 1: [2007] 4 एससीआर 907; पेट्रीसिया मुखिम

बनाम मेघालय राज्य और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन

एससी 258; दौलत राम बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1962 एससी

1206 : [1962] पूरक। एस. सी. आर. 812; सी. मुनियप्पन और

अन्य वी। तमिलनाडु राज्य (2010) 9 एससीसी 567: [2010]

10 एससीआर 262; पी. सिराजुद्दीन आदि बनाम मद्रास राज्य,

(1970) 1 एस. सी. सी. 595: [1970] 3 एस. सी. आर. 931; संघ

भारत बनाम. महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2020) 4 एससीसी

761 : [2019] 12 एस. सी. आर. 1125; सामाजिक कार्रवाई मंच

मानव अधिकार और एक अन्य वी। भारत संघ, मंत्रालय कानून और न्याय और अन्य (2018) 10 एस. सी. सी.

443 : [2018] 12 एस. सी. आर. 19; राजेश शर्मा और अन्य बनाम।

472 : [2017] 9 एस. सी. आर. 529; डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन का वी. महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2018)

6 एससीसी 454: [2018] 4 एस. सी. आर. 877-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 2 पूरक। एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2013] 14 एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2020) 14 एससीसी 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

(2021) 1 एससीसी 1

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 29

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 एससीआर 236

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

(2004) 4 एस. सी. सी. 666

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2016] 5 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2017] 8 एससीआर 550

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2021] 12

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 10 एससीआर 615

पैरा I

संदर्भित किया गया है

(2021) 3 एससीसी 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[2003] 4 पूरक। एससीआर 618

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1950] एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1962] 1 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(2019) 6 एससीसी 619

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2003] 4 पूरक। एससीआर 618

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(1892) आई. एल. आर. 19 कैल. 35

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(1898) आई. एल. आर. 22 बम। 112

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(1942) एफ. सी. आर. 38

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1985] 2 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1989] 2 एससीआर 204

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1960] एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2007] 4 एससीआर 907

संदर्भित किया गया है

पैरा (

(1962) सप. 2 एससीआर 769

पीछा किया।

पैरा 43,5

(1998) 4 एससीसी 112

उस पर भरोसा करें

पैरा -

[1999] 1 एससीआर 580

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

(2000) 9 एससीसी 87

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2010] 5 एससीआर 322

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1962] पूरक। एससीआर 812

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2010] 10 एससीआर 262

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[1970] 3 एससीआर 931

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2019] 12 एससीआर 1125

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 12 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2017] 9 एससीआर 529

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 4 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पैरा वाइन डूआ बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सीआरएल)

2020 का सं. 154।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वरुण सिंह, नितिन सलूजा, सुश्री दीपिका

कालिया, कपीश सेठ, अक्षय देव, सुश्री दीप्ति आर्य, ऋषभ राणा, मृत्युंजय सिंह, सातविक मिश्रा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी. , एस. वी. राजू, एएसजी। , विकास महाजन, एएजी। ,

महेश जेठमलानी, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. वी. बलराम दास, सुश्री कानू अग्रवाल, विनोद शर्मा, नीरज, सुश्री सिया चौधरी, रवि शर्मा, सत्य रंजन स्वैन, शौमेंदु मुखर्जी, विजय जोशी, हिमांशु

पाठक, सुश्री प्रिया मिश्रा, सुश्री दामिनी गर्ग, सुश्री वंदना दीवान, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका प्रार्थना करती है

निम्नलिखित प्रमुख राहतों के लिए:

" ए। ज़िले के कुमारसैन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई No.0053 दिनांकित 06.05.2020 को रद्द करें

शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बी। निर्देश दें कि अब से व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए

कम से कम 10 वर्ष के साथ मीडिया से संबंधित होना तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, जिसकी संरचना में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित एक न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और राज्य के गृह मंत्री शामिल होने चाहिए।

2. एफ़. आई. आर. No.0053 दिनांक 06.05.2020 के अनुसार दर्ज की गई थी

उत्तरदाता सं. 3 द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से की गई शिकायत:

" 30 मार्च, 2020 को श्री विनोद दुआ ने अपने शो द

आरोप (विशेष क्षणों का विवरण नीचे दिया गया है) वीडियो के 5 मिनट और 9 सेकंड में निम्नलिखित तथ्यों को बताते हुए, उन्होंने

कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल किया है वोट पाने के लिए। वीडियो के 5 मिनट और 45 सेकंड में, वह [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दावा करते हुए कि सरकार के पास पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं और उसने व्यक्तिगत सुरक्षा किट (पी. पी. ई.) की उपलब्धता के बारे में गलत बयान दिए हैं और कहा है कि उन पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र का निर्यात केवल 24 मार्च 2020 को ही रोक दिया गया था। वीडियो लिंक की एक वास्तविक प्रति है: HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूट्यूब। कॉम/वॉच? vvijFD _ tgvv8। कि उक्त आरोप झूठे हैं और दावे विचित्र और निराधार हैं। श्री विनोद दुआ ने यह कहकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण खबर फैलाई है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के कृत्यों के माध्यम से वोट हासिल किए हैं। यह सीधे तौर पर नागरिकों के बीच हिंसा भड़काने के बराबर है और निश्चित रूप से सार्वजनिक शांति को बाधित करेगा। यह उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्य है सरकार और प्रधानमंत्री। वह जनता में दहशत भी पैदा करता है और गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करके सार्वजनिक शांति को बाधित करता है, जैसे कि सरकार के पास पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं जो बिल्कुल गलत है। सरकार के पास महामारी पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं और महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय कर रही है। इस तरह के झूठे बयान देकर श्री विनोद दुआ ने लोगों में भय फैलाया। यह वीडियो केवल जनता के बीच अशांति की स्थिति पैदा करेगा

जिसके परिणामस्वरूप घबराहट होगी और लोग बाहर आने और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने के लिए लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे जो बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री विनोद दुआ ने इन अफवाहों को लॉकडाउन को हराने के इरादे से यह धारणा बनाकर प्रसारित किया है कि संस्थान पूरी तरह से विफल हो गया है और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो इस लॉकडाउन से बचना मुश्किल हो जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की महामारी के दौरान, जो इतनी बड़ी है, नागरिकों की मदद करने और उन्हें घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, शो और मेजबान, श्री विनोद दुआ, केवल अपने शो की टीआरपी बढ़ाने और इसे सफल बनाने में रुचि रखते हैं। अफवाहें थीं यह जनता या जनता के किसी भी वर्ग के लिए भय या भय पैदा करने के इरादे से फैलता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। चूंकि मामला जनता से संबंधित है

स्वास्थ्य, मामले की गंभीरता और गंभीरता को देखते हुए, श्री विनोद दुआ के इस बेईमान और धोखाधड़ी वाले कार्य को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। श्री विनोद दुआ का उपरोक्त कार्य है -

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 124-ए, 268,501 और 505 के तहत दंडनीय अपराध। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, VINOD DUA v.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

यह सार्वजनिक रूप से अशांति पैदा करेगा और सार्वजनिक शांति के खिलाफ जाएगा।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सख्त उचित कानूनी कार्रवाई करें।

श्री विनोद दुआ के खिलाफ और उन्हें तदनुसार दंडित करें।

3. इस प्रकार 06.05.2020 दिनांकित एफ़. आई. आर. में स्पष्ट रूप से दो का उल्लेख किया गया है।

30.03.2020 पर अपलोड किए गए टॉक शो में-एक 5 मिनट 9 सेकंड पर और दूसरा 5 मिनट 45 सेकंड पर और आम तौर पर याचिकाकर्ता द्वारा उक्त टॉक शो में किए गए दावों की दरार से निपटा जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई कार्रवाई प्राथमिकी में संदर्भित दंडात्मक प्रावधानों के तहत घृणित अपराधों के बराबर है। टॉक शो के ट्रांसक्रिप्ट और प्रासंगिक एपिसोड को रिकॉर्ड पर रखा गया है और संबंधित भागों का विवरण है:

" वर्तमान में मैं चल रहे कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूं और

इसके संदर्भ में जो कुछ भी हुआ है-हमारी तैयारी कैसी थी, जब हमें सतर्क किया गया था और जिसके बावजूद हम सो रहे थे। जब मैं डब्ल्यूई का उल्लेख करता हूं तो मैं सरकार का उल्लेख करता हूं। मैं एक छोटा सा विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं, जिस पर पी. चिदंबरम ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में कुछ बातें कही हैं, इनमें से कुछ हमने भी देखी हैं और बाकी सभी को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।

अब, राष्ट्रीय लॉकडाउन, देशबंदी, नोटबंदी, जी. एस. टी. तीन बड़े कार्यक्रम हैं। मीडिया के रूप में हमारा काम, हम झुकते नहीं हैं, हम हैं दरबारी नहीं, हम सरकार से नहीं हैं, हमारा काम अपमान करना नहीं है, हमारा काम आलोचना करना भी नहीं है, हमारा काम सरकार के काम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। हमें सरकार या किसी की शिकायत की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया को यह करना होगा।

इसके अलावा, हमारी सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि हमारे पास परीक्षण करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। निस्संदेह, आई. सी. एम. आर. और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोरोना अभी भी दूसरे चरण में है और इसमें [2021] 12 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब सामुदायिक संचरण होता है तो यह तीसरे चरण में नहीं पहुँचता है। वर्तमान समय में भारत को 7 लाख पी. पी. ई. सूट, 6 लाख एन 95 की आवश्यकता है।

मास्क और तीन प्लाई के 8 करोड़ मास्क। अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि हमारे पास कितने हैं और कितने कब तक उपलब्ध होंगे। अन्य देशों में और भारत में आवश्यक वेंटिलेटर, श्वसन उपकरणों और सैनिटाइज़र का निर्यात किया जा रहा था इन्हें हमारे देश में उपयोग के लिए रखने के बजाय 24 मार्च तक। आपूर्ति

सड़कें अवरुद्ध होने से श्रृंखलाएं बाधित हो गईं और अब सुनने में आ रहा है कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दे दी गई है। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि जब आपूर्ति श्रृंखलाएं बंद हो गई हैं, जब दुकानें बंद हो गई हैं, तो कुछ लोग खाद्य दंगों के डर की हद तक चले गए थे जो हमारे देश में नहीं हुए हैं।

हो सकता है। इसलिए सरकार अब कदम उठा रही है।

जो कम से कम 15 दिन पहले लिया जाना चाहिए था। 11 फरवरी को आई. सी. एम. आर. ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, बाद में राहुल गांधी ने 12 फरवरी और फिर 13 फरवरी को एक पत्र लिखकर ऐसा ही किया।

सरकार सोती रही।

अब प्रवासी मजदूर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने दूर के गाँवों को यहाँ छोड़ देते हैं, जो शहरों की रीढ़ हैं, जो हमारा जीवन चलाने में मदद करते हैं, हमारे चालक, हमारे दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, दर्जी, वे सभी जो करते हैं। छोटी-छोटी नौकरियां और किसी तरह घर वापस पैसे भेजें। बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था पर भी चलते हैं।

जहाँ इसने भारी व्यवधान पैदा किया और जो घर लौटने लगे। जब लोगों ने 10 मार्च को मुंबई से लौटना शुरू किया, तो पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन के प्रभाव के बारे में सरकार के लिए यह एक बड़ा संकेत होना चाहिए था, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया। इसके अलावा, पुलिस को इससे निपटने के बारे में कोई निर्देश नहीं मिला, पुलिस की बर्बरता और अमानवीयता का चेहरा देखा गया और अब भोजन वितरित करते समय पुलिस का चेहरा भी दिखाई दे रहा है और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को शर्मिंदा करने का चेहरा भी। ये कदम पहले भी उठाए जा सकते थे।

क्योंकि बल प्रयोग करना पुलिस का एकमात्र तरीका नहीं है।

4. पंजीकरण ई. एफ. आई. आर. के बाद हुए कुछ तथ्यात्मक विकास को इसके द्वारा पारित 14.06.2020 के आदेश में नोट किया गया था।

टी निम्नानुसार है:

" स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन कुमारसैन, जिला वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम के कार्यालय द्वारा दिनांक 11.06.2020 पर उपस्थिति के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

धारा 160 Cr.P.C के तहत निमला, हिमाचल प्रदेश

प्रभाव को कम करना:

" एक मामला एफ़. आई. आर. No.53/2020 दिनांकित 06.05.2020 यू/एस. 124 ए, 268,

501 , 505 आई. पी. सी. कुमारसैन, जिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। श्री की शिकायत पर शिमला, हिमाचल प्रदेश। अजय श्याम, गांव और पीओ कियारा, तहसील थियोग, जिला। शिमला एच. पी. बनाम (आप) श्री विनोद दुआ पत्रकार, एच. डब्ल्यू. न्यूज नेटवर्क। उपरोक्त मामले में पूछताछ के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

इसलिए आपको पुलिस स्टेशन कुमारसैन में सुबह 10 बजे या उससे पहले जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।

उपरोक्त नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 2.06.2020 पर भेजा गया था जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था:

जीवन को खतरे में डालना। मैं अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न कर रहा हूँ। इसके साथ।

इस बीच, मैं ईमेल या किसी भी माध्यम से जांच में शामिल होऊंगा। अन्य ऑनलाइन तंत्र। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका में नोटिस जारी करते समय, 14.06.2020 दिनांकित आदेश में आगे कहा गया है: -

" श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने

ऊपर उल्लिखित अपराध की जाँच के संबंध में कल से एक दिन पहले याचिकाकर्ता से संपर्क किया।

अभिलेख पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इसे उचित समझते हैं

निम्नानुसार निर्देशित करना:

(क) आगे के आदेशों के लंबित रहने पर, याचिकाकर्ता को वर्तमान अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा;

(ख) तथापि, याचिकाकर्ता दिनांक 12.06.2020 में अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में, पूरा सहयोग देगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड के माध्यम से; और

(ग) हिमाचल प्रदेश पुलिस याचिकाकर्ता से उसके आवास पर पूछताछ सहित जांच करने की हकदार होगी।

उन्हें 24 घंटे की पूर्व सूचना देने और कोविड-19 महामारी के दौरान निर्धारित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के बाद।

राज्य की ओर से जवाब में दायर हलफनामे में जांच के दौरान उठाए गए कदमों का संकेत दिया जाएगा और सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक पूरी स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी। इस न्यायालय द्वारा खुली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू होने या उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से की जाती है।

5. ऊपर उद्धृत ई-प्रार्थनाओं से संबंधित तत्काल रिट याचिका में उठाए गए कुछ आधार हैं:

" ए. क्योंकि वीडियो की सामग्री सरकार के कामकाज के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा शुद्ध और सरल आलोचनात्मक विश्लेषण है और किसी भी तरह से इसे अपराध नहीं कहा जा सकता है।

आई. पी. सी. की धारा 124-ए, 268,501,505 के तहत।

आई. पी. सी. की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह कुछ ऐसे कृत्यों को करना है जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना आदि लाएंगे जो हिंसा को उकसाएंगे या जनता को भड़काएंगे। अव्यवस्था। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि VINOD DUA v।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी किया या

राज्य की कोई अन्य सरकार।

आर. क्योंकि आई. डी. 1 दिनांकित एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करना आंशिक प्रार्थना है, याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से इस माननीय न्यायालय से उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के संबंध में दिशा-निर्देश भी मांग रहा है।

एक विशेष स्थिति के मीडिया से संबंधित व्यक्ति जैसा कि किया गया है जैकब मैथ्यू बनाम में निर्णय के माध्यम से चिकित्सा पेशेवरों का मामला। पंजाब राज्य (2005) 6 एस. सी. सी. 1 पैरा 51,52 की पुष्टि संविधान पीठ के निर्णय द्वारा ललिता कुमारी बनाम. सरकार की

उत्तर प्रदेश और अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1 पैरा 115 "।

6. राज्य की ओर से दायर किए गए जवाब में हलफनामे में डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 52 और 54 का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है:

महामारी। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। महामारी के मामले में, कोई भी झूठी खबरों में घबराहट पैदा करने की प्रवृत्ति होती है और,

इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम कुछ प्रावधान करता है

अपराध और दंड। आपदा की धारा 52 और 54

प्रबंधन अधिनियम निम्नानुसार है:

जो कोई भी जानबूझकर ऐसा दावा करता है जिसे वह जानता है या उसके पास है केंद्र सरकार, राज्य के किसी भी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप किसी भी राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए गलत मानने का कारण

सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, दोषी ठहराए जाने पर दो साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और

ठीक के साथ भी।

जो कोई भी गलत चेतावनी या चेतावनी देता है या प्रसारित करता है आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण, जिससे दहशत फैलती है, दोषी ठहराए जाने पर कारावास से दंडनीय होगा जो बढ़ सकता है।

एक साल तक या जुर्माने के साथ।

इसके बाद, हलफनामे में निम्नलिखित कदमों का संकेत दिया गया

टाइगेटिंग मशीनरी:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह पता चलने पर कि शिकायत संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रत्यर्थी के सम्मानपूर्वक समर्पण में,

चूंकि एक एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया संज्ञान के आयोग का खुलासा करती है।

अपराध, कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं किया जा सकता है।

कि एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, 07.05.2020 पर शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ क्योंकि वह बाहर था।

स्टेशन। 08.05.2020 पर शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में जाँच में शामिल हो गया और एक डीवीडी पेश की जिसमें प्रसारण दिनांक 30.03.2020 था जैसा कि एफ़. आई. आर. में संदर्भित है जिसे जाँच अधिकारी ने जब्ती ज्ञापन और बयान के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया था।

एस. अजय श्याम को यू/एस 161 Cr.P.C दर्ज किया गया था।

कि 11.05.2020 पर, जाँच अधिकारी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का दौरा किया जहाँ से सूचना प्राप्त करने के लिए गूगल और यूटचूब को ई-मेल के माध्यम से यू/सेक 91 Cr.P.C नोटिस भेजा गया था। चैनल के यू. आर. एल. और पोस्ट के यू. आर. एल. के संबंध में "।

7. मूल शिकायतकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने अपने बयान में कहा:

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि 30.03.2020 पर, याचिकाकर्ता ने यू टचूब पर एपिसोड No.255 में प्रसारित अपने शो 'द विनोद दुआ शो' में महामारी की तैयारी के बारे में झूठे आरोप लगाए

कोविड-19 जो स्पष्ट रूप से आई. पी. सी. की धारा 124-ए, 268,501 और 505 का उल्लंघन था। प्रकरण की पूरी सामग्री/प्रतिलिपि को अनुलग्नक ए-2 में पृष्ठ 45 पर रिट याचिका में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, 21.04.2020 पर, जब प्रतिवादी था

अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर सर्फिंग करते हुए कि उन्हें याचिकाकर्ता का कथित वीडियो देखने का अवसर मिला। उन्होंने दृढ़ता से महसूस किया कि वीडियो की सामग्री में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की प्रवृत्ति थी।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया अपराध आई. पी. सी. की धारा 124-ए, 268,501 और 505 के तहत स्पष्ट रूप से बनाया गया है और आई. पी. सी. द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के बाद अधिक गंभीर अपराध सामने आएंगे।

उत्तरदाता प्रत्यर्थी की जाँच की जाती है, और इसलिए, वर्तमान एफ़. आई. आर. को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। यदि VINOD DUA v में कथन हैं।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

वीडियो को पूरी तरह से देखा जाता है, तो याचिकाकर्ता का दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट है और कहा जा रहा है कि यह सब लोगों को उकसाता है और भारत सरकार के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष और नफरत पैदा करता है और वह भी इस कठिन समय में।

महामारी कोविड-19 "।

उत्तरदाता संख्या 3 ने तब याचिकाकर्ता के टॉक शो के अन्य एपिसोड का उल्लेख किया जो 02.03.2020,31.03.2020,01.04.2020 पर अपलोड किए गए थे और

01.06.2020 याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे बयान देने की कथित प्रवृत्ति पर जोर देना जो सच्चाई से रहित थे।

8. अनुसरण में इस न्यायालय के अवलोकन के लिए रखी गई स्थिति रिपोर्ट

दिनांकित 14.06.2020 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, एच. डब्ल्यू. न्यूज़ के बारे में विवरण दिया गया है।

थियो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में।

9. याचिकाकर्ता श्री विकास सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान

ए) एफ. आई. आर. में दिए गए बयान कि, "माननीय प्रधानमंत्री ने वोट हासिल करने के लिए धमकियों और आतंकवादी कृत्यों का इस्तेमाल किया"; और "प्रधानमंत्री ने वोट हासिल किए" आतंकवाद के कार्य के माध्यम से वोट "तथ्यात्मक रूप से गलत थे। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था।

बी) एफ. आई. आर. में बुनियादी आरोपों को केदार नाथ सिंह बनाम केदार नाथ सिंह मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में देखा जाना आवश्यक था।

बिहार राज्य 2 और उसके बाद के मामले। इस प्रकार देखने पर, आई. पी. सी. 3 की धारा 124 ए के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे।

ग) एक पत्रकार के रूप में, याचिकाकर्ता सरकार के कामकाज के आलोचनात्मक विश्लेषण के अलावा और कुछ नहीं करने का हकदार था। डी) आई. पी. सी. 3 की धारा 501 और 505 के तहत अपराधों का गठन करने वाले तत्व भी स्थापित नहीं किए गए थे।

ई) नतीजतन, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली है। भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया जाए।

10. याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना के समर्थन में, श्री सिंह

प्रस्तुत किया गया: -

2 (1962) सप. 2 एससीआर 769

3 भारतीय दंड संहिता, 1860 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैकब मैथ्यू बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य, इस न्यायालय ने चिकित्सा के अभियोजन के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए

पेशेवरों पर अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जल्दबाजी या लापरवाही का आरोप; इस निर्णय की पुष्टि न केवल इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ललिता कुमारी बनाम. उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य लेकिन इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच पर वैध रूप से जोर दिया जा सकता है। एक श्रेणी के रूप में पत्रकारों के मामले पर भी इसी तरह विचार किया जाना चाहिए, ताकि पत्रकार बिना किसी बाधा या अनुचित अभियोजन के डर के अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। दूसरी प्रार्थना में सुझाए गए संरक्षण से इस तरह के अनुचित अभियोजनों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

11. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए और प्रस्तुत किया: -

ए) भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तत्काल याचिका, जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, पर विचार नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को संहिता 6 के तहत उपलब्ध उपचारों के लिए हटा दिया जाए।

बी) वर्तमान स्तर पर, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को सच माना जाना आवश्यक था और मामले को होने दिया जाना चाहिए।

जांच की गई।

उदाहरण के लिए, यह बयान कि कुछ लोगों को डर था कि लॉकडाउन के बाद खाद्य दंगे हो सकते हैं, बिना किसी आधार के था और इसमें दहशत फैलाने की स्पष्ट क्षमता थी। ऐसी कार्रवाई को डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 52 और 54 के तहत शामिल किया जाएगा और दंडनीय होगा। (घ) क्या ऐसे बयान जानबूझकर या अनपेक्षित और निर्दोष दावे थे, यह जांच का विषय होगा और इस प्रकार वर्तमान स्तर पर हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।

ई) विचाराधीन प्रकरण 30.03.2020 पर अपलोड किया गया था और

कई महानगरों और कस्बों में प्रवासी श्रमिकों ने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हुए अपने गृहनगर की ओर चलना शुरू कर दिया था।

4 (2005) 6 एस. सी. सी. 1 5 (2014) 2 एस. सी. सी. 1 6 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

12. दूसरी प्रार्थना के जवाब में, यह सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था: -

जैसा कि अनुरोध किया गया था, यदि निर्देश दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप विधानमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र और क्षेत्र को पार कर लिया जाएगा। कोई भी प्रारंभिक जांच

जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया है, स्पष्ट रूप से कानून का विरोध करेगा और कानून द्वारा स्वीकृत या अनुमत नहीं होगा। 13. श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो भारत संघ की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया: -

ए) यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के रूप में आई. पी. सी. 3 की धारा 511 के साथ पठित धारा 188 के तहत भी आएगा। वे इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश सहित लॉकडाउन के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की अवज्ञा करने के लिए उकसाने की प्रकृति के थे।

बी) मामलों के संबंध में संहिता की धारा 195 के तहत प्रतिबंध

आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत आने वाला मामला न्यायालय द्वारा संज्ञान के चरण से संबंधित होगा न कि पूर्ववर्ती चरणों से और इस तरह मामले की जांच की अनुमति दी जाएगी। सी) भारतीय प्रेस परिषद (2010 संस्करण) द्वारा बनाए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंड याचिकाकर्ता को प्रामाणिक स्रोतों से तथ्यों और आंकड़ों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए बाध्य करते हैं और उसके बाद ही वह महामारी से संबंधित कोई भी प्रकाशन इस तरह से कर सकते हैं जो सनसनीखेज या अतिशयोक्ति से रहित हो। याचिकाकर्ता का आचरण इस संबंध में पूरी तरह से अवांछित था।

उक्त मानदंडों का अनुच्छेद 39, जिस पर निर्भरता रखी गई थी, पढ़ता है:

" 39. प्राकृतिक आपदाओं पर रिपोर्टिंग

(i) महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के प्रसार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिक से अच्छी तरह से जांच की जाएगी।

((ii) प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरे समाज के कार्यों और चूक के माध्यम से आपदा बन जाते हैं। इसलिए, निवारक कार्रवाई से विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता है।

मीडिया सहित सभी हितधारकों द्वारा।

7 2020 की लिखित याचिका (सी) No.468 (अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम। भारत संघ)

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) मीडिया को आपदा शमन के संभावित लाभों और क्या करें और क्या न करें के बारे में व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि समाज आपदाओं की घटना से पहले, दौरान और बाद में उनका पालन कर सके। लोगों को मानक दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। बच्चों और महिलाओं के मुद्दे जो आपदा के दौरान और बाद में सबसे कमजोर समूह हैं

मीडिया द्वारा सावधानीपूर्वक संभाला गया।

उनके बीच समन्वय और सहयोग की सीमा प्रकृति, डिग्री और पैमाने को निर्धारित करती है आपदाओं को रोकने या उनसे निपटने के लिए तैयारी "।

14. श्री महेश जेठमलानी और श्री विनय नवरे, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनकी ओर से प्रस्तुतियों को दोहराया। राज्य और संघ ने प्रस्तुत किया कि गंभीरता और परिमाण

महामारी ने पत्रकारिता मानकों के सख्त पालन और संयम के पालन का आह्वान किया; कि यह नकली और गलत रिपोर्टिंग थी जिसने श्रमिकों के प्रवास को प्रेरित किया; कि याचिकाकर्ता का निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का इरादा था और उनका इरादा स्पष्ट था

बयानों से कि भोजन की कमी हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य दंगे हो सकते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, दिनांक 24.03.2020 के आदेश और दिनांक 28.03.2020 के दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला गया और यह प्रस्तुत करने पर भरोसा किया गया कि भोजन, चिकित्सा और

अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी के बारे में गलत जानकारी फैलाकर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.03.2020 के आदेश और दिनांक 28.03.2020 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और इस तरह आई. पी. सी. 3 की धारा 188,153,124 ए और 503 (बी) के तहत दंडनीय अपराध किए थे।

15. प्रत्युत्तर में, श्री सिंह ने उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज कर दिया और लिखित प्रस्तुतियों में उनकी दलीलों का सार यह था: -

ए) प्रसारण का वीडियो यदि पूरी तरह से देखा जाता है तो यह पता चलेगा कि याचिकाकर्ता का इरादा उच्चतम मानक की पुष्टि करना था

पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता। याचिकाकर्ता ने सरकार के निष्पक्ष और आलोचनात्मक मूल्यांकन को सामने लाने के लिए अपना कर्तव्य निभाया। उनके कार्य पूरी तरह से धारा 124 ए, आई. पी. सी. 3 के स्पष्टीकरण 2 और 3 और आई. पी. सी. 3 की धारा 505 के अपवाद द्वारा कवर किए गए थे और उनके वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम के अधिकार के भीतर थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।

बी) शिकायतकर्ता ने राज्य के साथ अपने मामले को धारा 124-ए और धारा 505 से धारा 188 आई. पी. सी. 3 में यह दिखाने के प्रयास में लाया कि याचिकाकर्ता द्वारा कुछ संज्ञेय अपराध किया गया था। आरोप कि याचिकाकर्ता ने दिनांकित 31.03.2020[2] के आदेश की अवज्ञा की इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाना बेतुका था क्योंकि प्रसारण इस न्यायालय के निर्देशों से पहले जारी किया गया था।

ग) डी. एम. अधिनियम 1 और आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत अपराध नहीं किए गए थे और किसी भी मामले में, डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 60 और संहिता की धारा 195 के संदर्भ में शिकायत के अभाव में, प्रत्यर्थियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अस्वीकार करने के लिए कहा गया था। डी) इसके अलावा, 31.03.20207 दिनांकित आदेश ने मीडिया को महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा करने की स्वतंत्रता दी; और यह कि कोई नहीं था

असत्यापित समाचार और न ही याचिकाकर्ता द्वारा कोई अवज्ञा की गई थी। प्रसारण में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद, श्री प्रणब सेन का साक्षात्कार 28.3.2020 पर रिपोर्ट किया गया और सर्जिकल मास्क, वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली 19.3.2020 और 24.3.2020 की अधिसूचना को भी रिकॉर्ड में रखा गया।

इस तर्क के समर्थन में कि याचिकाकर्ता कुछ प्रतिष्ठा का पत्रकार था, द्वारा प्राप्त पुरस्कारों/मान्यताओं के बाद

याचिकाकर्ता को लिखित प्रस्तुतियों में उजागर किया गया था: -

" आई. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पद्मश्री।

ii. पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए बी. डी. गोयनका पुरस्कार स्वर्गीय श्री राम नाथ गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था और इसका निर्णय न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति बख्तावर लेंटिन और एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था।

न्यायविद नानी पालखीवाला।

iii. महाराणा द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए हल्दीघाटी पुरस्कार

मेवाड़ फाउंडेशन। iv. मुंबई प्रेस क्लब द्वारा रेडइंक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार।

वी. D.Litt के साथ संदर्भित। (होनोरिस कौसा) आईटीएम विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंत में, दूसरी प्रार्थना के समर्थन में, लिखित प्रस्तुतियाँ

1 : -

" जैकब मैथ्यूज (2005) 6 एस. सी. सी. 1 के मामले और वर्तमान मामले के बीच समानता होगी क्योंकि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में टीवी पत्रकारों पर मुकदमा चलाया गया था। टीवी पत्रकारों के खिलाफ 56 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गईं। आई. पी. सी. की धारा 124-ए के तहत स्पष्टीकरण 2 और 3 स्पष्ट रूप से मीडियाकर्मियों को छूट देंगे।

उक्त अपराध करने से और आई. पी. सी. की धारा 505 के तहत अपवाद से भी कार्य करने वाले मीडियाकर्मियों को छूट दी जाएगी।

सद्भावना, उक्त धारा के तहत अपराध से "।

16. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में, दिनांकित 24.03.2020 और 28.03.2020 संचार का लिखित पाठ

नीचे के रूप में सेट करें -

" एफ. 24.03.2020 पर, गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक आदेश जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (लॉकडाउन उपाय) के तहत जारी किए गए आदेशों को देखते हुए

जो नीचे पढ़ा गया है:

" 1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों के मद्देनजर, ऐसी संभावनाएं हैं -

भोजन और अन्य आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की कमी से संबंधित अफवाहें फैलाना।

2. इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आवश्यक कदम उठाएं -

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि गृह मंत्रालय के आदेश No.40-3/2020-D दिनांक 24.03.2020 के अनुलग्नक के रूप में देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को जनता के बीच उपयुक्त रूप से प्रसारित किया जा सकता है। इसे कम करने के लिए सभी उपाय किए जा सकते हैं आशंका और शांति बनाए रखें "।

जी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं (क्षेत्रीय आहार वरीयताओं के अनुसार) और 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। यह सफल वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

हेम 80 करोड़ लोगों को कवर करता है और अब इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसे डब्ल्यू. एच. ओ. द्वारा अन्य बातों के साथ मान्यता दी गई है

दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। याचिकाकर्ता द्वारा विवादित प्रसारण से दो दिन पहले, एमएचए ने 28.03.2020 पर समेकित दिशानिर्देशों पर मुकदमा दायर किया। दिशानिर्देशों के अनुसार:

" 2. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, उनके स्वायत्त निकायों, निगमों आदि के कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद: एच. एम. एस. पी. संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां।

आई. ' कृषि उपज बाजार द्वारा संचालित मंडियां समिति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित।

4. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद:

ए। राशन की दुकानें (पीडीएस के तहत), खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध के बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, उर्वरक, बीज और कीटनाशकों से संबंधित दुकानें। हालांकि, जिला

अधिकारी अपने घरों के बाहर व्यक्तियों की आवाजाही को कम करने के लिए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बना सकते हैं।

घरों में।

6. सभी परिवहन सेवाएं-हवाई, रेल, सड़क मार्ग-निलंबित रहेंगे।

अपवादः

केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए परिवहन।

ए।

.....

ई. पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं की सीमा पार आवाजाही।

एफ. कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त कटाई यंत्र और अन्य कृषि/कृषि के लिए अंतर और अंतर-राज्य परिवहन

बागवानी उपकरण "।

24.03.2020 के आदेश और 8.03.2020 के समेकित दिशानिर्देश दोनों ही लोक सेवकों [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और किसी भी व्यक्ति द्वारा उनकी अवज्ञा उस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाती है

आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत दंड। अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, इस माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 31.03.2020 के आदेश में (कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति नागेश्वर राव)

निम्नानुसारः

" लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा

देश में खाद्य, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी के बारे में स्पष्ट रूप से गलत जानकारी और अफवाह फैलाने में, याचिकाकर्ता ने उल्लंघन किया है 24.03.2020 और 28.03.2020 के उक्त आदेश।"

यह आगे कहा गया था:

" न तो याचिका में और न ही अपने लिखित निवेदन में याचिकाकर्ता ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें 24.3.2020 के परामर्श और 28.3.2020 पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशानिर्देशों की जानकारी थी और न ही 26.3.2020 पर घोषित प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। याचिकाकर्ता ने 30.3.2020 पर प्रसारण के साथ-साथ अप्रैल से जून, 2020 तक कम से कम तीन बाद के प्रसारणों में मौजूदा कोविड स्थिति और विकासशील महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा की।

एक से अधिक संवेदनशील विषयों पर बात करते हुए

इस अवसर पर, एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में और प्रेस परिषद के मानदंडों के आधार पर याचिकाकर्ता पर यह दायित्व था कि वह महामारी से संबंधित सरकारी आदेशों, दिशानिर्देशों से खुद को अवगत रखे। वास्तव में, उनके प्रसारण और लिखित प्रस्तुति से संकेत मिलता है कि उन्हें कुछ सरकारी अधिसूचनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी थी, जो 30.3.2020 के प्रसारण से पहले जारी की गई थीं।

17. सबसे पहले, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के माध्यम से तत्काल चुनौती दी गई है और याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार किया जा सकता है और विशेष रूप से विचार किया जा सकता है जब कथित अपराध की जांच का परिणाम अभी तक संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट में नहीं आया है।

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका। चूंकि याचिका में पहली प्रार्थना में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, इसलिए अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें एक ही टेलीविजन शो से उत्पन्न और मुंबई के अलावा अन्य स्थानों पर लंबित कई प्राथमिकियों के खिलाफ राहत दी गई थी, लेकिन इस अदालत ने मुंबई में दर्ज मूल प्राथमिकी को रद्द करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। द. इस संबंध में प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थी: -

" 39. व्यक्तिगत रूप से उन्हें संदर्भित करने के हमारे निर्णयों की एक सूची परिचित लोगों की एक परेड होगी-जिसने दृढ़ता से स्थापित किया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी उचित प्रतिबंध का पालन करना चाहिए आनुपातिकता मानक , जिसका एक घटक यह है कि

अपनाया गया उपाय कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए

राज्य के वैध उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर विभिन्न क्षेत्राधिकारों में उत्पन्न होने वाली कई कार्यवाहियों के लिए एक व्यक्ति को अधीन करना अपराध का मुकदमा चलाने में वैध राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक और प्रभावी तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से याचिकाकर्ता को एक ही टेलीविजन शो से उत्पन्न होने वाले समान आरोपों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर के अलावा कई राज्यों में कई प्राथमिकियों का सामना करना पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सन्देह का तरीका कि इस न्यायालय का हस्तक्षेप एक नागरिक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है (अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत) और विचारों का स्वतंत्र चित्रण करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिनके पास रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कई कार्यवाहियां और अनावश्यक उत्पीड़न होगा, जो है

एक पत्रकार।

40. हालाँकि, विभिन्न राज्यों को शामिल करते हुए कई प्राथमिकियों और शिकायतों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दा, जैसा कि हम समझाते हैं, मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में 2020 की प्राथमिकी संख्या 164 से उत्पन्न होने वाली जांच से अलग है। याचिकाकर्ता, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, वह उस एफ. आई. आर. की जांच से मुक्त नहीं है जिसे स्थानांतरित कर दिया गया है।

पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर से लेकर मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन तक। यह संतुलन अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार के प्रयोग और सी. आर. पी. सी. के तहत अपराध की जांच के बीच खींचा जाना चाहिए। बाकी सब। एक ही घटना के संबंध में एफ. आई. आर. प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

57. हमारा मानना है कि न्यायालय के लिए मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जांच के तहत 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 164 को रद्द करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने में, हम इस तथ्य से निर्देशित होते हैं कि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित होते हैं। 24-4-2020 9 पर याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दिए जाने के

बावजूद, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने कानून में उपलब्ध उपायों का पीछा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की। एफ. आई. आर. में निहित आरोप कोई अपराध करते हैं या नहीं, जैसा कि आरोप लगाया गया है, अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता के अनुसरण में तय नहीं किया जाएगा।

एफ. आई. आर. को रद्द करें। याचिकाकर्ता को सी. आर. पी. सी. के तहत उपलब्ध उपायों की खोज के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जो हम एतद्द्वारा करते हैं। याचिकाकर्ता के पास एक समान रूप से प्रभावी उपचार उपलब्ध है

उच्च न्यायालय। हमें यह अभिनिर्धारित करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका विचारणीय नहीं है। लेकिन जब उच्च न्यायालय

मुंबई के एन. एम. जोशी पुलिस स्टेशन में जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को उन उपायों का लाभ उठाने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए जो सक्षम अदालत के समक्ष सीआरपीसी के तहत उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय।"

(जोर दिया गया)

o रंजन गोस्वामी बनाम। भारत संघ, (2020) 14 एस. सी. सी. 51 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य।

[उदय उमेश ललित, जे।]

आगे का तर्क यह है कि कोई अपवादात्मक आधार नहीं हैं या

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के कारण

न ही संहिता के तहत प्रक्रिया को दरकिनार करने का कोई कारण है।

19. अमीश में इस अदालत के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है।

देवगन बनाम। भारत संघ और अन्य "जो बदले में एच. पी. बनाम एच. पी. बनाम एच. पी. बनाम

ओ. पी. शर्मा 1 2 के साथ-साथ अर्नब रंजन गोस्वामी में निर्णय। अमीश देवगन 1 0 में, इस न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार नहीं किया, लेकिन गुण-दोष के आधार पर मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और अंत में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। एफ. आई. आर. को रद्द करना। निम्नलिखित टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं: -

" 118. हम सम्मानपूर्वक उपरोक्त अनुपात से सहमत हैं। आम तौर पर

हम याचिकाकर्ता को निर्वासित कर देते और उनसे संपर्क करने के लिए कहते

उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय, यद्यपि वर्तमान में

दोनों पक्षों द्वारा मामले की विस्तृत दलीलों को संबोधित किया गया है

विचाराधीन एफ. आई. आर. की रखरखाव और गुण और इसलिए,

हमारे द्वारा निपटा गया और इस स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया। हम नहीं, में

इस विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए, अनुमति देना उचित समझते हैं

याचिकाकर्ता मुकदमे का एक और दौर शुरू करने के लिए; इसलिए, हम

विचाराधीन मुद्दों का जवाब देने के लिए आगे बढ़े हैं।

(जोर दिया गया)

उसी समय, मामलों की एक पंक्ति है जिसमें तब भी जब

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय ने संबंधित प्राथमिकियों को रद्द कर दिया; ऐसे कुछ मामले हैं: -

((ii) रिनी जौहर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 1 4

(iii) मोनिका कुमार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य 15

10 (2021) 1 एससीसी 1 11 (1996) 2 एससीसी 37 12 (1996) 7 एससीसी 705 13 (2004) 4 एससीसी 666 14 (2016) 11 एससीसी 703 15 (2017) 16 एससीसी 169 [2021] 12 एस. सी. आर.

(iv) प्रिया प्रकाश वारियर और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य

और अन्य 1 6

(v) लक्ष्मीबाई चंदरगी बी. और एक अन्य बनाम राज्य

कर्नाटक और अन्य 1 7

वर्ग। इस तरह के तत्व को पूरी तरह से अनुपस्थित पाते हुए, इस न्यायालय द्वारा राहत प्रदान की गई। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां ये थे:

" 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं, अर्थात् फिल्म के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक ने फलकनामा पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, तेलंगाना में दर्ज 2018 की प्राथमिकी संख्या 34, दिनांक 14-2-2018 को रद्द करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, एक प्रार्थना भी की गई है कि किसी भी प्राथमिकी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या इसके तहत कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 को "माणिक्य" गीत के चित्रण के कारण निपटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता 1 द्वारा फिल्म 'मलाराया पूवी', जिसका नाम 'ओरु अदार' है।

प्यार "। 7. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर इस न्यायालय और रामजी लाल मोदी बनाम संविधान पीठ के समक्ष हमला किया गया था। यू. पी. राज्य ने इस प्रकार कहा: (एयर

पीपी। 622-23 , पैरा 8-9)

" 8. यह बताया गया है कि धारा 295-ए को इसमें शामिल किया गया है।

अध्याय XV, दंड संहिता जो धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है न कि अध्याय VIII में जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों से संबंधित है और इस परिस्थिति से यह है - इसलिए यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि धर्म से संबंधित अपराधों का सार्वजनिक व्यवस्था या शांति बनाए रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप एक कानून जो संबंधित अपराध पैदा करता है।

16 (2019) 12 एस. सी. सी. 432

17 (2021) 3 एससीसी 360 18 एयर (1957) एस. सी. 620 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

धर्म और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का संदर्भ, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह दिखाएगा कि यह तर्क पूरी तरह से असमर्थनीय है। उन अनुच्छेदों द्वारा आश्वस्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। इसलिए, यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि धर्म की स्वतंत्रता का कोई असर नहीं हो सकता है

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या धर्म से संबंधित अपराध पैदा करने वाली किसी कानून को किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है। उन दो अनुच्छेदों के संदर्भ में विचार किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 9. विद्वान वकील ने तब अपना आधार बदल दिया और अपनी आपत्ति को थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया। विद्वान वकील का कहना है कि भारत के नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान, कुछ मामलों में सार्वजनिक विकारों का कारण बन सकता है, लेकिन कई मामलों में वे ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसलिए, एक ऐसा कानून जो

धर्म के अपमान को अपराध बनाकर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है।

इसमें दोनों प्रकार के अपमान शामिल हैं अर्थात वे जो सार्वजनिक विकारों का कारण बन सकते हैं और साथ ही वे जो नहीं भी हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि जहां तक वह पहली किस्म को शामिल करता है, वह कानून अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित किया गया था, लेकिन जहां तक वह शेष किस्म को शामिल करता है, वह उस खंड के भीतर नहीं आएगा। तर्क तब यह निष्कर्ष निकालता है कि जब तक कानून के उद्देश्यों के लिए लागू होने की संभावना है संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, पूरे कानून को असंवैधानिक और अमान्य माना जाना चाहिए। हम हैं।

आक्षेपित खंड में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए, इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ। सबसे पहले, अनुच्छेद 19 का खंड (2) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून की रक्षा करता है।

" सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव की तुलना में बहुत व्यापक है। यदि, इसलिए, कुछ गतिविधियों में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति है, तो अपराध के रूप में ऐसी गतिविधियों को दंडित करने वाले कानून को [2021] 12 एस. सी. आर. लागू करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" उचित प्रतिबंध हालांकि

कुछ मामलों में उन गतिविधियों से वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो सकता है। अगले स्थान पर धारा 295-ए नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं के अपमान या प्रयास के किसी भी और हर कार्य को दंडित नहीं करती है, लेकिन यह केवल उन अपमान के कार्यों या नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के उन प्रकार के प्रयासों को दंडित करती है, जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाते हैं। अनजाने में या लापरवाही से या उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किसी भी जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना धर्म का अपमान करना इस धारा के भीतर नहीं आता है। यह केवल धर्म के अपमान के उग्र रूप को दंडित करता है जब इसे अपराध के साथ किया जाता है।

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा उस वर्ग की भावनाएँ। इसकी गणना की गई प्रवृत्ति

अपमान का बढ़ा हुआ रूप स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना है और धारा, जो ऐसी गतिविधियों को दंडित करती है, अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कानून के रूप में अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संरक्षण के भीतर है। आक्षेपित धारा द्वारा बनाए गए अपराध के घटकों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, इस कानून के उन उद्देश्यों के लिए लागू होने की कोई संभावना नहीं हो सकती है जो इस धारा द्वारा स्वीकृत नहीं हैं।

संविधान। दूसरे शब्दों में, में नियोजित भाषा

अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से अनुमेय विधायी कार्रवाई की सीमाओं के भीतर और उसके बिना प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए धारा इतनी व्यापक नहीं है और इसके परिणामस्वरूप पृथकता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और जिन निर्णयों पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाता है।

याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई आवेदन नहीं है।

12. महेंद्र सिंह धोनी बनाम। येरागुंटला श्यामसुंदर ",

धारा 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का औचित्य

ए इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए अदालत ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया

आई. पी. सी. की धारा 295-ए के तहत अपराध के लिए।

13. यदि संविधान पीठ का अनुपात उचित है

सराहना की, उक्त प्रावधान कुछ सवारों के साथ सहेजा गया था,

7) 7 एस. सी. सी. 760 वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाली विधायी कार्रवाई। धर्म के अपमान के उग्र रूप पर जोर दिया गया था जब इसे अंजाम दिया जाता है उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका और रद्द करने की अनुमति देते हैं

2018 की एफ. आई. आर. सं. 34। हम यह भी निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 154 के तहत कोई प्राथमिकी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गीत के चित्रण की। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

विशेष रूप से, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत दावा किए गए अधिकार के संदर्भ में था, जहां कथित अपराध आईपीसी 3 की धारा 295-ए के तहत एक था। एफ. आई. आर. को रद्द करने के अलावा, इस अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित गीत के चित्रण के कारण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी एफ. आई. आर. या शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

21. रोमेश थापर बनाम के प्रसिद्ध मामले में। मद्रास राज्य 20, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार करने के बजाय, याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शब्दों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा जाए:

" प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित मद्रास के महाधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई, वास्तव में अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता को पहली बार में इस तरह की राहत के लिए सीधे इस न्यायालय का सहारा लेने के लिए। उन्होंने तर्क दिया कि, व्यवस्थित प्रक्रिया के मामले के रूप में, याचिकाकर्ता को पहले मद्रास में उच्च न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले से निपटने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने आपराधिक संशोधन का हवाला दिया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के तहत याचिकाएं,

एससीआर 594 [2021] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जमानत के लिए आवेदन और हस्तांतरण के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 उन उदाहरणों के रूप में जहां, कुछ मामलों में समवर्ती अधिकारिता दी गई है

उच्च न्यायालय और निम्न श्रेणी के न्यायालय, व्यवहार का एक नियम स्थापित किया गया है कि एक पक्ष को उच्च न्यायालय का सहारा लेने से पहले राहत के लिए पहले बाद के न्यायालय में जाना चाहिए। उन्होंने सम्राट वी का उल्लेख किया। बिशेश्वर प्रसाद सिन्हा2 1, जहाँ एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में अभ्यास का ऐसा नियम लागू किया गया था, और कहा गया था कि

कुछ अमेरिकी निर्णयों पर भी ध्यान दें-उर्कहार्ट बनाम। ब्राउन 22 और हूनी बनाम। कोलोहन 23, यह दर्शाते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर आवश्यक है कि जो भी न्यायिक हो

संघीय और राज्य न्यायालयों में आवेदक के लिए खुले उपायों को उच्चतम न्यायालय में उपचार की अनुमति देने से पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए-चाहे वह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या प्रमाणपत्र-। हमारी राय है कि न तो विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उल्लिखित उदाहरण और न ही उनके द्वारा निर्दिष्ट अमेरिकी निर्णय वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा दिए गए उपचार के अनुरूप हैं। वह अनुच्छेद केवल इस न्यायालय को शक्ति प्रदान नहीं करता है, जैसा कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को करता है, भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अपनी सामान्य अधिकारिता के हिस्से के रूप में कुछ रिट जारी करने के लिए। उस स्थिति में इसे अधिक उचित रूप से रखा गया होगा

अनुच्छेद 131 से 139 जो उस अधिकारिता को परिभाषित करते हैं।

अनुच्छेद 32 उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक "गारंटीकृत" उपाय प्रदान करता है, और इस उपचारात्मक अधिकार को भाग III में शामिल करके ही एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार यह न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है, और यह इस तरह से निर्धारित जिम्मेदारी के साथ, ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया है और हम यह नहीं मानते कि अमेरिकी निर्णय इसमें हैं।

बिन्दु "।

22. वनहीन उक्ति के बाद एक और संविधान बनाया गया

दरयाओ और अन्य में इस न्यायालय का न्यायाधीश बनाम। यू. पी. राज्य और

थर्स 24 निम्नानुसार:

आई. एल. आर. 56 सभी। 158205 यू. एस. 17

294 अमेरिका 10

(1962) 1 एस. सी. आर. 574 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

यह आधार देते हुए कि सुव्यवस्थित प्रक्रिया के मामले में याचिकाकर्ता को पहले अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का सहारा लेना चाहिए था। 226 , और कहा कि "इस न्यायालय ने इस प्रकार के संरक्षक और गारंटर का गठन किया मौलिक अधिकार, और यह, इस तरह से निर्धारित जिम्मेदारी के अनुरूप, ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है।

23. जागीशा अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 25 मामले में, न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार किया, इसके बावजूद कि आदेश को संविधान के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए।

कोड के संकेत। चर्चा इस प्रकार थी:

" 2. भारत के संविधान और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार गैर-परक्राम्य हैं।

3. विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अपनी ओर से उपस्थित हुए

राज्य सरकार ने विभिन्न तकनीकी आधारों पर इस आरोप का विरोध किया है, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड का आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्च

पहले अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो जांच के तहत अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश के अनुसार पुलिस हिरासत में था, इस अदालत द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका था। यह इसलिए, आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया कि रिमांड के आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया था कि यह न्यायालय सामान्य रूप से रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करता है जब तक कि

सबसे पहले उच्च न्यायालय का रुख किया गया है।

5. स्व-आरोपित अनुशासन के मामले के रूप में और इस न्यायालय पर बढ़ते मामलों के दबाव को देखते हुए, इस न्यायालय का यह अभ्यास बन गया है कि वह सामान्य रूप से निर्देश दे कि उच्च न्यायालय पहले

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी संपर्क किया गया।

हालांकि, अनुच्छेद 32, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, को स्वतंत्रता से वंचित करने के एक स्पष्ट मामले में निरर्थक नहीं माना जा सकता है, जैसा कि तत्काल मामले में है, जहां क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने 22-6-2019 तक रिमांड का आदेश पारित किया है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता के पति प्रशांत कनौजिया सोशल मीडिया पर पोस्ट/ट्वीट डालने के लिए लगभग 13/14 दिनों के लिए हिरासत में होंगे। 6. हम तकनीकी आधार पर पीछे हटने के इच्छुक नहीं हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय पूर्ण न्याय करने के लिए राहतों को ढाल सकता है।

7. हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के पति को अधिकार क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए शर्तों पर तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को सोशल मीडिया में पोस्ट/ट्वीट की मंजूरी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह आदेश कार्रवाई की अधिकता को देखते हुए पारित किया गया है।

ले लिया "।

24. इस प्रकार, यह निर्देश देने की प्रथा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी पहले उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाए, इस न्यायालय द्वारा एक स्व-थोपा गया अनुशासन है; लेकिन स्पष्ट मामलों में स्वतंत्रता से वंचित, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार किया है। हम, इस स्तर पर, निम्नलिखित पर भी ध्यान दे सकते हैं

26 (2018) 9 एससीसी 745: (2019) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 386 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

भारत संघ बनाम पॉल माणिकम और अन्य 27 में की गई टिप्पणियाँ:

" 22. एक अन्य पहलू जिस पर प्रकाश डाला गया है, वह यह है कि कई बेईमान याचिकाकर्ता अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय का रुख कर रहे हैं

32 पहले संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क किए बिना सीधे निरोध के आदेश को चुनौती देने वाला संविधान। यह उचित है कि संबंधित उच्च न्यायालय से पहले संपर्क किया जाए, जिसके अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निरोध का आदेश पारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र को सीधे इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए, याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया गया है, संपर्क क्यों नहीं किया जा सका है या उच्च न्यायालय से संपर्क करना व्यर्थ है। जब तक इस संबंध में संतोषजनक कारण नहीं बताए जाते हैं, तब तक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे ऐसे मामलों में याचिका दायर करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

25. इसलिए हमने उपरोक्त सभी निर्णयों से उत्पन्न सिद्धांतों के आलोक में तत्काल मामले पर विचार किया है।

इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक है जो रोमेश थप्पर 2 0, प्रिया प्रकाश वारियर 1, जागीशा अरोड़ा2 5 और

अमीश देवगन 1 हमारे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई दूसरी प्रार्थना पर प्रभावी रूप से केवल एक रिट याचिका में ही विचार किया जा सकता है। दूसरी प्रार्थना की प्रकृति को देखते हुए, याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए खारिज करना उचित नहीं हो सकता है। बल्कि, इस मुद्दे को आदर्श रूप से इस न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए। नतीजतन, हम उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं और हम

गुणों से निपटने के लिए आगे बढ़ें और दोनों प्रार्थनाओं के संबंध में मामले पर विचार करें।

26. यह कहने के बाद कि 30.03.2020 पर अपलोड किए गए अपने टॉक शो में, याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा था कि प्रधानमंत्री ने वोट हासिल करने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री ने वोट हासिल किए

आतंकवाद के कृत्यों के माध्यम से, एफ. आई. आर. ने कहा, "यह सीधे नागरिकों के बीच हिंसा को भड़काने के बराबर है और निश्चित रूप से सार्वजनिक शांति को बाधित करेगा। यह सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्य है। यह भी कहा गया था, "याचिकाकर्ता दहशत पैदा करता है।

जनता के बीच और झूठ फैलाने की कोशिश करके सार्वजनिक शांति को बाधित करता है

27 (2003) 8 एससीसी 342 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी, जैसे कि सरकार के पास पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं जो बिल्कुल गलत है। एफ. आई. आर. के अनुसार "इस तरह के झूठे बयान देकर श्री विनोद दुआ ने लोगों में भय फैलाया। यह वीडियो केवल

27. तथ्यों पर, यह स्थापित किया गया है कि याचिकाकर्ता के बयानों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने मौतों और आतंक का इस्तेमाल किया था टॉक शो में वोट हासिल करने के लिए हमले या यह कि प्रधानमंत्री ने आतंकवादी कृत्यों के माध्यम से वोट हासिल किए थे, नहीं किए गए थे। मूल प्रकरण का हिंदी में वास्तविक अनुवाद रिकॉर्ड में रखा गया है। इस तरह के किसी भी दावे को सही अनुवाद में जगह नहीं मिलती है और न ही कोई था।

लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया जैसा कि एफ. आई. आर. में कहा गया था। यह सच है कि टॉक शो के कुछ हिस्सों में दावा किया गया है कि पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं नहीं थीं; कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी

देश में उपलब्ध पी. पी. ई. किट/सूट, एन 95 मास्क और तीन प्लाई के मास्क की मात्रा के लिए; कि श्वसन उपकरण और सैनिटाइज़र को देश में उपयोग के लिए रखने के बजाय 24 मार्च (2020) तक निर्यात किया जा रहा था; कि सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण आपूर्ति के दावे बाधित हो गए; और यह कि प्रवासी श्रमिक एक बड़ी समस्या थी। यह भी कहा गया कि आपूर्ति के दावों को बंद करने के साथ, कुछ लोगों को खाद्य दंगों का डर था, जो देश में नहीं हुआ था। ये

विद्वान वकील द्वारा बयान काफी बहस का विषय थे और मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ये बयान केवल सरकार के प्रदर्शन के आलोचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति में थे या जनता के बीच अशांति पैदा करने के लिए बनाए गए थे।

28. आई. पी. सी. 3 की धारा 124 (ए) के दायरे पर इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम में विचार किया था। बिहार राज्य 2.

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

28.1 केदार नाथ सिंह को धारा 124 ए के तहत दोषी ठहराया गया

05 (बी) आई. पी. सी. 3 की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी; और विचार

उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में व्याख्या की गई थी:

" अपने निर्णय के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप का विषय और कुछ नहीं बल्कि सरकार का अपमान था; कि यह क्रांति के लिए उकसावे से भरा था और समग्र रूप से लिया गया भाषण निश्चित रूप से था।

राजद्रोही। यह सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना या उसके किसी भी उपाय की आलोचना करने वाला भाषण नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए और 505 (बी) दोनों के तहत अपराध

कोड बना लिया गया था "।

28.2 इस न्यायालय ने बंगोबाशी मामले में निर्णयों पर विचार किया

महारानी वी। जोगेंद्र चंदर बोस 2) और रानी-महारानी एल्गंगधर तिलक 29, निम्नानुसार:

" भारत में इस धारा के तहत पहला मामला क्या है

बंगोबासी मामले के रूप में जाना जाता है (रानी-महारानी बनाम। जोगेंद्र

चंदर बोस 28 जिस पर सर कॉमर के समक्ष एक जूरी द्वारा मुकदमा चलाया गया था

पेथेरम, सी. जे. जूरी पर आरोप लगाते हुए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश

जूरी को इन शब्दों में कानून के बारे में समझाया:

" असंतोष का अर्थ है स्नेह के विपरीत भावना, दूसरे शब्दों में, नापसंद या घृणा। अस्वीकृति का अर्थ है सरलता से

अस्वीकृति। एक आदमी की नापसंद करना काफी संभव है।

भावनाएँ या कार्य और फिर भी उसे पसंद करना। इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना अलग है कि मुझे लगता है कि आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्री जैक्सन के विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों का उपयोग करता है

जिन व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है, उनके मन में सरकार के वैध अधिकार का पालन न करने, या उस अधिकार को नष्ट करने या विरोध करने का स्वभाव पैदा करना, यदि और जब अवसर उत्पन्न होना चाहिए, और यदि वह अपने श्रोताओं या पाठकों में ऐसा स्वभाव पैदा करने के इरादे से ऐसा करता है, तो वह धारा के अर्थ के भीतर असंतोष को भड़काने के प्रयास के अपराध का दोषी होगा,

हालांकि उनके शब्दों या वास्तव में उनके द्वारा उत्पन्न किसी भी असंतोष की भावना से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। यह धारा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है कि शब्द

2) आई. एल. आर. 19 कैल. 35

8) आई. एल. आर. 22 बम। 112 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपयोग की गणना सरकार के खिलाफ दुर्भावना की भावनाओं को उत्तेजित करने और इसे लोगों की घृणा और अवमानना के लिए रखने के लिए की जाती है, और यह कि उनका उपयोग पैदा करने के इरादे से किया गया था

ऐसी भावना "।

अगला मामला रानी महारानी बनाम का प्रसिद्ध मामला है। बालगंगाधर तिलक 29 जो इससे पहले आया था

बॉम्बे उच्च न्यायालय। इस मामले की सुनवाई एक जूरी द्वारा स्ट्रैची के समक्ष की गई थी, जे. विद्वान न्यायाधीश ने जूरी को अपने आरोप के दौरान, उन्हें इन शब्दों में कानून के बारे में समझाया:

" प्रथम खंड द्वारा परिभाषित अपराध उत्तेजक है या

सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को भड़काने का प्रयास। 'असंतोष की भावनाएँ' क्या हैं? मैं बंगोबासी मामले में सर कॉमर पेथेरम से सहमत हूं कि असंतोष का अर्थ केवल स्नेह की अनुपस्थिति है। इसका अर्थ है घृणा, शत्रुता, नापसंद, शत्रुता, अवमानना और सरकार के प्रति हर प्रकार की दुर्भावना।

' 'बेवफाई' शायद सबसे अच्छा सामान्य शब्द है, जो सरकार के प्रति हर संभव भावना को समझता है। वह यह है कि कानून का उस असंतोष से क्या मतलब है जिसे एक व्यक्ति को उत्तेजित या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए; उसे सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता महसूस नहीं करानी चाहिए या दूसरों को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे कि असंतोष की मात्रा या तीव्रता है

शायद से निपटने के अलावा बिल्कुल महत्वहीन

सजा का प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति बड़े या छोटे असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो वह धारा के तहत दोषी है। इसके अलावा, इस बात से कोई फर्क

नहीं पड़ता कि प्रश्नगत प्रकाशन से किसी भी प्रकार की असंतोष की भावनाएँ उत्तेजित हुई हैं या नहीं। यह सच है कि आपके सामने प्रत्येक कैदी के खिलाफ एक आरोप है कि उसने वास्तव में सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित किया है। यदि आप संतुष्ट हैं कि उसने ऐसा किया है, तो आप निश्चित रूप से उसे दोषी पाएँगे। लेकिन अगर आपको यह मानना चाहिए कि यह आरोप मनगढ़ंत नहीं है, और यह साबित होता है कि कोई भी इन लेखों को पढ़कर सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को महसूस करने के लिए उत्साहित नहीं था, तो भी यह अकेले आपको कैदियों को बरी करने के लिए उचित नहीं होगा। उनमें से प्रत्येक के लिए न केवल रोमांचक भावनाओं के साथ आरोप लगाया जाता है असंतोष, लेकिन ऐसी भावनाओं को उत्तेजित करने के प्रयास के साथ भी। आप देखेंगे कि यह खंड असंतोष और वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. की भावनाओं की सफल उत्तेजना को बिल्कुल एक ही आधार पर रखता है।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

उन्हें उत्तेजित करने का असफल प्रयास, ताकि, यदि आप पाते हैं कि कैदियों में से किसी ने दूसरों में ऐसी भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश की है, तो आपको उसे दोषी ठहराना चाहिए, भले ही यह दिखाने के लिए कुछ भी न हो कि वह सफल हुआ। एक बार फिर, यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से

एक और बात समझिए। अपराध में सरकार के प्रति दूसरों की कुछ बुरी भावनाओं को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना शामिल है। यह विद्रोह को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं है। या विद्रोह, या किसी भी प्रकार की वास्तविक गड़बड़ी, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। चाहे कोई गड़बड़ी या प्रकोप इनके कारण हुआ हो

लेख, बिल्कुल महत्वहीन हैं। यदि अभियुक्त का इरादा लेखों द्वारा विद्रोह या अशांति को भड़काने का था, तो उसका कार्य निस्संदेह धारा 124-ए के अंतर्गत आएगा, और संभवतः दंड संहिता की अन्य धाराओं के अंतर्गत आएगा। लेकिन भले ही उन्होंने सरकार के अधिकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह या प्रकोप या जबरन प्रतिरोध को न तो उकसाया और न ही उकसाने का इरादा किया हो, फिर भी अगर उन्होंने सरकार के प्रति शत्रुता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, तो यह धारा के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। मुझे पता है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सोचा है कि इस धारा के खिलाफ कोई अपराध नहीं हो सकता है जब तक कि आरोपी या तो सरकार को विद्रोह या जबरन प्रतिरोध का परामर्श या सुझाव नहीं देता है। मेरी राय में, यह दृष्टिकोण खंड के व्यक्त शब्दों के बिल्कुल विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से

संभव कुछ भावनाओं को उत्तेजक या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, न कि विद्रोह या जबरन प्रतिरोध जैसे किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास, अपराध की परीक्षा। मैं इस तरह के विचार के लिए केवल इस खंड से जुड़े स्पष्टीकरण को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ने और इसके वास्तविक दायरे से परे स्पष्टीकरण के गलत उपयोग को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं।

28.3 इस न्यायालय ने तब माना कि आगे की कार्यवाही में बालगंगाधर तिलक को दोषी पाया गया: -

..... जूरी ने छह से तीन के बहुमत से पाया कि श्री

बालगंगाधर तिलक दोषी ठहराए गए। इसके बाद, उन्होंने, दोषसिद्धि पर, लेटर पेटेंट के खंड 41 के तहत अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। प्रिवी काउंसिल। आवेदन की सुनवाई एक पूर्ण पीठ द्वारा की गई जिसमें फरान, सी. जे., कैंडी एंड स्ट्रैची, जे. छुट्टी के स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सरकार द्वारा दी गई मंजूरी कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उसके पास [2021] 12 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उल्लङ्घन करने वाले लेखों का विवरण नहीं दिया गया, और दूसरी बात यह कि न्यायाधीश ने जूरी को "असंतोष" शब्द के अर्थ के बारे में गलत निर्देश दिया, जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह इसके बराबर हो सकता है " स्नेह की अनुपस्थिति "। दूसरे बिंदु के संबंध में, जो हमारे सामने एकमात्र प्रासंगिक बिंदु है, पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित प्रभाव को व्यक्त किया:

" दूसरा आधार जिस पर श्री रसेल ने हमें यह प्रमाणित करने के लिए कहा है कि यह महामहिम को भेजे जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

परिषद, यह है कि एक गलत दिशा दी गई है, और उन्होंने अपना तर्क एक बड़े और दो छोटे आधारों पर आधारित किया है। द मेजर

इसका आधार यह था कि यह नहीं कहा जा सकता कि इस धारा का उल्लंघन किया गया है जब तक कि अव्यवस्था या विद्रोह को भड़काने के लिए कोई सीधा उकसावा न हो। हमें लगता है कि यह खंड के शब्दों से बहुत आगे जा रहा है, और हमें उस आधार पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मामूली बिंदुओं में से पहला यह है कि श्री जस्टिस स्ट्रैची ने जूरी को मामले का सारांश देते हुए कहा कि असंतोष

इसका अर्थ था 'स्नेह की अनुपस्थिति'। लेकिन अगर वह वाक्यांश अकेला खड़ा होता तो यह जूरी को गुमराह कर सकता था, फिर भी संदर्भ के संबंध में हमें लगता है कि यह असंभव है कि जूरी को इससे गुमराह किया जा सकता था। उस अभिव्यक्ति का उपयोग बंगबोशी मामले में कलकत्ता में सर कॉमर पेथेरम द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में किया गया था। वहाँ मुख्य न्यायाधीश ने स्नेह की अनुपस्थिति शब्दों का उपयोग करने के बजाय 'स्नेह के विपरीत' शब्दों का उपयोग किया। यदि इस मामले में 'स्नेह की अनुपस्थिति' के बजाय 'स्नेह के विपरीत' शब्दों का उपयोग किया गया होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस विशेष में सारांश पूरी तरह से सही होता। लेकिन संबंध में लिया गया

स्नेह, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सक्रिय भावना। इसलिए उस बिंदु पर हम मानते हैं कि हम यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला है। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि यह आरोप नहीं लगाया गया है कि न्याय की विफलता हुई है।

उन टिप्पणियों को करने के बाद, पूर्ण पीठ ने छुट्टी के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद न्यायिक समिति में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन के माध्यम से मामले को महामहिम के पास ले जाया गया। प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप से पहले, VINOD DUA v.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

एस्क्विथ, क्यू. सी. ने मयने, डब्ल्यू. सी. बनर्जी और अन्य जैसे महान अनुभव और प्रतिष्ठित वकील की सहायता से तर्क दिया कि दंड संहिता की धारा 124-ए के अर्थ के बारे में एक गलत दिशा थी जिसमें अपराध को इस प्रभाव के लिए बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया था कि "असंतोष" का अर्थ केवल "स्नेह की अनुपस्थिति" है, और यह सरकार के प्रति हर संभव रूप से बुरी भावना को समझता है। इस संबंध में संदर्भ दिया गया था क्वीन में पेथेरम, सी. जे. की टिप्पणियों के लिए

महारानी वी. जोगेंद्र चंदर बोस 28. यह भी दावा किया गया था कि अपीलार्थी की टिप्पणियाँ उस सीमा से अधिक नहीं थीं जिस पर इंग्लैंड में एक सार्वजनिक पत्रकार के कार्यों के भीतर विचार किया जाएगा, और जिस गलत दिशा की शिकायत की गई थी, वह न केवल प्रभावित व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी।

भारतीय प्रेस और महामहिम की सभी प्रजाओं के लिए भी; और यह कि इसने प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बैठकों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को हानिकारक रूप से प्रभावित किया। लेकिन विशेष अनुमति के लिए याचिकाकर्ता की ओर से की गई कड़ी अपील के बावजूद, लॉर्ड चांसलर ने न्यायिक समिति की राय देते हुए आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि पूरे सारांश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इससे असहमति का कोई कारण नहीं देखा, और

कि आपराधिक मामलों में अपील करने की अनुमति देने के मामले में उनके प्रभुओं द्वारा देखे गए नियमों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस मामले में ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर प्रिवी काउंसिल द्वारा आगे विचार किया जाना चाहिए, (गंगाधर के माध्यम से)

तिलक वी. रानी-महारानी। 30

28.4 इसके बाद, निहारेन्दु मजूमदार बनाम मामले में संघीय न्यायालय का निर्णय। राजा सम्राट 3 1 से निपटा गया था और यह लिखा गया था कि संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के बयान को प्रिवी काउंसिल द्वारा हटा नहीं दिया गया था। चर्चा इस प्रकार थी: -

" भारत रक्षा अधिनियम (1939 का 35) के तहत भारत रक्षा नियमों के नियम 34 (6) (ई) के तहत उत्पन्न होने वाले मामले पर विचार करते हुए, सर मौरिस ग्वायर, सी. जे. ने संघीय न्यायालय की ओर से

बोलते हुए निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। राजा-सम्राट 3 1 और इंगित किया है कि

भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए की भाषा, जो विचाराधीन नियम के समान थी, को अपनाया गया था।

7) एल. आर. 25 आई. ए. 1

12) एफ. सी. आर 38

[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंग्रेजी कानून से, और ऊपर उद्धृत मामले में फ़ित्जराल्ड, जे. की टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया; और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जो काफी उपयुक्त हैं;

आम तौर पर, हम सोचते हैं कि परिच्छेद कानून को सटीक रूप से बताता है क्योंकि इसे एक परीक्षा से एकत्र किया जाना है बड़ी संख्या में न्यायिक घोषणाएँ।

प्रत्येक सरकार का पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य

आदेश का संरक्षण है, क्योंकि आदेश शर्त है

दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। शब्द, कर्म या लेखन राजद्रोह, यदि उनका यह इरादा या यह प्रवृत्ति है; और यह समझना आसान है कि वे राजद्रोह का गठन क्यों कर सकते हैं, यदि वे, जैसा कि वाक्यांश है, सरकार को अवमानना में लाने की कोशिश करते हैं। इसे सरकार के घायल अहंकार की सेवा करने के लिए अपराध नहीं बनाया गया है, लेकिन क्योंकि जहां सरकार और कानून का पालन करना बंद हो जाता है क्योंकि उनके लिए कोई सम्मान महसूस नहीं किया जाता है, केवल अराजकता ही हो सकती है। सार्वजनिक अव्यवस्था, या

उचित प्रत्याशा या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना, इस प्रकार अपराध का सार है। शिकायत किए गए कार्यों या शब्दों को या तो अव्यवस्था के लिए उकसाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो उचित रूप से संतुष्ट हो। पुरुषों का कहना है कि यही उनका इरादा या प्रवृत्ति है।

कानून के इस कथन को राजा सम्राट बनाम के मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। सदाशिव नारायण भालेराव 3 2. प्रिवी काउंसिल,

निहारेन्दु मामले में विद्वान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को उद्धृत करने के बाद 3 1 के निर्णय को अस्वीकार करते हुए संघीय न्यायालय ने कहा कि इसकी कोई वैधानिक परिभाषा नहीं थी

A 89 VINOD DUA v. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

" राजद्रोह "इंग्लैंड में, और अपराध का अर्थ और विषय-वस्तु

कई फैसलों से इकट्ठा होना पड़ा।

(जोर दिया गया)

28.5 संघीय न्यायालय के निर्णय में संघर्ष और

इसके बाद इस न्यायालय द्वारा रिवी काउंसिल को निम्नानुसार देखा गया:

" इस प्रकार, संघीय के निर्णय के बीच एक सीधा संघर्ष है

निहारेन्दु मामले 3 1 में न्यायालय और कई मामलों में प्रिवी काउंसिल

भारत और गोल्ड कोस्ट के मामले, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। यह है।

राजद्रोह का सम्मान। यह संघीय की रिपोर्ट से प्रकट नहीं होता है अदालत का निर्णय कि प्रिवी काउंसिल के उपरोक्त फैसलों में था

संघीय न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स के ध्यान में लाया गया।

28.6 आईपीसी 3 की धारा 124 ए के दायरे पर विचार किया गया।

" इस धारा को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम (1898 का चौथा) द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा के एकल स्पष्टीकरण को तीन अलग-अलग व्याख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। स्पष्टीकरण जैसा कि वे अब खड़े हैं। यह खंड, जो अब अपने वर्तमान रूप में है, 1937,1948 के कई ए. ओ. का परिणाम है।

और 1950, संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, द्वारा

भारत सरकार अधिनियम, 1935,1947 के स्वतंत्र अधिनियम और 1950 के भारतीय संविधान द्वारा। धारा 124 ए, जैसा कि यह उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से क्रमिक संशोधनों के बाद उभरा है, निम्नानुसार है:

" जो कोई भी शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, लाता है या प्रयास करता है

घृणा या अवमानना में लाना, या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना। भारत को आजीवन परिवहन या किसी भी छोटी अवधि के लिए दंड दिया जाएगा जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या कारावास की सजा दी जाएगी।

तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या

ठीक के साथ।

स्पष्टीकरण 1. "असंतोष" अभिव्यक्ति में शामिल हैं बेवफाई और शत्रुता की सभी भावनाएँ।

स्पष्टीकरण 2. अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां

बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई घृणा, अवमानना या असंतोष को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना, इस धारा के तहत अपराध नहीं है।

यह अपराध, जिसे आम तौर पर राजद्रोह के अपराध के रूप में जाना जाता है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय VI में होता है, जिसका शीर्षक '

जो अपने आचरण से राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालते हैं, या बेवफाई की ऐसी भावना का प्रसार करते हैं राज्य में व्यवधान या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति। इंग्लैंड में, इस प्रकार अपराध का वर्णन स्टीफन ने इंग्लैंड के कानूनों पर अपनी टिप्पणियों, 21 वें संस्करण, खंड IV, पृष्ठों 141-142 पर इन शब्दों में किया है:

" धारा IX। राजद्रोह और असंतोष को भड़काना-अब हम ऐसे आचरण से चिंतित हैं जो एक ओर राजद्रोह से कम है, और दूसरी ओर बल या हिंसा का उपयोग शामिल नहीं है। यहाँ कानून को राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित करने की आवश्यकता के साथ निजी आलोचना के अधिकार का मिलान करना है। राजद्रोह को ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य या तो सरकार के प्रति या समाज की मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष का गैरकानूनी प्रदर्शन है या जिसका स्वाभाविक परिणाम है।

राजद्रोही आचरण शब्दों द्वारा, कार्य द्वारा या द्वारा हो सकता है।

लिखना। राजद्रोह के पाँच विशिष्ट प्रमुखों की गणना की जा सकती है। अभियुक्त के उद्देश्य के अनुसार। यह भी हो सकता है।

1. राजा, सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काना, या

संविधान, या संसद या प्रशासन के खिलाफ

न्याय; VINOD DUA v. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

2. चर्च में किसी भी परिवर्तन को गैरकानूनी तरीकों से बढ़ावा देना या

राज्य;

3. शांति भंग करने के लिए उकसाना;

4. राजा की प्रजा के बीच असंतोष पैदा करना;

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजनीतिक मामलों पर आलोचना अपने आप में राजद्रोह नहीं है। परीक्षण वह तरीका है जिसमें इसे बनाया जाता है। स्पष्ट और ईमानदार चर्चा की अनुमति है। कानून केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब चर्चा निष्पक्षता की सीमा को पार करती है। आलोचना। विशेष रूप से यह तब होगा जब कैदी के आचरण का स्वाभाविक परिणाम जनता को बढ़ावा देना है।

अव्यवस्था "।

कानून के बारे में उनका बयान मुख्य रूप से रेग बनाम के मामले में फ़ित्जरार्ल्ड, जे. द्वारा जूरी को दिए गए पते से लिया गया है। अलेक्जेंडर मार्टिन इलिवन 3 3. जूरी को अपने संबोधन के दौरान, विद्वान

डी. जी. ई. निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" राजद्रोह समाज के खिलाफ एक अपराध है, जो लगभग राजद्रोह से जुड़ा हुआ है और यह अक्सर थोड़े अंतराल में राजद्रोह से पहले होता है। राजद्रोह अपने आप में एक व्यापक शब्द है, और यह उन सभी प्रथाओं को शामिल करता है, चाहे वे शब्द, कार्य या लेखन द्वारा हों, जो राज्य की शांति को बिगाड़ने के लिए गणना की जाती हैं, और अज्ञानी व्यक्तियों को सरकार को नष्ट करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं और

साम्राज्य के कानून। राजद्रोह के उद्देश्य आम तौर पर असंतोष और विद्रोह को प्रेरित करना, और सरकार के विरोध को भड़काना, और न्याय के प्रशासन को अंदर लाना है।

अवमानना; और राजद्रोह की प्रवृत्ति ही उकसाने की है

विद्रोह और विद्रोह के लिए लोग। राजद्रोह को कार्रवाई में बेवफाई के रूप में वर्णित किया गया है, और कानून सभी को राजद्रोह मानता है।

वे प्रथाएँ जिनका उद्देश्य असंतोष या असंतोष को भड़काना, सार्वजनिक अशांति पैदा करना, या गृहयुद्ध की ओर ले जाना है; संप्रभु या सरकार, क्षेत्र के कानूनों या संविधान की घृणा या अवमानना करना, और आम तौर पर सभी सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

कि सदियों के दौरान कानून नहीं बदला है

द्वारा कानून के निम्नलिखित कथन से भी स्पष्ट

1) 11 कॉक्स के आपराधिक कानून मामले, 44 पी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉलरिज, जे., जूरी तक अपने सारांश के दौरान

रेक्स बनाम का मामला। एल्ड्रेड 3 4:

" इस शीर्ष पर कानून से अधिक स्पष्ट कुछ भी नहीं है-अर्थात्, जो कोई भी लिखित या बोली जाने वाली भाषा से, राज्य से जुड़े किसी सार्वजनिक मामले में दूसरों को शारीरिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है, वह राजद्रोही मानहानि प्रकाशित करने का दोषी है। अपने सामान्य प्राकृतिक अर्थ में 'राजद्रोह' शब्द उथल-पुथल, विद्रोह, लोकप्रिय हंगामा या हंगामा को दर्शाता है; यह किसी न किसी रूप में हिंसा या अराजकता को दर्शाता है।

उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश अभियोग के संबंध में जूरी पर आरोप लगा रहा था जिसमें राजद्रोही मानहानि का आरोप था

प्रतिवादी द्वारा एक प्रकाशन "।

28.6. 1 अंत में, धारा 124 ए और आई. पी. सी. 3 की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला: -

" हमारे सामने यह सवाल नहीं उठाया गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह सामान्य आधार है कि अधिकार ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो खंड (2) के दायरे में आते हैं, जिसमें (ए)

राज्य, (ख) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (ग) सार्वजनिक व्यवस्था,

((घ) शालीनता या नैतिकता आदि। के संदर्भ में

भारतीय संविधान की धारा 124-ए या धारा 505 की संवैधानिकता

दंड संहिता, जहाँ तक वे सुसंगत हैं

राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ के साथ अनुच्छेद 19 के खंड (2) की आवश्यकताएं, यह धारा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए, किसी भी बोले गए या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्य अभ्यावेदन आदि को दंडित करती है, जो लाने का प्रभाव रखते हैं, या जो घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करते हैं या उकसाते हैं या ऐसा करने का प्रयास करते हैं।

कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करना।

अब, "कानून द्वारा स्थापित सरकार" अभिव्यक्ति को प्रशासन चलाने में लगे व्यक्तियों से अलग करना होगा। “ कानून द्वारा स्थापित सरकार "राज्य का दृश्य प्रतीक है। राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा यदि कानून द्वारा स्थापित सरकार

1-13) 22 कॉक्स के आपराधिक कानून मामले, 1 पी।

विकृत कर दिया। इसलिए, कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है। यही कारण है कि "राजद्रोह", जैसा कि धारा 124-ए में अपराध की विशेषता दी गई है, राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्याय VI के तहत आता है। इसलिए, धारा 124-ए के अर्थ के भीतर कोई भी कार्य जो उस सरकार को अवमानना या घृणा में लाकर या उसके खिलाफ असंतोष पैदा करके सरकार को नष्ट करने का प्रभाव डालता है, दंडात्मक क़ानून के भीतर होगा क्योंकि कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अविश्वास या उसके प्रति शत्रुता की भावना वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए उकसावे के उपयोग से सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति के विचार को आयात करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी लिखित या बोले गए शब्द, आदि जिनमें हिंसक तरीकों से सरकार को नष्ट करने का विचार निहित है, जो हैं -

"क्रांति" शब्द में समग्र रूप से शामिल किया गया है, जिसे विचाराधीन धारा द्वारा दंडनीय बनाया गया है। लेकिन इस धारा ने यह स्पष्ट रूप से इंगित करने का ध्यान रखा है कि सरकार के उपायों के सुधार या विधिसम्मत माध्यमों से परिवर्तन की दृष्टि से उनकी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने

वाले कठोर शब्द इस धारा के भीतर नहीं आएंगे। इसी तरह, हिंसा के कृत्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करने वाली भावनाओं को उत्तेजित किए बिना, सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, चाहे कितनी भी जोरदार हों, दंडनीय नहीं होंगी। दूसरे शब्दों में, कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति बेवफाई एक ही बात नहीं है सरकार या उसकी एजेंसियों के उपायों या कार्यों पर कठोर शब्दों में टिप्पणी करना, ताकि लोगों की स्थिति में सुधार हो या उन कार्यों या उपायों को वैध माध्यमों से रद्द या परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके, अर्थात उन शत्रुता और बेवफाई की भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो सार्वजनिक अव्यवस्था या हिंसा के उपयोग के लिए उत्तेजना का संकेत देते हैं।

हमारे सामने यह तर्क नहीं दिया गया है कि यदि कोई भाषण या लेखन लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित करता है या पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है

सार्वजनिक अव्यवस्था, यह "राजद्रोह" की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा। जो तर्क दिया गया है वह यह है कि एक व्यक्ति जो बहुत

सरकार के उपायों या सरकार के कार्यों की बहुत कड़ी आलोचना के लिए निर्देशित लेखन में बहुत जोरदार भाषण या बहुत जोरदार शब्दों का उपयोग करना।

लोक अधिकारी भी दंडात्मक धारा के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन हमारी राय में, ऐसे लिखित या बोले गए शब्द होंगे खंड के दायरे से बाहर रहें। इस संबंध में, यह ध्यान रखना उचित है कि राज्य की सुरक्षा, जो [2021] 12 एस. सी. आर. पर निर्भर करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत बुनियादी विचार है

राज्य के खिलाफ अपराधों को दंडित करने की दृष्टि से कौन सा कानून बनाया गया है। इस तरह का कानून, एक ओर, पूरी तरह से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और गारंटी के लिए है, जो हमारे संविधान द्वारा स्थापित सरकार के लोकतांत्रिक रूप की अनिवार्यता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक और गारंटर के रूप में इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी भी ऐसे कानून को निरस्त करे जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है जिसके साथ हम हैं।

इस मामले में चिंतित। लेकिन स्वतंत्रता को बदनाम करने और निंदा करने का लाइसेंस बनने से बचाना होगा। कानून द्वारा स्थापित सरकार, शब्दों में जो हिंसा को उकसाती है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है। एक नागरिक को सरकार के बारे में जो कुछ भी पसंद है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, या

आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से उपाय, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है। इसलिए, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिक के मौलिक अधिकार के दायरे के बीच सीमांकन की एक स्पष्ट रेखा बनाए।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटी और उस पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए विधायिका की शक्ति

निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप। राजा-सम्राट 3 1 कि "राजद्रोह" के अपराध का सार हिंसा के लिए उकसाना या बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा है, जिसमें कानून द्वारा स्थापित सरकार को घृणा या अवमानना में लाने या पैदा करने की प्रवृत्ति या प्रभाव है। राज्य के प्रति अविश्वास के अर्थ में असहमति, दूसरे शब्दों में कानून को इंग्लैंड में राजद्रोह के कानून के अनुरूप लाना, जैसा कि 1870 में भारतीय दंड संहिता में धारा 124-ए को लागू करने के दौरान विधायकों का इरादा था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) में निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर होगा। अगर दूसरी ओर हम एक देते हैं

धारा के शब्दों का शाब्दिक अर्थ, उन सभी पूर्व पृष्ठभूमि से अलग जिसमें राजद्रोह का कानून बढ़ा है, वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

(2) ऊपर कहा गया है। ऊपर निर्दिष्ट संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए, हमें यह निर्धारित करना होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए और 505 के प्रावधानों को असंवैधानिक के रूप में रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। यदि हम सार के रूप में संघीय न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार करते हैं

राजद्रोह के कथित अपराध में आपराधिकता की धारा, अर्थात्, अव्यवस्था के लिए उकसाना या प्रवृत्ति या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना या उसकी उचित आशंका, निम्नलिखित के दायरे में हो सकती है:

मौलिक अधिकार पर अनुमेय विधायी प्रतिबंध

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 19 के खंड (2) के प्रावधानों के अलावा, धाराएँ 124 - ए और 505 स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करते हैं। लेकिन फिर हमें यह देखना होगा कि बचत खंड, अर्थात् अनुच्छेद 19 का खंड (2) उपरोक्त धाराओं की कितनी रक्षा करता है। अब, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऊपर उद्धृत संशोधित खंड (2) के संदर्भ में, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" है।

वे बहुत विस्तार के शब्द हैं और "रखरखाव के लिए" अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक व्यापक हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने विरेंद्र बनाम के मामले में कहा था। पंजाब राज्य 3 5. सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित किसी भी कानून को संवैधानिक अयोग्यता के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। अगर, दूसरी ओर, हम थे

यह अभिनिर्धारित करता है कि कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की किसी भी प्रवृत्ति या इरादे के बिना, लिखित या बोले गए शब्दों के उपयोग से जो केवल सरकार के खिलाफ असंतोष या शत्रुता की भावना पैदा करते हैं, राजद्रोह का अपराध पूर्ण है, तो धाराओं की ऐसी व्याख्या उन्हें ऐसा बना देगी

खंड (2) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (ए) को देखते हुए असंवैधानिक। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कानून के कुछ प्रावधान एक में निहित हैं

जिस तरह से वे संविधान के अनुरूप होंगे, और एक अन्य व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बना देगी, न्यायालय पूर्व निर्माण के पक्ष में झुक जाएगा। व्याख्याओं के साथ-साथ समग्र रूप से पठित धाराओं के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि धाराओं का उद्देश्य केवल दंड देना है।

8) एस. सी. आर. 308 पी.

ऐसी गतिविधियाँ जिनका निर्माण करने का इरादा या प्रवृत्ति हो हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, धारा के मुख्य भाग में संलग्न स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक उपायों की आलोचना या

सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, चाहे कितनी भी जोरदार हो, उचित सीमाओं के भीतर होगी और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगी। यह केवल

जब लिखित या बोले गए शब्द, आदि जिनमें सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा हो, तो कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है। इस तरह से समझा जाए तो यह धारा, हमारी राय में, व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के बीच सही संतुलन बनाती है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय न्यायालय को न केवल उपयोग किए गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि कानून के पूर्व इतिहास, इसके उद्देश्य और उस शरारत को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे वह दबाने का प्रयास करता है। बिहार राज्य 3,6 और (2) आर. एम. डी.

चमरबागवाला बनाम। भारत संघ 3 7.] इस दृष्टि से देखने पर, हमें इन मामलों में आक्षेपित धाराओं के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाने में कोई संकोच नहीं है कि उनके अनुप्रयोग को अव्यवस्था पैदा करने के इरादे या प्रवृत्ति, या कानून में गड़बड़ी से जुड़े कार्यों तक सीमित कर दिया जाए और

आदेश, या हिंसा के लिए उकसाना। हम कानूनी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि यह उभरना चाहिए, यह मानते हुए कि मुख्य धारा 124-ए सक्षम है

इसका शाब्दिक अर्थ उस अर्थ में किया गया है जिसमें प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने ऊपर निर्दिष्ट मामलों में इसका अर्थ लगाया है। उस धारणा पर, क्या यह इस न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह धारा का इस तरह से अर्थ निकाले कि धारा के अनुप्रयोग को उस तरह से सीमित करके कथित असंवैधानिकता से बचा जा सके जिस तरह से संघीय न्यायालय ने इसे लागू करने का इरादा किया था? हमारी राय में, वहाँ है

इस न्यायालय के निर्णय जो हमारे उस दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं

कानूनी स्थिति। आर. एम. डी. के मामले में यह न्यायालय।

चमरबागवाला बनाम। भारत संघ 3 7 ने विस्तार से जांच की है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों के साथ-साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों के भी। उन फैसलों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी कानून के विवादित प्रावधान आते हैं

5) 2 एससीआर 603

7) एस. सी. आर. 930 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. भारत संघ और अन्य।

[उदय उमेश ललित, जे।]

विधायिका की संवैधानिक शक्तियों के भीतर एक को अपनाकर

विवादित धारा या अधिनियम के शब्दों को देखते हुए, न्यायालय मामले के उस दृष्टिकोण को लें और तदनुसार इसके आवेदन को सीमित करें,

उस दृष्टिकोण की वरीयता में जो इसे असंवैधानिक बना देगा

विचाराधीन शब्दों की व्याख्या का एक और दृष्टिकोण। उस में

मामला, अदालत को एक परिभाषा के बीच चयन करना था अभिव्यक्ति "पुरस्कार प्रतियोगिताएँ" उन प्रतियोगिताओं तक सीमित

न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को चुना जिसने बाकी को बनाया अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (1955 का 42) के प्रावधान,

अधिनियम और नियमों की धारा 4 और 5 के विशेष संदर्भ में

11 और उसके तहत बनाए गए 12 वैध हैं। अदालत ने माना कि दंड

केवल उन प्रतियोगिताओं से जुड़ा हुआ है जिसमें तत्व शामिल है

जुआ और वे प्रतियोगिताएँ जिनमें सफलता निर्भर थी

कौशल पर एक महत्वपूर्ण डिग्री को इसके दायरे से बाहर माना गया था

अधिनियम। उस मामले में निर्णय का अनुपात, हमारी राय में, लागू होता है

केवल ऐसी गतिविधियों के लिए जो टिप्पणियों के दायरे में आती हैं। संघीय न्यायालय की, अर्थात, उकसाने वाली गतिविधियाँ

हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का इरादा या प्रवृत्ति या

सार्वजनिक शांति में खलल डालना।"

(जोर दिया गया)

28.7 यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि केदार नाथ सिंह की अपील 2

इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कि समग्र रूप से लिया गया भाषण राजद्रोही था।

28.8 इस प्रकार, इस न्यायालय ने प्रिवी के निर्णयों का पालन नहीं किया

बालगंगाधर तिलक बनाम रानी महारानी 3 0 और राजा में परिषद

सम्राट बनाम सदाशिव नारायण भालेराव 3 2 लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. 3 की धारा 124 ए का प्रवर्तन केवल ऐसी गतिविधियों तक ही सीमित होना चाहिए जो संघीय न्यायालय की टिप्पणियों के दायरे में आती हैं।

29. इसलिए, उपरोक्त से निपटना आवश्यक हो सकता है।

प्रिवी काउंसिल और संघीय न्यायालय के निर्णय कुछ विस्तार से।

30. अभियुक्त सदाशिव नारायण भालेराव ने कुछ चीज़ें बाँटी थीं।

26.01.1943 पर पर्चे जिनके संबंध में उन पर [2021] 12 एस. सी. आर. के नियम 34 के साथ पठित नियम 38 (5) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के रक्षा नियम। प्रिवी काउंसिल के निर्णय में उद्धृत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान थे:

" भारत रक्षा नियम, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत रक्षा अधिनियम, 1939 (1939 का XXXV) की धारा 2 के तहत बनाए गए थे-जहां तक सामग्री है-निम्नानुसार प्रदान किए गए हैं:

" 34. (6) 'प्रतिकूल कार्य' से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिसका आशय या संभावना हो।

(छ) जनता या जनता के किसी भी वर्ग के लिए भय या चेतावनी पैदा करना; 34. (7) ' 'प्रतिकूल रिपोर्ट' का अर्थ है कोई भी रिपोर्ट, बयान या दृश्य प्रतिनिधित्व, चाहे वह सही हो या गलत, जो या जिसका प्रकाशन, इस नियम में परिभाषित किए गए प्रतिकूल कार्य के लिए एक उकसावा है या है;

(ग) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दस्तावेज़ को बनाना, छापना, प्रकाशित करना या वितरित करना या किसी अन्य माध्यम से फैलाना। रिपोर्ट करें;

(5) यदि कोई व्यक्ति इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नियम के अनुसार, वह पाँच साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। ”

30.1 ट्रायल मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी कर दिया था। क्राउन द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया था, इस मामले को वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. के समक्ष उठाया गया था।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

रिवी परिषद। रिवि काउंसिल के निर्णय के कुछ प्रासंगिक अंश थे: -

" उनके स्वामी विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित परीक्षा को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जैसा कि भारत में लागू होता है।

उनके अधिपति सहमत हैं, वर्तमान अपील के उद्देश्यों के लिए, कि आर के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। 34 , उप - आर. 6, उप पैरा। (ई), और धारा 124 ए, दंड संहिता, हालांकि यह सुझाव दिया जा सकता है कि नियम में "एक कार्य जो लाने का इरादा है या लाने की संभावना है" शब्द संहिता में

"लाने या लाने के प्रयास" शब्दों की तुलना में व्यापक हैं। वे आगे विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत हैं कि

संहिता में तीन व्याख्याओं के नियम में चूक होनी चाहिए

निर्माण में कोई अंतर नहीं आता है।

"राजद्रोह" शब्द धारा 124 ए या नियम में नहीं आता है; यह केवल धारा 124 ए के लिए एक मामूली नोट के रूप में पाया जाता है, और यह धारा का एक सक्रिय हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल वह नाम प्रदान करता है जिसके द्वारा धारा में परिभाषित अपराध का पता लगाया जाएगा। खंड की सामग्री को सीमांत नोट द्वारा सीमित करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इंग्लैंड में राजद्रोह की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है; इसका अर्थ और विषय कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया है, लेकिन ये निर्णय तब प्रासंगिक नहीं हैं जब आपके पास राजद्रोह की वैधानिक परिभाषा है, जैसा कि हमारे पास वर्तमान मामले में है। वालेस में-जॉशनसन बनाम। राजा 3 8 उप के तहत - गोल्ड कोस्ट की आपराधिक संहिता की धारा 8 "राजद्रोही इरादे" को एक इरादे के रूप में परिभाषित किया गया था "घृणा या अवमानना में लाने या उसके खिलाफ असंतोष को भड़काने के लिए। . . . . गोल्ड कोस्ट की सरकार कानून द्वारा स्थापित "। इस बोर्ड द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शब्द स्पष्ट और स्पष्ट थे, और हिंसा के लिए उकसाना राजद्रोह के अपराध का एक आवश्यक घटक नहीं था जैसा कि इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

अंत में, उनके अधिपत्य केवल यह जोड़ेंगे कि

तिलक के मामले (3) के एक साल बाद 1898 में घृणा या अवमानना को शामिल करके और दूसरे को जोड़कर S.124A का संशोधन।

और तीसरे स्पष्टीकरण ने तिलक के मामले (3) में निर्धारित धारा के निर्माण को प्रभावित या परिवर्तित नहीं किया, और उनकी राय में, यदि संघीय न्यायालय ने निहारेन्दु के मामले में (5) तिलक के मामले पर अपना ध्यान दिया था (3), उन्हें इसे एक प्राधिकरण के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी

धारा 124 ए के निर्माण पर जिसके द्वारा वे बंधे हुए थे।

तदनुसार उनके प्रभुत्व की राय है कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, और यह घोषित किया जाना

चाहिए कि यह उप-पैरा में परिभाषित पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य का एक आवश्यक घटक नहीं है। (ई) आर। 34 , उप - आर. 6, भारत की रक्षा का नियम है कि यह

ऐसा कार्य होना चाहिए जिसका उद्देश्य जनता को उकसाना हो या जिसके होने की संभावना हो

अव्यवस्था "।

31. हम 3 9 की ओर से की गई प्रस्तुति पर भी ध्यान दे सकते हैं

प्रिवी काउंसिल के सामने अंगधर तिलक, जिसकी व्याख्या की गई थी

ई रिपोर्ट निम्नानुसार है: -

" एस्क्विथ, क्यू. सी. याचिकाकर्ता की ओर से (मेयने, जी. एच. ब्लेयर और उनके साथ डब्ल्यू. सी. बनर्जी) ने तर्क दिया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपील स्वीकार की जानी चाहिए। कला के अर्थ के बारे में गलत दिशा। 124 दंड संहिता के ए ने विनियमन v के अर्थ के भीतर महान और सामान्य महत्व का सवाल उठाया। बट्रेंड। (1) न्यायाधीश के निर्देश पर आपत्ति जताई गई थी कि यह S.124A द्वारा बनाए गए अपराध को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित करता है, इस प्रभाव के लिए कि असंतोष का अर्थ केवल स्नेह की अनुपस्थिति है, कि इसका अर्थ घृणा, शत्रुता, नापसंद, शत्रुता की भावना (स्पष्ट कार्य में अनुवादित नहीं) है।

अवमानना, और सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना; कि बेवफाई शायद सबसे अच्छा शब्द था, और यह कि यह सरकार के प्रति हर संभव रूप में बुरी भावना को समझता है; कि एक व्यक्ति को सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुता महसूस नहीं करनी चाहिए या दूसरों को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

सरकार; कि यदि कोई व्यक्ति निंदा व्यक्त करता है

सरकार के विधायी या कार्यपालिका को मापने के लिए वह अपने अधिकार के भीतर था, लेकिन यह कि यदि वह आगे बढ़ता है और उद्देश्यों के आरोप से या उसके विदेशी मूल या चरित्र की निंदा करके अपने पाठकों की घृणा और अवमानना के लिए खुद सरकार को खड़ा करता है, तो वह धारा के तहत दोषी था। क्वीन में पेथेरम सी. जे. द्वारा "असंतोष" शब्द की परिभाषा का संदर्भ दिया गया था।

महारानी वी. जोगेंद्र चंदर बोस और अन्य 23.

97) 6 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. पर एल. आर. 25 आई. ए. 1।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

यह तर्क दिया गया था कि तिलक की टिप्पणियाँ उस सीमा से अधिक नहीं थीं जिस पर इंग्लैंड में एक सार्वजनिक पत्रकार के कार्यों के भीतर विचार किया जाएगा। यह आगे तर्क दिया गया कि जिस गलत दिशा की शिकायत की गई थी, वह न केवल याचिकाकर्ता के लिए, बल्कि पूरे भारतीय प्रेस और क्राउन के सभी भारतीय विषयों के लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसने प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सभा के अधिकार को हानिकारक रूप से प्रभावित किया।

शिकायतों के निवारण के लिए याचिका "।

31.1 इस संबंध में, बालगंगाधर तिलक जूरी द्वारा उनके मुकदमे के दौरान दिए गए संबोधन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इनमें से कुछ

पते से पता इस प्रकार था:

" असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करने का मतलब है कि अपने कार्य से आप

असंतोष की भावनाओं को बढ़ाना चाहिए जब वे मौजूद हों या जब वे नहीं होते हैं तो उन्हें बनाना चाहिए। यदि आप भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, यदि आप केवल व्यक्त करते हैं, यदि आप केवल रिपोर्ट करते हैं, यदि आप केवल उस समय मौजूद भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कार्य धारा 124 ए के तहत नहीं आता है। नहीं, अधिक, आप एक भावना पैदा कर सकते हैं अस्वीकृति। मैं दंड से मुक्ति के साथ कह सकता हूं कि कुछ बुरा है; इसे ठीक किया जाना चाहिए। मुझे लिखना है; मुझे ऐसा करने का अधिकार है और अगर मुझे गलती लगती है तो यह स्वाभाविक है कि कुछ दुर्भावना पैदा हो जाती है। तो इस अनुमोदन में कुछ बुरी भावना अनिवार्य रूप से निहित है। यह धारा के स्पष्टीकरण 2 का अर्थ है; यह "सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियों" को संदर्भित करता है। जब मैं कहता हूं कि सरकार गलत कर रही है, तो जाहिर है, मैं कुछ ऐसा कहता हूं जो अधिकारियों को पसंद नहीं आएगा। यह राजद्रोह नहीं है; यदि ऐसा होता तो कोई प्रगति नहीं हो सकती थी और 20 वीं शताब्दी के अंत में हमें वर्तमान में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना होगा। सच्ची प्रगति आंदोलन से होती है और आप इसके लिए बाध्य हैं

इंगित और चर्चा की गई खामियों और सुधारों पर विचार करें।

प्रस्तावित किया और आदमी के वास्तविक इरादे को देखने के लिए। .....

फिर एक और अभिव्यक्ति है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान दें; और यह "ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार" है। यहाँ 'सरकार' का अर्थ कार्यपालिका या सरकार नहीं है।

न्यायपालिका लेकिन इसका मतलब अमूर्त रूप से सरकार है। वह शब्द।

तिलक का अल ": 2 दूसरा संस्करण। , प्रकाशन प्रभाग, राष्ट्र और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' 'सरकार' को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल हैं

अलग चीज़। यह "कानून द्वारा स्थापित सरकार" है। हमें बाद में इस सवाल पर आना होगा कि नौकरशाही सरकार है या नहीं? क्या ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर है? क्या इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता? नौकरशाही ऐसा कह सकती है, उनके लिए यह कहना बहुत चापलूसी भरा हो सकता है कि कुछ अधिकारियों की सेवाएं उनके लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन क्या यह "ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार" अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया अर्थ है? क्या इसका मतलब "प्रशासन का एक रूप" है और क्या यह उस अर्थ के अनुरूप है? जहाँ तक आदर्शों का संबंध है, वे दंड संहिता के अंतर्गत नहीं आते हैं। मैं कह सकता हूं कि प्रशासन की एक निश्चित प्रणाली देश के लिए बेहतर है और उस राय को फैलाने की कोशिश कर सकता हूं। हो सकता है कि आप मुझसे सहमत न हों, लेकिन बात यह नहीं है। मुझे अपनी राय व्यक्त करनी है और जब तक मैं कोई असंतोष पैदा नहीं करता, मुझे इसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति है। अन्यथा कोई प्रगति नहीं हो सकती; प्रगति होगी

जब तक आप बुद्धिमान सज्जनों को अधिकार नहीं देते हैं तब तक असंभव है अपनी राय व्यक्त करें, जनता को प्रभावित करें और अधिकांश जनता को उनके पक्ष में लाएं। .....

सवाल यह है कि क्या आप वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में भारत में उतनी ही स्वतंत्रता की अनुमति देने का इरादा रखते हैं जितनी इंग्लैंड के लोगों को है? यही वह बिंदु है जिस पर आपको बहुत सावधानी से विचार करना होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा एक लेख है जो एक प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने के लिए विवाद में लिखा गया है। यह मेरे समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लिखा गया था। हो सकता है आप इससे सहमत न हों।

दृश्य। मैं यहाँ आपसे कोई कृपा मांगने नहीं आया हूँ। मैं तैयार हूँ। मेरे कृत्य के परिणामों के साथ खड़े रहने के लिए। कोई सवाल नहीं है VINOD DUA v।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

इसके बारे में। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि मैंने यह लेख पागलपन में लिखा था। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने इसे यह मानते हुए लिखा है कि इस तरह से जनता के हित में लिखना मेरा कर्तव्य है, यह मानते हुए कि यह समुदाय का दृष्टिकोण था। मैं इसे व्यक्त करना चाहता था, विश्वास करते हुए

कि समुदाय के हित अन्यथा नहीं होंगे

सुरक्षित किया गया। मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूं कि यह जनता और सरकार दोनों के हित में था और इस दृष्टिकोण को रखा जाना चाहिए

उनके सामने। यदि आप ईमानदारी से इस तरह के प्रश्न पर जाते हैं तो यह आपका कर्तव्य होगा कि आप दोषी नहीं होने का निर्णय दें, चाहे मेरे बारे में आपकी राय कुछ भी हो, भले ही आप मुझे जितना हो सके नापसंद करते हों। .....

इंग्लैंड जैसे सजातीय देश में, रूढ़िवादी, उदारवादी, कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी जैसे दल हैं; प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक घटनाओं के बारे में अपना दृष्टिकोण रखता है। उदाहरण के लिए, बोअर युद्ध को लें; ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, हालांकि वे बहुत कम अल्पसंख्यक थे। राष्ट्र के अधिकांश लोगों ने युद्ध में जाने का फैसला किया और युद्ध हुआ। जो लोग अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे, वे बोअरों के पक्ष में तर्क देते थे, उन्हें बोअर समर्थक पार्टी कहा जाता था, अन्य बोअरों के खिलाफ तर्क देते थे। इसलिए दोनों पक्षों और दोनों दृष्टिकोणों से जनमत पर चर्चा हुई। यही एक स्वतंत्र प्रेस की सुंदरता है, जो किसी विशेष विषय पर देश के लोगों को इस तरह से चर्चा करने देता है। ..... '

32. अंगधर तिलक 3 0 और राजा-सम्राट v में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों पर विचार करने के बाद। सदाशिव नारायण का काल 3 2 अब हमें रेंद् दत्त मजूमदार बनाम में संघीय न्यायालय के निर्णय पर विचार करना चाहिए। राजा सम्राट 3 1. संघीय न्यायालय के निर्णय से एक अंश केदार नाथ सिंह बनाम में उद्धृत किया गया था। बिहार 2 का लेकिन उक्त निर्णय से तुरंत पहले का परिच्छेद संघीय न्यायालय भी उल्लेखनीय है और इसका प्रभाव निम्नलिखित है:

" वह समय बहुत पहले बीत चुका है जब सरकारों की केवल आलोचना राजद्रोह का गठन करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि यह माना जाता है कि ईमानदार और उचित आलोचना करने का अधिकार एक समुदाय के लिए कमजोरी के बजाय ताकत का स्रोत है। सरकार की मौजूदा प्रणाली की आलोचना को बाहर नहीं रखा गया है, न ही पूरी तरह से एक अलग प्रणाली की इच्छा की अभिव्यक्ति को। एस की भाषा।

124 - दंड संहिता के ए को अगर शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो उससे जुड़े स्पष्टीकरणों के साथ भी, लोगों की एक आश्चर्यजनक संख्या बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

कार्यकारी सरकार द्वारा दी जाने वाली व्याख्याएँ या स्वयं न्यायाधीशों द्वारा भी, और यदि इस देश में चेक अनुपस्थित है, या व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है, तो यह न्यायालयों के लिए और भी अधिक आवश्यक हो जाता है, जब इस तरह का कोई मामला उनके सामने आता है,

अपने ध्यान में लाए गए विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के लिए राजद्रोह के कानून को आधार बनाने वाले सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में बहुत अधिक परिष्कृत किए बिना, एक जूरी के स्थान पर खुद को यथासंभव स्थापित करें, और एक व्यापक दृष्टिकोण लें।

फिर ये सामान्य सिद्धांत क्या हैं? हम इसे अपनाने में संतुष्ट हैं।

आपराधिक कानून की इस शाखा से संबंधित पुस्तक: पृष्ठ: " राजद्रोह. उन सभी प्रथाओं को शामिल करता है, चाहे वे शब्द, कार्य या लेखन द्वारा हों, जो राज्य की शांति को बिगाड़ने और अज्ञानी व्यक्तियों को सरकार को नष्ट करने के लिए प्रेरित करने के लिए गणना की जाती है। राजद्रोह के उद्देश्य आम तौर पर असंतोष पैदा करना और विद्रोह, सरकार के विरोध को भड़काने के लिए, और न्याय प्रशासन को अवमानना में लाने के लिए; और बहुत प्रवृत्ति

राजद्रोह का अर्थ है लोगों को विद्रोह और विद्रोह के लिए उकसाना। राजद्रोह को कार्रवाई में बेवफाई के रूप में वर्णित किया गया है, और कानून उन सभी प्रथाओं को राजद्रोह मानता है जिनका उद्देश्य असंतोष या असंतोष को भड़काना, सार्वजनिक अशांति पैदा करना है। या गृह युद्ध की ओर ले जाना; संप्रभु को घृणा या अवमानना में लाना

या सरकार, कानून या क्षेत्र का संविधान और आम तौर पर सभी सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आर. वी. में फिट्जगेराल्ड, जे. सुलिवन 3 3. इस परिच्छेद में एक या दो शब्दों या वाक्यांशों की आलोचना करना संभव है; उदाहरण के लिए, "निष्ठा" और "निष्ठा" का एक गैर-कानूनी अर्थ भी है, और यह बहुत वांछनीय है कि

इसके और उस अर्थ के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों का उपयोग कानूनी संदर्भ में किया जाता है; लेकिन, आम तौर पर, हम सोचते हैं कि परिच्छेद कानून को सटीक रूप से बताता है जैसा कि होना चाहिए।

बड़ी संख्या में न्यायिक घोषणाओं की जांच से एकत्र किया गया।

(जोर दिया गया)

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

33. ये परिच्छेद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय ने बालगंगाधर तिलक में प्रिवी काउंसिल के फैसलों को स्वीकार किया था

1 राजा-सम्राट बनाम। सदाशिव नारायण भालेराव 3 2. द.

केदार नाथ सिंह 2 में निर्णय से कानून के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं

इसके बाद आता है: -

" "कानून द्वारा स्थापित सरकार" अभिव्यक्ति को प्रशासन चलाने में लगे व्यक्तियों से अलग किया जाना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित सरकार "राज्य का दृश्य प्रतीक है। राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा यदि सरकार द्वारा स्थापित

कानून तोड़ दिया गया है "।

.....

" धारा 124-ए के अर्थ के भीतर कोई भी कार्य जिसमें -

इसे लाकर सरकार को नष्ट करने का प्रभाव

अवमानना या घृणा में सरकार, या उसके खिलाफ असंतोष पैदा करना, दंडात्मक कानून के भीतर होगा क्योंकि कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अविश्वास या उसके प्रति शत्रुता की भावना वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए उकसावे के उपयोग से सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति के विचार को आयात करती है।

... .

" हिंसा के कृत्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करने वाली भावनाओं को उत्तेजित किए बिना, सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, चाहे कितनी भी जोरदार हों, दंडनीय नहीं होंगी। " " एक नागरिक को आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी वह चाहता है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या कानून बनाने के इरादे से हिंसा के लिए नहीं उकसाता है।

सार्वजनिक अव्यवस्था "।

" स्पष्टीकरणों के साथ समग्र रूप से पठित धारा 4-1 के प्रावधान यह यथोचित रूप से स्पष्ट करते हैं कि धाराओं का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों को दंड देना है जिनका उद्देश्य होगा:

आई. पी. सी. की धारा 124 ए और 505 के प्रति उग्रता थी।

या हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

च) "यह केवल तभी होता है जब लिखित या बोले गए शब्द, आदि, जिनमें सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता है, कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है।"

... .

छ) "हम इसके संचालन को केवल ऐसी गतिविधियों तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं जो संघीय न्यायालय की टिप्पणियों के दायरे में आती हैं, अर्थात, हिंसा के लिए उकसाने वाली गतिविधियाँ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को परेशान करने की मंशा या प्रवृत्ति।

सार्वजनिक शांति "।

जैसा कि उपरोक्त प्लेसिटम (ई) में कानून का बयान इंगित करता है, यह आई. पी. सी. 3 की धारा 124-ए और 505 के तहत मामलों पर लागू होता है। इसके अनुसार अदालतों में केवल ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिनका उद्देश्य हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करना होता है, उन्हें दंडनीय माना जाता है।

34. विद्वान वकील द्वारा उद्धृत कुछ निर्णय, स्पर्श करने वाले

प्रेस की सामग्री और अधिकार की सीमा पर भी इस स्तर पर संकेत दिया जा सकता है।

ए) इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों (बॉम्बे) के मामले में

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। 42 , इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 25. प्रेस की स्वतंत्रता, सदस्यों में से एक के रूप में

संविधान सभा ने कहा कि यह उन मदों में से एक है जिसके इर्द-गिर्द उन सभी देशों में सबसे बड़ा और सबसे कड़वा संवैधानिक संघर्ष किया गया है जहां उदार संविधान प्रचलित हैं। उक्त स्वतंत्रता काफी त्याग और पीड़ा पर प्राप्त की जाती है और अंततः इसे विभिन्न लिखित शब्दों में शामिल किया गया है। संविधान। जेम्स मैडिसन ने जब 1789 में कांग्रेस को बिल ऑफ राइट्स की पेशकश की थी, तो उन्होंने कहा था: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है, प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से इस सरकार की पहुंच से बाहर घोषित किया गया है। [1 एनल्स ऑफ कांग्रेस (1789-96) पृ. देखें। 141] . जहाँ हैं वहाँ भी

42 (1985) 1 एस. सी. सी. 641 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

कोई लिखित संविधान नहीं है, लोगों के लिए उक्त स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक सम्मेलन या न्यायिक घोषणाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के मूल दस्तावेज जिनके लिए आगे उल्लेख किया जाएगा, उक्त अधिकार को प्रमुखता देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया, जिसमें अन्य स्वतंत्रताओं के अलावा प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल थी। स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रथम संशोधन वाले अमेरिकी अधिकार विधेयक द्वारा पेश किया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों वाले अपने ऐतिहासिक प्रस्ताव में कहा था कि संविधान को भारत के सभी लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहीं और यह भी कहा कि "मैं इसके बजाय एक

एक दमित या विनियमित प्रेस की तुलना में उस स्वतंत्रता के गलत उपयोग में शामिल सभी खतरों के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस "[डी. आर. मांकेकर देखें। द प्रेस अंडर प्रेशर (1973) पी। 25] . द. संविधान सभा और इसकी विभिन्न समितियों और उप समितियों ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार किया

उल्लेखनीय है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के प्रकारों में, सार्वजनिक हित में लगाए जाने योग्य कोई भी उचित प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित नहीं है। रोमेश थापर बनाम। की स्थिति मद्रास 20 और बृज भूषण मामले को इस न्यायालय ने दृढ़ता से व्यक्त किया

इसका विचार था कि अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित के अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं हो सकते हैं और इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि जनहित के नाम पर उस स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। 32. आज की स्वतंत्र दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक संभोग का केंद्र है। प्रेस ने अब औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा देने वाले सार्वजनिक शिक्षक की भूमिका निभाई है।

1950 एससी 129:

यह विशेष रूप से विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर संभव है, जहां टेलीविजन और अन्य प्रकार के आधुनिक संचार अभी भी समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रेस का उद्देश्य है कि तथ्यों और विचारों को प्रकाशित करके जनहित को आगे बढ़ाना जिसके बिना एक लोकतांत्रिक मतदाता

जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकता है। समाचार पत्र समाचारों और विचारों के प्रसारक होने के कारण जिनका लोक प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, अक्सर ऐसी सामग्री ले जाते हैं जो

सरकारों और अन्य प्राधिकरणों के लिए स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों के लेखकों को अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए सरकार के कार्यों की आलोचना करनी होती है। इस तरह के लेख एक चिड़चिड़ा या सत्ता के लिए खतरा भी बन जाते हैं।

33. थॉमस आई. इमर्सन ने "टुवार्ड, ए जनरल थ्योरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट" नामक अपने लेख में [(1963) 72 येल लॉ जर्नल

877 पी पर। 906] एक लोकतांत्रिक समाज में और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक संस्थानों की भूमिका से निपटने के दौरान

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में यू. एस. ए. लिखते हैं:

परंपराओं, आदर्शों और मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, और अंत में सामाजिक व्यवस्था की जरूरतों, दावों और अपेक्षाओं का जवाब देना चाहिए, जिसमें वे काम करते हैं। उन्हें बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए और न ही अंततः बहुत पीछे रहना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के लिए समस्या उचित स्तर का पता लगाने की है प्रतिक्रियाशीलता और नेतृत्व , या शायद बेहतर, अल्पकालिक

और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाशीलता। फिर भी इस स्थिति की मांग करते हुए न्यायालय को अधिकार और प्रतिष्ठा को कम नहीं आंकना चाहिए

यह वर्षों से हासिल किया गया है। "समुदाय की अंतरात्मा" का प्रतिनिधित्व करते हुए इसके पास एक बहुत ही वास्तविक शक्ति हो गई है

उन उच्च मूल्यों और लक्षयों को जीवित और महत्वपूर्ण रखें जिनके लिए हमारा समाज अपूर्ण रूप से प्रयास करता है। अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की न्यायालय की शक्ति में तब तक काफी कटौती होने की संभावना नहीं है जब तक कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की पूरी संरचना खतरे में है। वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

34. ऊपर जो कहा गया है वह भारतीय न्यायालयों पर समान रूप से लागू होता है।

बल देते हैं। रोमेश थापर मामले में 20 2 0, बृज बृज भूषण

केस 4 3, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड v. संघ का

इंडिया 1 4, सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड v. भारत संघ 45 और बेनेट

कोलमैन मामला 46 इस न्यायालय ने बहुत दृढ़ता से फैसला सुनाया है

प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन। इनमें से हम कुछ का उल्लेख करेंगे।

उनमें से कुछ में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां। 35. रोमेश थापर मामले 20 में इस न्यायालय ने पी. 602 :

" ..... (स्वतंत्रता) सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव पर आधारित है।

संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक चर्चा के बिना कोई सार्वजनिक नहीं शिक्षा, जिसके उचित संचालन के लिए इतना आवश्यक है

लोकप्रिय सरकार की प्रक्रियाएँ संभव हैं। एक स्वतंत्रता

इस तरह के विस्तार में दुरुपयोग के जोखिम शामिल हो सकते हैं। (लेकिन) 'बेहतर होगा कि इसकी कुछ हानिकारक शाखाओं को उनके शानदार विकास के लिए छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि उन्हें काट दिया जाए, और जो लोग हार मान रहे हैं उनकी ताकत को नुकसान पहुँचाया जाए।

उचित फल "।

36. बेनेट कोलमैन मामले में 46 ए. एन. रे, सी. जे. की ओर से

बहुमत ने पी में कहा। 796 (एस. सी. सी पी. 823, पैरा 80) इस प्रकार:

" एक नागरिक का विश्वास है कि राजनीतिक ज्ञान और सद्गुण विचारों के मुक्त बाजार में खुद को बनाए रखेंगे जब तक कि संचार के माध्यम खुले रहेंगे। लोकप्रिय सरकार में विश्वास पुरानी कहावत 'लोगों को सच्चाई और इस पर चर्चा करने की स्वतंत्रता दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा' पर टिकी हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता एक 'वाचा का सन्दूक' बनी हुई है

हर लोकतंत्र में। समाचार पत्र विचार देते हैं। द. समाचार पत्र लोगों को यह जानने की स्वतंत्रता देते हैं कि उनके विचार क्या हैं।

सही हैं "।

37. इसी मामले में, मैथ्यू, जे. ने पी. 818 : (एससीसी

पी। 846 , पैरा 168,169)

" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी नहीं है

इतना प्रेस के लाभ के लिए है जितना कि यह जनता के लाभ के लिए है। बोलने की स्वतंत्रता में सभी नागरिकों को पढ़ने और सूचित होने का अधिकार शामिल है। इन टाइम इंक. वी. हिल [385 यू. एस. 374: 17 एल एड 2 डी 456: 87 एस सी टी 534 (1967)]

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

1958 एससी 578: 1959 एससीआर 12 1962 एससी 305: (1962) 3 एससीआर 842

2) 2 एससीसी 788: ए. आई. आर 1973 एस. सी 106: (1973) 2 एससीआर 757 [2021] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी प्रेस के लाभ के लिए उतनी नहीं है जितनी कि सभी लोगों के लाभ के लिए है।

गिरसवोल्ड वी. कनेक्टिकट 47 अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल बोलने या छापने का अधिकार शामिल है, बल्कि अधिकार भी शामिल है।

पढ़ने के लिए।

ख) एस. रंगराजन बनाम के मामले में यह न्यायालय। पी. जगजीवन राम

& Ors.48 आयोजित:

" 36. लोकतंत्र खुली चर्चा के माध्यम से लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। सरकार का लोकतांत्रिक रूप स्वयं अपने नागरिकों से समुदाय के मामलों में सक्रिय और बुद्धिमान भागीदारी की मांग करता है। लोगों के साथ सार्वजनिक चर्चा भागीदारी एक बुनियादी विशेषता और एक तर्कसंगत प्रक्रिया है

लोकतंत्र जो इसे अन्य सभी रूपों से अलग करता है

सरकार। लोकतंत्र न तो काम कर सकता है और न ही समृद्ध हो सकता है जब तक कि लोग अपने विचार साझा करने के लिए बाहर नहीं जाते। सच्चाई यह है कि प्रशासन से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा का सकारात्मक महत्व है। वाल्टर लिपमैन ने एक अन्य संदर्भ में जो कहा वह प्रासंगिक है।

यहाँ:

" जब पुरुष बुद्धि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वे तथ्यों को खोजने के लिए बाहर जाते हैं। जब वे इसे अनदेखा करते हैं, तो वे अपने अंदर जाते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ क्या है। वे अपना ज्ञान बढ़ाने के बजाय अपने पूर्वाग्रह को विस्तार से बताते हैं।

43. ब्रांडीज़, जे., व्हिटनी बनाम में। कैलिफोर्निया4 9 प्रस्तावित शायद सबसे आकर्षक स्वतंत्र भाषण सिद्धांतः

" ..... कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा एक निष्क्रिय लोग हैं; कि सार्वजनिक चर्चा एक राजनीतिक कर्तव्य है। .....विचार, आशा और कल्पना को हतोत्साहित करना खतरनाक है; कि सुरक्षा का मार्ग स्वतंत्र रूप से कथित शिकायतों और प्रस्तावित उपचारों पर चर्चा करने के अवसर में निहित है; और यह कि बुरी सलाहों का इलाज अच्छा है।

45. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र को परिभाषित करने की समस्या जब यह विभिन्न सामाजिक हितों के साथ टकराव प्रतीत होती है

जेएस 479,482: 14 एल एड 2 डी 510: 85 एससीटी 1678 (1965)

(2) एस. सी. सी. 574

जेएस 357,375-78 (1927):

71 एल एड 1045 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

अनुच्छेद 19 (2) के तहत गणना को यहाँ संक्षेप में छुआ जा सकता है। वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशेष हितों के बीच एक समझौता होना चाहिए। लेकिन हम केवल दोनों हितों को संतुलित नहीं कर सकते जैसे कि वे समान वजन के हों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमारी प्रतिबद्धता की मांग है कि इसे तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक कि परिस्थितियाँ न हों।

स्वतंत्रता की अनुमति देकर बनाया गया दबाव है और

सामुदायिक हित खतरे में है। प्रत्याशित खतरा

यह दूरगामी, अनुमानात्मक या दूरगामी नहीं होना चाहिए। इसका अभिव्यक्ति के साथ निकटवर्ती और सीधा संबंध होना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति जनहित के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति को एक "चिंगारी" के बराबर विचार की गई क्रिया के साथ अविभाज्य रूप से बंद किया जाना चाहिए।

एक शक्ति केग में "।

35. अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ में इस न्यायालय के संविधान एच के निर्णय पर भी भरोसा रखा गया था। डॉ. राम मनोहर लोहिया 50, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में दिखाई देने वाली "सार्वजनिक व्यवस्था" से संबंधित है, का हिस्सा है:

" 9. ..... "सार्वजनिक व्यवस्था" की अभिव्यक्ति बहुत व्यापक है।

इसका तात्पर्य समाज या समुदाय की सुव्यवस्थित स्थिति से है जिसमें नागरिक शांतिपूर्वक अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। शब्दों में कहें तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश "

आवश्यक अधिकार व्यवस्था की प्राथमिक आवश्यकता के अधीन हैं जिसके बिना उन अधिकारों की गारंटी एक मजाक होगी। अभिव्यक्ति को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह इसकी सातवीं अनुसूची की सूची II में आता है और इसके द्वारा भी जोड़ा गया है

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 अनुच्छेद के खंड (2) में

19. जिस अर्थ में इसका उपयोग अनुच्छेद 19 में किया गया है, वह केवल यह हो सकता है -

यह पता लगाकर सराहना की गई कि पहले लेख का अर्थ कैसे लगाया गया था

इसे उसमें डाला गया था और सुधार करने के लिए क्या दोष था जिसे संसद ने उक्त संशोधन द्वारा जोड़ा था। उक्त संशोधन से पहले अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर अनुच्छेद 19 के खंड (2) का प्रभाव इस न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के अधीन था।

रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य 20. वहाँ मद्रास सरकार, की धारा 9 (1-ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मद्रास लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949

एक आदेश जारी करें जिसके तहत उन्होंने उस राज्य में "क्रॉस रोड्स" नामक पत्रिका के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। याचिकाकर्ता ने इसमें तर्क दिया कि उक्त आदेश बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जिस समय वह आदेश जारी किया गया था, उस समय "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति थी।

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में नहीं था; लेकिन "राज्य की सुरक्षा" शब्द थे। इस बात पर विचार करते हुए कि क्या विवादित अधिनियम राज्य की सुरक्षा के हित में बनाया गया था, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, जैसा कि वे तब थे, के अवलोकन का हवाला देते हुए

स्टीफन ने अपने इंग्लैंड के आपराधिक कानून में कहा है:

" हालांकि इन सभी अपराधों में इस प्रकार की गड़बड़ी शामिल है

सार्वजनिक शांति और सिद्धांत रूप में सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध हैं, उनके बीच का अंतर केवल डिग्री का अंतर है, फिर भी उनके संबंध में दी जाने वाली सजा को वर्गीकृत करने के उद्देश्य से उन्हें अलग-अलग छोटे वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता द्वारा की गई श्रेणियाँ। इसी तरह,

संविधान, विभिन्न मानदंडों को तैयार करने में

मौलिक पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुमेय कानून

अनुच्छेद 19 (1) में उल्लिखित अधिकारों ने सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ उन अपराधों को एक अलग श्रेणी में रखा है जिनका उद्देश्य है -

राज्य की सुरक्षा को कम करना या उसे उखाड़ फेंकना, और उनकी रोकथाम को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विधायी संक्षिप्तकरण का एकमात्र औचित्य बनाया, अर्थात, राज्य की नींव को खतरे में डालने या उसे उखाड़ फेंकने की धमकी देने से कम कुछ भी राज्य की सुरक्षा में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकता है।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार "।

विद्वान न्यायाधीश ने कहना जारी रखा:

" इस प्रकार संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के क्षेत्र में एक रेखा खींचने की आवश्यकता है, जो मोटे तौर पर हो सकती है,

सार्वजनिक अव्यवस्था के उन गंभीर और बढ़े हुए रूपों के बीच की सीमा, जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए गणना की जाती है और विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व की शांति के अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघनों के लिए, इस उद्देश्य के लिए डिग्री में अंतर को इस तरह से माना जाता है जैसे कि वे प्रकार में अंतर थे। वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा:

" इसलिए हमारी राय है कि जब तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पूरी तरह से इसके खिलाफ निर्देशित नहीं किया जाता है।

राज्य की सुरक्षा को कम करने या उसे उखाड़ फेंकने के लिए, ऐसा कानून अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत आरक्षण के दायरे में नहीं आ सकता है, हालांकि जिन प्रतिबंधों को वह लागू करना चाहता है, उनकी कल्पना आम तौर पर निम्नलिखित के हितों में की गई होगी:

सार्वजनिक आदेश "।

यह निर्णय दो प्रस्तावों को स्थापित करता है। ((i) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के बराबर माना जाता है। और (ii) लोक व्यवस्था के विरुद्ध अपराधों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

श्रेणियाँ अर्थात। (क) सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख अपराध

राज्य, और (बी) विशुद्ध रूप से स्थानीय अपराधों के उल्लंघन से जुड़े छोटे अपराध

महत्व। यह न्यायालय बृज भूषण बनाम. की स्थिति

दिल्ली 4 3 ने धारा के संदर्भ में पहले के निर्णय का पालन किया 7 (1) (ग) पूर्वी पंजाब लोक सुरक्षा अधिनियम, 1949। फजल अली, जे. ने अपने असहमत निर्णय में "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति को व्यापक रूप से दिया।

बहुमत के दृष्टिकोण से दिए गए अर्थ से अधिक। विद्वान न्यायाधीश ने पी. में टिप्पणी की। 612 इस प्रकार:

" जब हम इस मामले को इस तरह से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 'सार्वजनिक अव्यवस्था' एक छोटे से दंगे या झगड़े को कवर करने के लिए काफी व्यापक है और अन्य मामले जहां लोगों के एक छोटे समूह, 'सार्वजनिक असुरक्षा' (या राज्य की असुरक्षा) से शांति भंग होती है, या प्रभावित होती है, आमतौर पर गंभीर आंतरिक स्थिति से जुड़ी होगी।

सार्वजनिक शांति के विकार और इस तरह की गड़बड़ी

राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना।

यह अवलोकन यह भी इंगित करता है कि "सार्वजनिक व्यवस्था" समान है।

सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के साथ। शायद पाने की कोशिश में

इन दो निर्णयों के प्रभाव में, अपराधों को लाने के उद्देश्य से संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द जोड़ा गया था। के दायरे में विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व का उल्लंघन शामिल है

अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत अनुमेय प्रतिबंध। इसके बाद

कहा गया संशोधन, इस न्यायालय ने रोमेश के दायरे को समझाया

बिहार राज्य में थैपर का मामला 20 बनाम। शैलबाला देवी '1. कि

मामला धारा की संवैधानिक वैधता से संबंधित था

2) एससीआर 654

[2021] 12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 (1) (क) भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियाँ) अधिनियम, 1931। यह उन शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्वों से संबंधित है जो

हत्या के किसी भी अपराध या किसी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना या उकसाना या प्रोत्साहित करना। हिंसा शामिल है। महाजन, जे., जैसा कि उन्हें तब देखा गया था, पी। 660 :

" कटौती जिसे कोई व्यक्ति उकसाने के लिए स्वतंत्र होगा

प्रेस के माध्यम से हत्या या अन्य संज्ञेय अपराध

रोमेश थैपर में हमारे फैसले से प्राप्त दंड से मुक्ति

मामले को आसानी से टाला जा सकता था क्योंकि इससे बचा जा सकता था शियरर, जे., जिन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा:

' मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ा और फिर से पढ़ा है।

अदालत, और मैं खुद उनमें कुछ भी नहीं पा सकता जो सहन करता है सीधे मुद्दे पर, और मुझे सोचने के लिए प्रेरित करता है कि, में

उनकी राय है, इस तरह का प्रतिबंध अब नहीं है अनुमति है।

999

उस धारा की वैधता पर बाद में विचार किया गया

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951

स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी बनाया गया है, और इसलिए उक्त खंड स्पष्ट रूप से "के हित में" शब्दों के दायरे में आता है

सार्वजनिक आदेश "। महाजन, जे. की टिप्पणियों के अलावा, जैसा कि वे उस समय थे, इंगित करते हैं कि संशोधन के बिना भी वह धारा अच्छी होती क्योंकि इसका उद्देश्य इसे रोकना था।

हत्या के लिए उकसाना।

10. "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्दों को अमेरिका और इंग्लैंड में भी सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध के रूप में समझा जाता था।

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कैंटेवेल वी में। कनेक्टिकट 52 इस प्रकार:

" शांति भंग के रूप में जाना जाने वाला अपराध जनता को नष्ट करने या डराने वाले आचरण की एक बड़ी विविधता को शामिल करता है।

व्यवस्था और शांति। इसमें न केवल हिंसक कृत्य और शब्द शामिल हैं जो दूसरों में हिंसा पैदा कर सकते हैं। किसी के पास यह सुझाव देने की कठोरता नहीं होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत दंगों को उकसाने पर प्रतिबंध लगाता है। जब दंगा, अव्यवस्था, यातायात में हस्तक्षेप का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो

0) 310 यू. एस. 296,308 वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

सार्वजनिक सड़कों पर, या जनता के लिए अन्य तत्काल खतरा

सुरक्षा, शांति या व्यवस्था प्रकट होती है, राज्य की शक्ति

रोकें या दंडित करें, यह स्पष्ट है।

अमेरिकी फैसलों ने सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई तरह के प्रतिबंधों को मंजूरी दी। वे उन प्रतिबंधों के पूरे सरगम को शामिल करते हैं जिन्हें हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में विभिन्न शीर्षों के तहत लगाया जा सकता है। संवैधानिक कानून पर एक प्रसिद्ध पुस्तक में दिए गए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मामलों का निम्नलिखित सारांश उन मामलों की श्रेणियों को दर्शाता है जिनमें शामिल हैं - अभिव्यक्ति। " सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, राज्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रवर्धन के माध्यम से 'तेज और कर्कश शोर' करने पर प्रतिबंध लगा सकता है और दंडित कर सकता है।

सार्वजनिक चर्चा के घंटे और स्थान को विनियमित करने वाले उपकरण, और व्यायाम के उद्देश्य से सार्वजनिक सड़कों का उपयोग

भाषण की स्वतंत्रता; बैठकों और सभाओं से उपद्रवियों को निष्कासित करने का प्रावधान, शांति या दंगे के तत्काल उल्लंघन को भड़काने की प्रवृत्ति वाले बयानों को दंडित करना, जैसा कि केवल 'सार्वजनिक असुविधा, झुंझलाहट या अशांति' पैदा करने वाले बयानों से अलग है। इंग्लैंड में भी लोक व्यवस्था अधिनियम, 1936, थिएटर अधिनियम, 1843 जैसे अधिनियम पारित किए गए: पहला किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक सभा में शांति भंग करने के इरादे से धमकी देने, अपमानजनक या अपमानजनक शब्दों या व्यवहार का उपयोग करना अपराध बनाता है या जिसके द्वारा शांति भंग होने की संभावना है, और दूसरा लॉर्ड चेम्बरलेन को किसी भी मंच नाटक को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

जब भी उन्होंने सोचा कि इसका सार्वजनिक प्रदर्शन अच्छे शिष्टाचार, शिष्टाचार और सार्वजनिक शांति के संरक्षण के खिलाफ होगा। सभी निर्णयों का अंतर्निहित कारण यह है कि यदि बोलने की स्वतंत्रता को प्रासंगिक अधिनियमों के तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, जिससे राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होगी।

11. लेकिन भारत में अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस व्यापक अवधारणा " सार्वजनिक व्यवस्था को विभिन्न शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है। यह सक्षम बनाता है

राज्य की सुरक्षा के हित में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जनता [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसमें उल्लिखित को सामान्य शीर्ष के तहत लाया जा सकता है। " सार्वजनिक व्यवस्था "अपने सबसे व्यापक अर्थों में। लेकिन द.

विभिन्न आधारों का संयोजन इंगित करता है कि, हालांकि

कभी-कभी वे ओवरलैप करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें सामान्य रूप से अभिप्रेत होना चाहिए

एक-दूसरे को अलग करने के लिए। "सार्वजनिक व्यवस्था" इसलिए कुछ है जो दूसरों से सीमांकित है। उस सीमित अर्थ में,

विशेष रूप से संशोधन के इतिहास को देखते हुए, यह हो सकता है यह अभिधारणा कि "सार्वजनिक व्यवस्था" सार्वजनिक शांति का पर्याय है,

सुरक्षा और शांति। ”

(जोर दिया गया)

36. धारा 124 ए की प्रयोज्यता से निपटने के बाद

आई. पी. सी. 3 और एक नागरिक और प्रेस के अधिकारों की सामग्री, अगला चरण यह देखना है कि क्या याचिकाकर्ता अपनी दलील में सही है कि नहीं

अपराध जैसा कि आरोप लगाया गया है, बनाया गया है। हमें उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके आधार पर एक प्राथमिकी या एक शिकायत या लंबित आपराधिक

कार्यवाही रद्द की जा सकती है। वे सिद्धांत, हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के बाद और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 5 3

अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। हालाँकि हम इस न्यायालय के दो फैसलों का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ आई. पी. सी. 3 की धारा 153 ए और 505 के तहत कथित अपराधों के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

ए) मंजार सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और

विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें पुस्तक लिखी गई थी "; और स्वीकार किया कि शब्दों के प्रभाव को उचित, मजबूत दिमाग, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए। यह देखा गया: -

" 16. आई. पी. सी. की धारा 153-ए, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, एक मामले को शामिल करती है।

जहाँ कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या

दृश्य प्रतिनिधित्वों द्वारा या अन्यथा, बढ़ावा देता है या करने का प्रयास करता है दोनों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना, वैमनस्य या भावनाएँ

विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जातियाँ या सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल समुदाय या कार्य या

53 (1992) पूरक 1 एस. सी. सी. 335

54 (2007) 5 एस. सी. सी. 1 VINOD DUA v.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। अपराध का सार यह है कि

दुश्मनी या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का इरादा

अभियुक्त की ओर से पुरुषों का अस्तित्व प्रतीत होता है। इरादे को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई थी। धारा 153-ए के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आरोप को साबित करने के लिए कोई भी जोरदार शब्दों और अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में कोई यहां एक वाक्य और वहां एक वाक्य ले सकता है और उन्हें एक वाक्य से जोड़ सकता है। अनुमानित तर्क की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया।

17. रमेश बनाम। भारत संघ 55 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टीवी

धारावाहिक तमस में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को नहीं दर्शाया गया था और आई. पी. सी. की धारा 153-ए के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। यह धारा के तहत आने वाली राष्ट्रीय एकता के लिए भी प्रतिकूल नहीं था

153 - बी आई. पी. सी. विवियन बोस की टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, जे।

भगवती चरण शुक्ल बनाम। प्रांतीय सरकार। 56 न्यायालय

यह देखा गया कि:

" शब्दों के प्रभाव को विवेकपूर्ण, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के, न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं। ..... यह मानक है साधारण तर्कसंगत व्यक्ति या जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं 'एक क्लैफम सर्वव्यापी के शीर्ष पर आदमी'। (रमेश मामले,

एस. सी. सी पी. 676 , पैरा 13) "

ख) पेट्रीसिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य और अन्य में ",

आई. पी. सी. 3 की धारा 153ए और 505 (1) (सी) के तहत अपराधों के मूल घटक को सामने लाने का स्पष्ट इरादा अनुपस्थित पाया गया। यह टी देखा गया:

" 13. तत्काल मामले में, इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह प्रश्न जो हमारे लिए उत्पन्न होता है विचार यह है कि क्या फेसबुक पोस्ट-दिनांकित 04.07.2020 था

8) 1 एस. सी. सी. 668

1947 नाग 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानबूझकर वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और

दो समुदायों के बीच शत्रुता भड़काने की प्रवृत्ति। एक निकटता

फेसबुक पोस्ट की जांच से संकेत मिलेगा कि की पीड़ा

अपीलार्थी को प्रमुख द्वारा दिखाई गई उदासीनता के खिलाफ निर्देशित किया गया था

मेघालय के मंत्री, पुलिस महानिदेशक और

क्षेत्र के दरबार श्नोंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने में

गैर-आदिवासी युवाओं पर हमला करने वाले अपराधी। अपीलार्थी

1979 में गैर-आदिवासियों पर हमलों का उल्लेख किया। अधिक से अधिक,

अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि आपराधिक तत्वों का कोई समुदाय नहीं है और उन व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने

खेल रहे गैर-आदिवासी युवाओं पर क्रूर हमले में लिप्त

बास्केटबॉल। फेसबुक पोस्ट को पूरी तरह से पढ़ने के लिए अनुरोध किया जाता है

मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों की समानता। हमारे देश में

यह समझते हुए कि अपीलार्थी का कोई इरादा नहीं था

वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देना। क्योंकि कोई प्रयास नहीं किया गया है

अपीलार्थी द्वारा किसी समुदाय के लोगों को उकसाने के लिए

किसी भी हिंसा में लिप्त होना, अपराध के मूल तत्व धारा 153 ए और 505 (1) (सी) नहीं बनाई गई हैं। कहाँ?

एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही वे हों

उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है

प्रत्यक्ष रूप से किसी भी अपराध का गठन करता है या उसके खिलाफ मामला बनाता है

अभियुक्त, एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।"

37. उत्तरदाताओं के अनुसार, वर्तनी अपराधों के अलावा

एफ. आई. आर. में कुछ अन्य अपराध भी सामने आए हैं। इसलिए, तत्काल मामले को दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए, अर्थात् क्या प्राथमिकी में बताए गए अपराधों में से कोई भी और क्या जो उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों में संदर्भित हैं, वे बनाए गए हैं या नहीं।

38. एफ़. आई. आर. में दिए गए दो गलत बयानों को दरकिनार करते हुए जो

ऊपर पैराग्राफ 27 में चर्चा की गई थी, टॉक शो के निम्नलिखित दावों पर यह कहने के लिए भरोसा किया जाता है कि कथित अपराध बनाए गए हैं: -

" i) हमारी सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि हमारे पास परीक्षण करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

58 हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

अब तक हमें कोई जानकारी नहीं है कि कैसे

(ख)

कई (पी. पी. ई. सूट, एन 95 मास्क और मास्क)

3 प्लाई) हमारे पास है और कितने कब तक उपलब्ध हो जाएंगे।

iii) अन्य देशों और भारत में आवश्यक वेंटिलेटर, श्वसन उपकरण और

सैनिटाइजर को उपयोग के लिए रखने के बजाय 24.3.2020 तक निर्यात किया जा रहा था।

हमारे देश में।

iv) उस आपूर्ति श्रृंखला के कारण बाधित हो गया

सड़कों का अवरोध और अब यह सुना जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन

अनुमति दी गई।

यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि जब

v)

आपूर्ति श्रृंखलाएं बंद हो गई हैं, जब दुकानें बंद होती हैं, तो कुछ लोग इस हद तक चले गए थे कि उन्हें डर था कि हमारे देश में खाद्य दंगे नहीं हो सकते हैं।

vi) जब लोग मुंबई से लौटने लगे तो यह उनके लिए एक बड़ा संकेत होना चाहिए था।

प्रभाव के बारे में सरकार देश में पूर्ण लॉकडाउन लाया जा सकता है, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया।

39. अब हम इन कथनों पर विचार करते हैं।

ए) यह आम जानकारी है कि दुनिया भर के देश

कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में खुद को अभाव में पाया। इस देश की आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए, महामारी के प्रसार और प्रभाव को मापने और जांचने के लिए परीक्षण सुविधाएं, कम से कम महामारी के प्रारंभिक चरणों में। उच्छाल, बिल्कुल पर्याप्त नहीं थे। यदि उस प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने परीक्षण सुविधाओं या पी. पी. ई. सूट, एन-95 मास्क और 3 प्लाई के मास्क के बारे में कोई टिप्पणी की है, तो पहले दो बयानों में वे टिप्पणियां, स्थिति के मूल्यांकन के अलावा और कुछ नहीं हो सकती हैं। यह उत्तरदाताओं का मामला भी नहीं था कि ये दोनों कथन तथ्यात्मक थे।

गलत है।

(ख) तीसरे कथन के संबंध में,

उत्तरदाताओं का कहना था कि 19.03.2020 और [2021] 12 एस. सी. आर. पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।

अतः उक्त कथन पूर्णतया सही नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 19.03.2020 पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले वास्तविक निर्यात का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया था और प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत कोई निर्यात नहीं किया गया था।

(घ) तथापि, पाँचवें और छठे कथन पर काफी हद तक जोर दिया गया था और यह दृढ़ता से तर्क दिया गया था कि - बयानों ने न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दी, बल्कि आम जनता को उकसाने के समान था और इस तरह की गलत जानकारी के कारण प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही शुरू हो गई थी।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद के साक्षात्कार पर निर्भरता रखी गई थी जो 28.03.2020 पर रिपोर्ट की गई थी कि यदि भोजन

लॉकडाउन, खाद्य दंगों की वास्तविक संभावना हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक टॉक शो अपलोड किया गया था, तब तक प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी और चरम पर थी। 40. यहाँ यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि 2020 की रिट याचिका (सी) No.468 (अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम। भारत संघ आदि) और जुड़े हुए

दो अधिवक्ताओं द्वारा 29.03.2020 पर दायर याचिका 5 9 में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करने की मांग की गई थी। ये मामले इस न्यायालय के समक्ष 31.03.2020 पर सामने आए जब यह देखा गया:

" तत्काल रिट याचिकाओं में, हम उन प्रवासी मजदूरों के बारे में चिंतित हैं जो दूर के स्थानों पर स्थित अपने गृह गाँवों/कस्बों के लिए अपने कार्यस्थल छोड़ना शुरू कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, हजारों प्रवासी मजदूर राजमार्गों पर पैदल चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अपने घरों तक पहुंचने के लिए दिल्ली से निकले।

59 2020 की लिखित याचिका (सी) No.469 (रश्मि बंसल बनाम। भारत संघ)

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

हमें सूचित किया जाता है कि जो मजदूर बेरोजगार हैं, उनके कारण

तालाबंदी अपने अस्तित्व के बारे में आशंकित थी। कुछ झूठी खबरों से दहशत पैदा हो गई थी कि लॉकडाउन तीन महीने से अधिक समय तक चलेगा।

सुनवाई के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने एक बयान दिया कि आज दोपहर 2:30 बजे नियंत्रण कक्ष को प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 21,064 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जहां प्रवासी मजदूरों को स्थानांतरित किया गया है और उन्हें भोजन, दवाएं, पेयजल आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 6,66,291 व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किए गए हैं और 22,88,279 व्यक्तियों को भोजन प्रदान किया गया है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल ने यह प्रस्तुत करने के लिए स्थिति रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है कि प्रवासी मजदूरों का पलायन कुछ नकली/भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया द्वारा पैदा की गई दहशत के कारण हुआ था। इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करते हुए कि प्रवासी मजदूरों को पास के आश्रयों/राहत शिविरों में स्थानांतरित किया जा रहा है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, भारत संघ ने इस न्यायालय से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या सोशल मीडिया द्वारा नकली और गलत रिपोर्टिंग को रोकने के लिए एक और निर्देश की मांग की गई, जो समाज में दहशत पैदा करेगा।

शहरों में काम करने वाले बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन लॉकडाउन की झूठी खबर से उत्पन्न दहशत के कारण शुरू हुआ था।

यह तीन महीने से अधिक समय तक जारी रहेगा। इस तरह के दहशत से प्रेरित प्रवास ने उन लोगों को अनकही पीड़ा दी है जो इस तरह की खबरों पर विश्वास करते हैं और कार्रवाई करते हैं। वास्तव में, कुछ लोगों ने [2021] 12 एस. सी. आर. में अपनी जान गंवा दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया। इसलिए हमारे लिए इस खतरे को नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरों का प्रचार करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 में ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान है जो गलत अलार्म बजाता है या प्रसारित करता है या

आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के बारे में चेतावनी, जिससे दहशत फैलती है। ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाएगी जो

एक साल तक या जुर्माने के साथ।

लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा होगी। एक परामर्श जो जनता द्वारा दिए गए आदेश की प्रकृति का हो।

हम विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित हैं। , राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और इस देश के नागरिक ईमानदारी से इसका पालन करेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत संघ द्वारा जारी किए गए निर्देशों, सलाह और आदेशों के साथ।

विशेष रूप से, हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल) जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि दहशत पैदा करने में सक्षम असत्यापित समाचार का प्रसार न हो। लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और मंचों सहित सभी मीडिया माध्यमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा एक दैनिक बुलेटिन जारी किया जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत 24 घंटे की अवधि के भीतर सक्रिय किया गया। हम स्वतंत्र में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं

महामारी के बारे में चर्चा, लेकिन मीडिया को निर्देश दें और

घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक संस्करण प्रकाशित करें।

41. उपरोक्त आदेश में उल्लिखित घटनाक्रमों से पता चलता है कि प्रवासी श्रमिकों की अपने गृहनगर या गाँवों में वापसी ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। रिट याचिकाओं में उन मुद्दों को सामने लाया गया, जिनके जवाब में सरकार द्वारा दिखाई गई चिंता और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में रखा गया। इस न्यायालय ने सुझाव दिया कि भारत सरकार द्वारा एक दैनिक बुलेटिन सक्रिय किया जाए ताकि आम जनता को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके और इस प्रकार प्रवासी श्रमिकों के पलायन की जांच की जा सके। हालाँकि, आदेश उस समस्या की गंभीरता को भी दर्शाता है जिसके लिए लगभग 6,66,291 व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता थी और

22,88,279 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए।

42. इसलिए 30.03.2020 पर जो प्रचलित था वह स्पष्ट था और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गृहनगर/गाँवों की ओर बढ़ रहे थे। परिस्थितियों में, स्वाभाविक रूप से कुछ होगा

रास्ते में उन्हें प्रदान किए जाने वाले आश्रय और भोजन के बारे में आशंका। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से एक संभावना व्यक्त की थी। यदि याचिकाकर्ता अपने टॉक शो में, जो कि इस अदालत द्वारा मामला उठाए जाने से पहले ही है, अपने 5वें और 6वें बयान में कुछ दावे करता है, तो उसे यह कहने का अधिकार होगा कि एक पत्रकार के रूप में वह बहुत चिंता के मुद्दों को छू रहा था ताकि पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

विशुद्ध रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप गृहनगर/गाँव। प्रवासी श्रमिकों की इस तरह की आवाजाही बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। इन परिस्थितियों में, इन बयानों को न तो प्रवासी श्रमिकों को उनकी ओर बढ़ने के लिए उकसाने का प्रयास माना जा सकता है। गृहनगर या गाँव न ही इसे किसी भी खाद्य दंगे के लिए उकसाने के रूप में लिया जा सकता है।

आई. डी. 1 के आसपास स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक थी और एक पत्रकार के रूप में यदि याचिकाकर्ता ने कुछ चिंता दिखाई, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने आरोप के अनुसार अपराध किए हैं।

43. केदार नाथ सिंह 2 में न्यायालय के निर्णय से ऊपर पैराग्राफ 33 में निकाले गए सिद्धांतों से पता चलता है कि एक नागरिक के पास सरकार और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए उपायों की आलोचना करने या उन पर टिप्पणी करने का अधिकार, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता है; और यह केवल तभी है जब शब्दों या अभिव्यक्तियों में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा हो कि आई. पी. सी. 3 की धारा 124 ए और 505 में हस्तक्षेप करना चाहिए।

हमारे विचार में, याचिकाकर्ता के बयान, जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि केदार नाथ सिंह 2 में निर्णय से उत्पन्न सिद्धांतों के आलोक में और मामले की पृष्ठभूमि के खिलाफ पढ़े जाते हैं।

जब परिस्थितियाँ बनाई गई थीं, तो उन्हें सरकार और उसके अधिकारियों के कार्यों की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है ताकि मौजूदा स्थिति को जल्दी और कुशलता से संबोधित किया जा सके। वे निश्चित रूप से लोगों को उकसाने के इरादे से नहीं बनाए गए थे या [2021] 12 एस. सी. आर. नहीं दिखाए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति। याचिकाकर्ता केदार नाथ सिंह 2 में इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर था। यह हो सकता है कि प्रतिबंध आने की तारीख के संबंध में तीसरे कथन में कुछ तथ्यात्मक विवरण हों।

वास्तव में पूरी तरह से सही नहीं थे। हालांकि, पूरे टॉक शो के उतार-चढ़ाव और सभी बयानों को एक साथ रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने केदार नाथ सिंह 2 में इस अदालत के फैसले में निर्धारित सीमाओं को पार कर लिया है।

44. इसलिए हमारा दृढ़ विचार है कि याचिकाकर्ता पर धारा 124 ए और 505 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए।

(ख) आई. पी. सी. की धारा 3 अन्यायपूर्ण होगी। एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए उन अपराधों को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है और उनके संबंध में कोई भी अभियोजन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

45. एफ. आई. आर. में निर्दिष्ट अन्य उल्लंघनकारी प्रावधान आई. पी. सी. 3 की धारा 501 है जो किसी ऐसे मामले को छापना या उत्कीर्ण करना है जो

किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक। वास्तव में, आई. पी. सी. 3 के अध्याय 21 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में संज्ञान (धारा)

501 आई. पी. सी. की धारा 3 उक्त अध्याय का हिस्सा है) न्यायालय द्वारा केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ही लिया जा सकता है। इस तरह की तकनीकी बातों में गए बिना, हमारे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बयान आई. पी. सी. 3 की धारा 499 के दूसरे और तीसरे अपवादों में शामिल होंगे। इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए, जवाहरलाल दर्डा और अन्य बनाम मनोहरराव गणपतराव मामले में।

कापसीकर और एक अन्य ", राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे और

अन्य बनाम उत्तम और अन्य 1, विवेक गोयनका और अन्य बनाम वाई. आर. पाटिल 62, और एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल और अन्य 3, आई. पी. सी. 3 की धारा 499 के अपवादों पर भरोसा करते हुए, अभियुक्तों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार, जहां तक आई. पी. सी. की धारा 501 3 का संबंध है, तत्काल कार्यवाही भी रद्द किए जाने के योग्य है।

46. एफ. आई. आर. में निर्दिष्ट अन्य प्रावधान आई. पी. सी. 3 की धारा 268 थी जो "सार्वजनिक उपद्रव" की परिभाषा के अलावा और कुछ नहीं है और अपने आप में एक दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो किसी भी सजा को निर्धारित करता है। यह था।

62 (2000) 9 एससीसी 87 63 (2010) 5 एस. सी. सी. 600 वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रत्यर्थी का मामला यह भी नहीं है कि तत्काल मामले में "सार्वजनिक उपद्रव" के तत्व से जुड़ा कोई दंडात्मक प्रावधान आकर्षित किया गया था।

47. इस प्रकार, हमारे विचार में, एफ. आई. आर. में उल्लिखित सभी अपराध

दृश्य, बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं।

48. अब हम उन अपराधों के संबंध में मामले की ओर मुड़ते हैं जो

एफ. आई. आर. में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्राथमिकी में विशेष रूप से निर्धारित अपराधों के अलावा, याचिकाकर्ता डी. एम. अधिनियम 1 की धारा

52 और 54 और आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराधों का भी दोषी होगा। इसके अनुसार प्रत्यर्थियों, टॉक शो के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान एक गलत चेतावनी प्रसारित करने के बराबर थे और इसलिए डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 54 द्वारा कवर किए जाएंगे; और यह कि याचिकाकर्ता 24.3.2020 और 28.3.2020 (पैराग्राफ 14 में पहले निर्धारित) दिनांकित संचार का उल्लंघन करने और इस तरह आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत अपराध करने का भी दोषी होगा।

49. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता के लिए यह था कि डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 6064 के आधार पर, डी. एम. अधिनियम 1 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान केवल कुछ नामित अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा की जा रही शिकायत पर ही लिया जा सकता है। इसी तरह, आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत अपराध के संबंध में, संहिता की धारा 195 के आधार पर, केवल संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर संज्ञान लिया जा सकता है, जिसके आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो प्रशासनिक रूप से ऐसे लोक सेवक से श्रेष्ठ था। ये वैधानिक

आवश्यकताएँ पूरी न होने पर, यह निवेदन कि डी. एम. अधिनियम 1 और आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध बनाए गए थे, को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। दौलत राम बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर उनके द्वारा भरोसा रखा गया था। पंजाब राज्य "और सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम। तमिलनाडु राज्य के साथ-साथ मामले

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकरण या अधिकारी, जैसा भी मामला हो; या (ख) कोई भी व्यक्ति जिसने कथित अपराध के बारे में निर्धारित तरीके से कम से कम तीस दिनों की सूचना दी है और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी को शिकायत करने का इरादा है।

65 एआईआर 1962 एससी 1206 66 (2010) 9 एससीसी 567 [2021] 12 एस. सी. आर.

प्रस्तुतिकरण का दूसरा पहलू यह था कि योग्यता के आधार पर भी,

याचिकाकर्ता द्वारा अपने टॉक शो में दिए गए बयान दोनों कथित वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे और इसलिए याचिकाकर्ता उस राहत का हकदार था जिसके लिए अनुरोध किया गया था।

50. जवाब में, श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 60 और संहिता की धारा 195 में उल्लिखित निषेधाज्ञा केवल इस स्तर पर लागू होगी -

न्यायालय द्वारा संज्ञान और इस प्रकार संज्ञान के चरण से पहले के स्तर पर इन प्रावधानों के आह्वान पर कोई रोक नहीं होगी।

51. हमें तकनीकी मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या डी. एम. अधिनियम 1 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है।

और/या आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के तहत केवल एक उपयुक्त निर्णय के बाद ही हो सकता है।

शिकायत लिखित रूप में की जाएगी जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि हमारे विचार में, इनमें से कोई भी अपराध नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उत्तरदाता तत्काल मामले में आकर्षित हो जाते हैं। ए) आई. पी. सी. 3 की धारा 188 "लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा" से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति, हालांकि अन्य बातों के साथ-साथ किसी निश्चित कार्य से दूर रहने का निर्देश देता है, ऐसे निर्देश या आदेश को जारी करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त लोक सेवक द्वारा जारी निर्देश की अवज्ञा करता है,

आई. पी. सी. 3 की धारा 188 आकर्षित हो सकती है। 24.3.2020 और 28.3.2020 दिनांकित संचार जो पहले उद्धृत किए गए हैं, दबाए गए थे।

सेवा में और यह प्रस्तुत किया गया था कि कहा गया संचार जिसका पालन करने के लिए हर कोई बाध्य और बाध्य था, याचिकाकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया था। हमने इन संचारों को देखा है और हमारे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए टॉक शो के परिणामस्वरूप इसमें कुछ भी उल्लंघन नहीं किया गया था। इसके बाद यह प्रस्तुत करने के लिए 31.3.20207 के आदेश पर भरोसा करने का प्रयास किया गया कि इस न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए थे और मीडिया से अपेक्षा की थी कि वह जिम्मेदारी की मजबूत भावना बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि दहशत पैदा करने में सक्षम असत्यापित समाचार का प्रसार न हो। सबसे पहले, 31.3.2020 पर निर्देश जारी किया गया था, यानी 30.3.2020 पर प्रकरण अपलोड किए जाने के बाद और दूसरा, हमें याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं मिली है, जिसके आधार पर संभवतः यह कहा जा सकता है कि वह किसी भी ऐसी खबर को प्रसारित करने का प्रयास कर रहा था जो दहशत पैदा करने में सक्षम हो। नतीजतन, आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे।

ख) डी. एम. अधिनियम '1 की धारा 52 किसी व्यक्ति द्वारा कोई राहत, सहायता आदि प्राप्त करने के लिए झूठा दावा दर्ज करने से संबंधित है, जिसका प्रावधान का वर्तमान तथ्य स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। धारा 54 वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. से संबंधित है।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसे मामले जहां कोई व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के बारे में गलत चेतावनी या चेतावनी देता है या प्रसारित करता है, जिससे दहशत फैलती है। हम पहले ही मान चुके हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान केदार नाथ सिंह 2 में इस अदालत के फैसले द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थे और ये बयान सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए लोगों को उकसाने के इरादे के बिना थे। यह भी सुझाव नहीं दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप किसी भी तरह की घबराहट की स्थिति के परिणामस्वरूप

देश।

52. इन परिस्थितियों में, तकनीकी पहलुओं में गए बिना कि क्या कार्यवाही की शुरुआत केवल डी. एम. अधिनियम 1 की धारा 60 या संहिता की धारा 195 के अनुरूप दायर की गई शिकायत के माध्यम से हो सकती है, हमारे विचार में, डी. एम. अधिनियम 1 या आई. पी. सी. 3 की धारा 188 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हैं।

53. नतीजतन, हम इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई पहली प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और यहां दर्ज की गई 6.5.2020 दिनांकित No.0053 प्राथमिकी को रद्द करते हैं।

पुलिस थाना कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश और उससे उत्पन्न होने वाली कोई भी कार्यवाही। हालाँकि हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि एच. डब्ल्यू. न्यूज़ के स्वामित्व से संबंधित मुद्दे जिन्होंने टॉक शो प्रसारित किया था या

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के उल्लंघन की प्रकृति और प्रभाव, यदि कोई हो, पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे रिट याचिका में की गई पहली प्रार्थना का निर्धारण करने के लिए सख्ती से चिंतित नहीं हैं। 54. अब हम रिट याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना पर आते हैं, जिसके समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा निर्णयों पर भरोसा किया गया था।

जैकब मैथ्यू और ललिता कुमारिस में इस न्यायालय का। जैकब मैथ्यू 4 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने चिकित्सा पेशेवरों के अभियोजन के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए।

" दिशानिर्देश-पुन:: चिकित्सा पेशेवरों पर मुकदमा चलाना 50. जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि डॉक्टरों (शल्यचिकित्सकों और चिकित्सकों) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के मामले बढ़ रहे हैं। कभी-कभी इस तरह के अभियोजन निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर किए जाते हैं और कभी-कभी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने और संज्ञान लिए जाने पर। जाँच अधिकारी और निजी शिकायतकर्ता को हमेशा चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं होना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अभियुक्त चिकित्सा पेशेवर का कार्य आई. पी. सी. की धारा 304-ए के तहत आपराधिक कानून के दायरे में जल्दबाजी या लापरवाही के समान है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद चिकित्सा पेशेवर विषय गंभीर शर्मिंदगी और कभी-कभी उत्पीड़न। उसे करना पड़ता है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत लें, जो उन्हें दी जा सकती है या नहीं भी।

उसे। अंत में उसे बरी या आरोपमुक्त करके दोषमुक्त किया जा सकता है।

लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ है, वह नहीं हो सकता।

किसी भी मानक द्वारा क्षतिपूर्ति। 51. हमें इस धारणा के रूप में नहीं समझा जा सकता है कि डॉक्टर कभी नहीं कर सकते

किसी ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए जिसमें लापरवाही या लापरवाही की गई हो।

एक आवश्यक घटक। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह इस बात पर जोर देना है कि

जो चिकित्सा पेशा संभवतः मनुष्यों को प्रदान करता है सबसे महान, और इसलिए डॉक्टरों की सुरक्षा की आवश्यकता है

तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजनों से। कई शिकायतकर्ता पसंद करते हैं

चिकित्सा पर दबाव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेना

अनावश्यक या अन्यायपूर्ण मुआवजा निकालने के लिए पेशेवर।

इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही से बचा जाना चाहिए।

52. कुछ को शामिल करते हुए सांविधिक नियम या कार्यकारी निर्देश

सरकार द्वारा दिशा-निर्देश तैयार करने और जारी करने की आवश्यकता है

भारत और/या राज्य सरकारों के परामर्श से

भारतीय चिकित्सा परिषद। जब तक यह नहीं किया जाता है, हम प्रस्ताव करते हैं

भविष्य के लिए कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करें जिन्हें नियंत्रित करना चाहिए।

उन अपराधों के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा चलाया जाता है जिनके लिए आपराधिक लापरवाही

या आपराधिक लापरवाही एक घटक है। एक निजी शिकायत हो सकती है जब तक शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया पेश नहीं करता है तब तक उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक विश्वसनीय राय के रूप में अदालत के समक्ष प्रत्यक्ष साक्षय

के प्रभार का समर्थन करने के लिए एक अन्य सक्षम डॉक्टर द्वारा दिया गया

अभियुक्त चिकित्सक की ओर से जल्दबाजी या लापरवाही। द.

जल्दबाजी या लापरवाही के कार्य या चूक का आरोपी, एक स्वतंत्र प्राप्त करें और सक्षम चिकित्सा राय अधिमानतः एक डॉक्टर से

सरकारी सेवा, चिकित्सा अभ्यास की उस शाखा में योग्य

जिनसे आम तौर पर निष्पक्ष और निष्पक्ष देने की उम्मीद की जा सकती है

में एकत्र किए गए तथ्यों के लिए बोलम '7 परीक्षण को लागू करने वाली राय

जांच पड़ताल की। उतावलापन या लापरवाही का आरोप लगाने वाला डॉक्टर, हो सकता है

नियमित तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता है (केवल इसलिए कि एक आरोप है

उसके खिलाफ आरोप लगाया गया)। जब तक कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक न हो

एम बनाम फ्रियरन अस्पताल प्रबंधन समितिः (1957) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 582: (1957) 2 सभी 8 (क्यू. बी. डी.)

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

जाँच को आगे बढ़ाना या साक्षय एकत्र करना या जब तक कि

जाँच अधिकारी संतुष्ट महसूस करता है कि डॉक्टर आगे बढ़ गया

खिलाफ अभियोजन का सामना करने के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराएगा

जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, गिरफ्तारी को रोका जा सकता है।

(जोर दिया गया)

55. उपरोक्त दिशानिर्देश जारी करने से पहले, इस न्यायालय ने विचार किया

आई. पी. सी. 3 की धारा 88,92 और 93 के नीचे उल्लिखित वासनाएँ और

प्रासंगिक निर्णय, जिसके बाद निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था

=

कुछ ऐसा जो एक समझदार व्यक्ति उन विचारों द्वारा निर्देशित होता है जो आम तौर पर मानव मामलों के संचालन को विनियमित करता है,

या कुछ ऐसा करना जो एक विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा।

रतनलाल और धीरजलाल (न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा संपादित) ऊपर, अच्छा है। लापरवाही कार्रवाई योग्य हो जाती है

कार्य या चूक के परिणामस्वरूप हुई चोट का लेखा-जोखा

मुकदमा दायर किए गए व्यक्ति की लापरवाही। जरूरी बात

लापरवाही के तीन घटक हैं: " कर्तव्य "", उल्लंघन "और

(2) चिकित्सा पेशे के संदर्भ में लापरवाही अनिवार्य रूप से एक अंतर के साथ उपचार के लिए कॉल करें। जल्दबाजी का अनुमान लगाने के लिए या

एक पेशेवर की ओर से लापरवाही, विशेष रूप से एक डॉक्टर,

अतिरिक्त विचार लागू होते हैं। व्यावसायिक लापरवाही का मामला यह पेशेवर लापरवाही से अलग है। एक साधारण कमी

देखभाल, निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना, लापरवाही का प्रमाण नहीं है

एक चिकित्सा पेशेवर की ओर से। जब तक एक डॉक्टर अनुसरण करता है

उस दिन के चिकित्सा पेशे के लिए स्वीकार्य एक प्रथा, वह

लापरवाही के लिए केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि एक बेहतर उपचार का वैकल्पिक तरीका या तरीका भी उपलब्ध था या

सिर्फ इसलिए कि एक अधिक कुशल डॉक्टर ने नहीं चुना होगा

उस प्रथा या प्रक्रिया का पालन करें या उसका सहारा लें जो अभियुक्त

पीछा किया। जब सावधानी बरतने में विफलता की बात आती है, तो क्या

यह देखना होगा कि क्या वे सावधानियां बरती गईं जो [2021] 12 एस. सी. आर.

पुरुषों का सामान्य अनुभव पर्याप्त पाया गया है; विशेष या असाधारण सावधानियों का उपयोग करने में विफलता जो हो सकती है

विशेष घटना को रोकना कथित लापरवाही का न्याय करने के लिए मानक नहीं हो सकता है। तो भी, देखभाल का मानक, जबकि

पेशा. प्रत्येक पेशेवर के लिए उस शाखा में उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता या कौशल होना संभव नहीं है जिसका वह अभ्यास करता है। एक अत्यधिक कुशल पेशेवर के पास बेहतर गुण हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही के अभियोग पर कार्रवाई किए गए पेशेवर के प्रदर्शन को आंकने के लिए इसे आधार या पैमाना नहीं बनाया जा सकता है। (4) जैसा कि बोलम मामले 67 में निर्धारित चिकित्सा लापरवाही का निर्धारण करने के लिए परीक्षण भारत में इसकी प्रयोज्यता में अच्छा है।

आपराधिक कानून में लापरवाही जरूरी है। लापरवाही के अपराध के रूप में माने जाने के लिए, मेन्स रिया के तत्व का अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए। आपराधिक लापरवाही के रूप में किसी कार्य के लिए, लापरवाही बहुत अधिक यानी सकल या बहुत अधिक होनी चाहिए।

डिग्री। लापरवाही जो न तो सकल है और न ही उच्च स्तर की है, नागरिक कानून में कार्रवाई के लिए आधार प्रदान कर सकती है लेकिन अभियोजन के लिए आधार नहीं बना सकती है। (6) आई. पी. सी. की धारा 304-ए में "सकल" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी यह तय किया गया है कि आपराधिक कानून में लापरवाही या लापरवाही, इस तरह से मानी जाने के लिए, इतनी उच्च डिग्री की होनी चाहिए कि "सकल" हो।

द विनॉड डुआ वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

धारा 304-ए आई. पी. सी. में होने वाली अभिव्यक्ति "जल्दबाजी या लापरवाही कार्य" को "स्थूल रूप से" शब्द द्वारा योग्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। (7) आपराधिक कानून के तहत लापरवाही के लिए एक चिकित्सा पेशेवर पर मुकदमा चलाने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा करने में विफल रहा जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी चिकित्सा पेशेवर ने अपने सामान्य ज्ञान और विवेक से नहीं किया होगा या करने में विफल रहा होगा। अभियुक्त चिकित्सक द्वारा लिया गया जोखिम इस तरह का होना चाहिए कि जिसके परिणामस्वरूप चोट लगी हो

सबसे अधिक संभावना निकट है "।

56. निष्कर्ष (4) में निर्दिष्ट बोलम 67 मामले को निर्णय के परिच्छेद 20 में निम्नानुसार निपटाया गया था:

" 20. बोलाम '7 परीक्षण का पानी तब से कई पुलों के नीचे उड़ता और गुजरता रहा है, जिसे एक के बाद एक कई न्यायिक घोषणाओं में उद्धृत और निपटाया गया है और यह जारी है।

हर तट से अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है जो इसे साफ, साफ और अच्छी तरह से संघनित के रूप में छुआ है। विभिन्न अधिकारियों की समीक्षा के बाद बिंघम, एल. जे. ने एकर्सली बनाम में अपने भाषण में कहा। बिन्नी टेस्ट इन द निम्नलिखित शब्द: (कोन एल. आर पी. 79)

वह अपने पेशे के अन्य सामान्य रूप से सक्षम सदस्यों की तुलना में कम विशेषज्ञता, कौशल और देखभाल नहीं करता है। लेकिन अधिक लाने की आवश्यकता नहीं है। मानक उचित औसत का है। कानून एक पेशेवर व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करता है कि वह बहुश्रुत और पैगंबर के गुणों का संयोजन करने वाला आदर्श हो। (चार्ल्सवर्थ और पर्सी, आई. बी. आई. डी. , पैरा 8.04) "

-8) 18 कोन एल. आर. 1 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. निर्णय से जो स्पष्ट होता है वह यह है कि आपराधिक कानून में लापरवाही के लिए एक चिकित्सा पेशेवर पर मुकदमा चलाने से पहले, कुछ सीमाएँ हैं।

आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा एक अनुचित अभियोजन न केवल संबंधित चिकित्सा के लिए बड़े पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है

पेशेवर लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों में विश्वास की भावना भी पैदा नहीं करेंगे। "सामान्य अपवाद" शीर्षक वाले अध्याय में आने वाली आई. पी. सी. 3 की धारा 88 और ऊपर बताए गए विभिन्न दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा पेशेवरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक पाया गया, जिसके बाद इस न्यायालय द्वारा वन आधारित दिशानिर्देश जारी किए गए।

58. ललिता कुमारी के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

आई. पी. सी. 3 की धारा 154 के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा गया था। संविधान पीठ द्वारा उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता होगी। जैकब मैथ्यू में इस अदालत के फैसले पर ध्यान देते हुए, इस अदालत ने ललिता कुमारी के मामले में टिप्पणी की:

" अपवाद

115. हालाँकि, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि धारा 154

संहिता सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर एफ. आई. आर. के अनिवार्य पंजीकरण को स्वीकार करती है, फिर भी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां समय बीतने के साथ अपराधों की उत्पत्ति और नवीनता में परिवर्तन के कारण प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण डॉक्टरों की ओर से चिकित्सा लापरवाही से संबंधित आरोपों के मामले में है। मुकदमा चलाना अनुचित और असमान होगा

केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर चिकित्सा पेशेवर।

116. चिकित्सा लापरवाही के मामलों के संदर्भ में, जैकब में

मैथ्यू, यह इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एस. सी. सी पी. 35 , पैरा

51-52)

लापरवाही एक आवश्यक घटक है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह देखभाल और सावधानी की आवश्यकता पर जोर देना है। समाज; क्योंकि, चिकित्सा पेशा मनुष्यों को जो सेवा प्रदान करता है, वह शायद सबसे महान है, और इसलिए इसमें वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. है।

डॉक्टरों को तुच्छ या अन्यायपूर्ण अभियोजनों से बचाने की आवश्यकता है। कई शिकायतकर्ता चिकित्सा पेशेवर पर अनावश्यक या अन्यायपूर्ण मुआवजा निकालने के लिए दबाव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेना पसंद करते हैं। इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही से बचा जाना चाहिए।

भविष्य जो उन अपराधों के लिए डॉक्टरों के अभियोजन को नियंत्रित करता है जिनके लिए आपराधिक लापरवाही या आपराधिक लापरवाही है एक घटक। एक निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि शिकायतकर्ता जल्दबाजी के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सक्षम डॉक्टर द्वारा दी गई विश्वसनीय राय के रूप में अदालत के समक्ष प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं करता है या

अभियुक्त चिकित्सक की ओर से लापरवाही। जांच अधिकारी को जल्दबाजी या लापरवाही या चूक के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, अधिमानत: किसी डॉक्टर से एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय प्राप्त करनी चाहिए। सरकारी सेवा, जो चिकित्सा अभ्यास की उस शाखा में योग्य है, जिनसे आम तौर पर बोलम परीक्षण को लागू करते हुए एक निष्पक्ष और निष्पक्ष राय देने की उम्मीद की जा सकती है।

अभियोजन पक्ष को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। 117. भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में, यह न्यायालय पी. सिराजुद्दीन बनाम. मद्रास राज्य ने लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता व्यक्त की।

118. इसी तरह, सी. बी. आई. बनाम. तपन कुमार सिंह ", इस अदालत ने केवल प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को मान्य किया है।

एससीसी 595: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 240 5 एस. सी. सी. 175: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1305 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आधार पर कि जिस समय पहली जानकारी प्राप्त होती है,

यह एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है।

119. इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रतिवादों को देखते हुए, केवल यह आवश्यक है कि पुलिस को दी गई जानकारी को संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करना चाहिए। ऐसे में एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर दी गई जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया जाता है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस एक तरह का अपराध कर सकती है। यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रारंभिक सत्यापन या जांच कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। लेकिन, यदि दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का उल्लेख है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में अन्य विचार प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे कि क्या जानकारी गलत तरीके से दी गई है, क्या जानकारी वास्तविक है, क्या जानकारी विश्वसनीय है, आदि। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें जाँच के दौरान सत्यापित किया जाना है

एफ. आई. आर. एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में, केवल यह देखा जाना चाहिए कि क्या दी गई जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। यदि जाँच के बाद दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर झूठी एफ़. आई. आर. दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाने का हमेशा विकल्प होता है।

इसके बाद, निर्णय आदेश 120.6 के अनुच्छेद 120 में निर्देश जारी किए गए जो इस प्रकार थे:

" निष्कर्ष/निर्देश

120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:

120.6 . किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जाती है

आयोजित किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

(क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(ख) वाणिज्यिक अपराध।

(ग) चिकित्सा लापरवाही के मामले वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

((घ) भ्रष्टाचार के मामले

(ई) ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चनें हैं, उदाहरण के लिए, कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।

देरी के लिए।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और सभी का संपूर्ण विवरण नहीं हैं।

ऐसी शर्तें जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

59. अब हम पी. सिराजुद्दीन बनाम में प्रासंगिक टिप्पणियों को देख सकते हैं। मद्रास राज्य, आदि, जो थे:

" 17. हमारे विचार में प्रथम सूचना रिपोर्ट रखने से पहले अपीलार्थी के खिलाफ अपनाई गई प्रक्रिया, हालांकि कानून द्वारा निषिद्ध शर्तों में नहीं थी, इतनी अभूतपूर्व और अपमानजनक थी कि

न्याय और निष्पक्षता की भावना को आघात पहुँचाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कब

अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति से लाभ और जिसे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार कहा जाता था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि उक्त व्यक्ति और मुख्यमंत्री के बीच संबंध, यदि कोई हो, इतने दूर थे कि संभवतः यह उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था और हम एक ही विचार के हैं। इससे पहले कि कोई लोक सेवक, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, सार्वजनिक रूप से बेईमानी के कृत्यों का आरोप लगाया जाता है जो इस मामले में आरोप लगाए गए प्रकार के गंभीर दुराचार या कदाचार के बराबर है और उसके खिलाफ पहली जानकारी दर्ज की जाती है, एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आरोपों की कुछ उपयुक्त प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट दर्ज करना, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो अपीलार्थी की तरह एक विभाग में शीर्ष पद पर था, भले ही आधारहीन हो, न केवल विशेष रूप से अधिकारी को बल्कि

सामान्य रूप से उस विभाग को भी अपूरणीय नुकसान पहुंचाएगा जिससे वह संबंधित था। अगर सरकार ने एक सतर्कता और विरोधी दल की स्थापना की होती

भ्रष्टाचार विभाग जैसा कि मद्रास राज्य में किया गया था और

उक्त विभाग को इस तरह की पूछताछ का काम सौंपा गया था, कोई अपवाद इस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए नहीं लिया जा सकता है।

लेकिन ऐसी किसी भी जांच को निष्पक्ष और उचित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। पूछताछ करने वाले अधिकारी को उस व्यक्ति के अपराध के किसी भी पूर्वकल्पित विचार के तहत कार्य नहीं करना चाहिए जिसके आचरण की जांच की जा रही थी या जांच को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कोई निष्कर्ष निकल सके।

कि वह संदिग्ध वैधता या मंजूरी वाले उपायों को अपनाकर उक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर आमादा था। अपनाए गए साधन कम से कम लक्षय तक पहुँचने के लिए त्रुटिहीन होने चाहिए। एक के खिलाफ सामान्य विभागीय कार्यवाही में

अपराध के आरोप में सरकारी कर्मचारी, आरोप पत्र जारी करने से पहले सामान्य प्रथा किसी अधिकारी के लिए है

मामले में शामिल व्यक्तियों के बयानों को हटा दें और उन दस्तावेजों की जांच करें जिनका संबंधित मुद्दे से संबंध है। इसके बाद ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है और पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की जाती है। जब जांच यह पता लगाने के उद्देश्य से की जानी है कि क्या आपराधिक कार्यवाही को उसके दायरे में बहाल किया जाना है, तो यह उन व्यक्तियों की जांच तक सीमित होना चाहिए जिन्हें अपराधी अधिकारी के मामलों की जानकारी है और यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिकारी के अपराध का प्रथम दृष्टया सबूत है। इसके बाद देश के सामान्य कानून को अपना काम करना चाहिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में आगे की जांच शुरू की जानी चाहिए।

21. हमारे विचार में पूछताछ अधिकारी ने इतने उत्साह और जोश के साथ जांच को आगे बढ़ाया कि उन्होंने उन व्यक्तियों के रूप में भी पूछताछ की और बयानों को हटा दिया, जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने पूछताछ शुरू होने से बहुत पहले अपीलार्थी को मामूली राशि के भोजन की वस्तुएं प्रदान की थीं। हलफनामों में प्रकट की गई जाँच की पूरी प्रक्रिया अपीलार्थी के अपराध के कुछ पूर्व-निर्धारण का

संकेत देती है। पूछताछ करने वाला अधिकारी एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी था और यह आश्चर्य की बात है कि केवल इसलिए कि वह तकनीकी रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, उसने जानबूझकर अनदेखी की या जानबूझकर

उक्त अध्याय में निहित जाँच की सीमाओं को पार किया। उन्होंने कई व्यक्तियों के आत्म-दोषपूर्ण बयान दर्ज किए और न केवल स्पष्ट रूप से वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. के साथ उनके हस्ताक्षर किए।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

उन्हें उन लोगों तक सीमित करने का विचार लेकिन उनमें से कम से कम दो को प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की लंबाई तक चला गया

उनके अपने कुकर्मों के बुरे प्रभाव, जैसा कि दर्ज किया गया है। यह कहा गया था कि बयानों पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रमाण पत्र दिए गए थे। यह विश्वास करना मुश्किल है कि लिखित प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मौखिक आश्वासन देने से पहले बयान दिए जा सकते थे। इसमें बहुत कम संदेह हो सकता है कि जो लोग

जिन्हें ऐसी प्रतिरक्षा दी गई थी, उन्होंने भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रलोभन, धमकी या वादे के तहत खुद को और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए बयान दिए थे।

पैराग्राफ 17 के बयान में निश्चित रूप से एक लोक सेवक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता की बात की गई थी।

60. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने यह प्रस्तुत करने के लिए ललिता कुमार के पैराग्राफ 120.6 पर दृढ़ता से भरोसा किया कि

जिन मामलों में प्रारंभिक जांच पर संभवतः जोर दिया जा सकता था, उनकी श्रेणी इस न्यायालय द्वारा विस्तृत की गई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस तरह का वर्गीकरण केवल उदाहरणात्मक था और उन सभी शर्तों का संपूर्ण नहीं था जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि

चिकित्सा पेशेवरों और पत्रकारों के बीच मजबूत समानता और बाद वाले भी कुछ सुरक्षा उपायों और सुरक्षा के हकदार थे; कि पत्रकार भी सामान्य रूप से जनता को शिक्षित करने और बदलने का कार्य करेंगे और इस तरह उन्हें एक वर्ग के रूप में भी इसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

दूसरी ओर, श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत संघ बनाम में हाल के दो फैसलों पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य और अन्य "और मानव के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच में

अधिकार और एक अन्य वी। भारत संघ, विधि और न्याय मंत्रालय और इस न्यायालय के अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए, जहां जैकब मैथ्यू 4 के मामले में जारी किए गए निर्देशों के समान निर्देश स्वीकार नहीं किए गए थे।

61. राजेश शर्मा और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 74 इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें हम में से एक, ललित, जे. एक पक्षकार थे) ने उन मामलों में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जहां कथित अपराध आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय था। 72 (2020) 4 एस. सी. सी. 761

73 (2018) 10 एस. सी. सी. 443

74 (2018) 10 एससीसी 472 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 19. इस प्रकार, पूरे मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम निम्नलिखित निर्देश देना उचित समझते हैं:

19.1 प्रत्येक जिले में जिला विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा एक या अधिक परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अधिमानतः तीन सदस्य हों। ऐसी समितियों के गठन और कामकाज की समीक्षा समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है जो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। 19.2 . समितियों का गठन पैरालिगल स्वयंसेवकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/काम करने वाली पत्नियों से किया जा सकता है।

अधिकारी/अन्य नागरिक जो उपयुक्त और इच्छुक पाए जा सकते हैं।

19.3 . समिति के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा।

19.4 . धारा 498-ए के तहत पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत को ऐसे व्यक्ति द्वारा संदर्भित किया जाना चाहिए और उस पर गौर किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित संचार। 19.5 . ऐसी समिति की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को दी जानी चाहिए जिसके द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत भेजी जाती है।

19.6 . समिति तथ्यात्मक पहलुओं और मामले में अपनी राय के बारे में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट दे सकती है।

19.8 . रिपोर्ट पर जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है। 19.9 . समिति के सदस्यों को ऐसा बुनियादी न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिसे समय-समय पर कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक माना जा सके।

19.10 . समिति के सदस्यों को ऐसा दिया जा सकता है -

मानदेय को व्यवहार्य माना जा सकता है।

19.11 . जिला और सत्र न्यायाधीश के लिए यह खुला रहेगा कि वह जहां भी आवश्यक और उचित समझे, लागत निधि का उपयोग कर सकें।

वी. आई. एन. ओ. डी. ए. वी. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

19.12 . धारा 498-ए और अन्य संबंधित अपराधों के तहत शिकायतों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस तरह के पदनाम आज से एक महीने के भीतर बनाए जा सकते हैं। ऐसे नामित अधिकारी को ऐसी अवधि (एक सप्ताह से कम नहीं) के लिए प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता हो सकती है जिसे उचित माना जाए। प्रशिक्षण आज से चार महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।

19.13 जिन मामलों में कोई समझौता हो जाता है, वहां कार्यवाही का निपटारा करने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश या जिले में उनके द्वारा नामित किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए खुला रहेगा।

यदि विवाद मुख्य रूप से वैवाहिक कलह से संबंधित है तो आपराधिक मामले को बंद करना शामिल है। 19.14 यदि लोक अभियोजक/शिकायतकर्ता को कम से कम एक स्पष्ट दिन के नोटिस के साथ जमानत आवेदन दायर किया जाता है, तो उसी दिन यथासंभव उस पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि पत्नी/नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण या अन्य अधिकारों की अन्यथा रक्षा की जा सकती है तो विवादित दहेज वस्तुओं की वसूली अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत मामलों से निपटने में, व्यक्तिगत भूमिकाएं, आरोपों की प्रथम दृष्टया सच्चाई, आगे की गिरफ्तारी/हिरासत की आवश्यकता और न्याय के हित को सावधानीपूर्वक तौला जाना चाहिए।

19.15 . सामान्यतः भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना नियमित नहीं होना चाहिए।

19.16 . वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी संबंधित मामलों को जोड़ने के लिए जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित एक नामित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए यह खुला रहेगा ताकि उस अदालत द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके जिसे ऐसे सभी मामले सौंपे गए हैं।

19.17 . परिवार के सभी सदस्यों और विशेष रूप से बाहरी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है और निचली अदालत को मुकदमे की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति या अनुमति उपस्थिति से छूट देनी चाहिए।

19.18 . ये निर्देश मूर्त शारीरिक चोटों या मृत्यु से जुड़े अपराधों पर लागू नहीं होंगे। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार निर्देश सं. 19.4 में प्रत्येक के संदर्भ पर विचार किया गया था।

एक समिति को आई. पी. सी. 3 की धारा 498ए के तहत शिकायत और यह केवल था

समिति की रिपोर्ट के बाद, यदि गिरफ्तारी की जा सकती है। निर्देश 19.12 के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि आई. पी. सी. 3 की धारा 499ए के तहत सभी शिकायतों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जाए। ये निर्देश जारी करते समय, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अर्नेश कुमार बनाम के निर्णय पर भरोसा किया था। बिहार राज्य "साथ ही ललिता कुमारी में निर्णय"।

62. राजेश शर्मा में निर्णय की शुद्धता और

सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अन्य 72 से पूछताछ की गई और एक अन्य v. भारत संघ, विधि और न्याय मंत्रालय और अन्य। इस न्यायालय ने अपने अनुच्छेद 33 में ललिता कुमारिस में निर्णय के अनुच्छेद 120.6 को संदर्भित निर्णय

और उसके बाद निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

" 37. उपरोक्त अनुच्छेदों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि न्यायालय ने निष्पक्ष प्रक्रिया और व्यवहार्यता का सहारा लिया है

प्रावधान ताकि कोई अन्याय और अनुचितता न हो

इस तरह के निर्देश जारी किए। दिशाओं के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि न्यायालय ने परिवार कल्याण के गठन का निर्देश दिया है

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा समितियाँ और

समितियों और उनके लिए आगे की कार्रवाई, जैसा कि हम पाते हैं, कोड से परे और वही वास्तव में किसी से प्रवाहित नहीं होता है

संहिता का प्रावधान। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा होना ही चाहिए। किसी प्रावधान का न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित कार्यकरण। विधायिका में

उसके विवेक ने आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अपराध किया है।

संज्ञेय और गैर-जमानतीय। जांच में गलती है

एजेंसी जो कभी-कभी बिना आवेदन के कार्रवाई में कूदती है

दिमाग। अर्नेश कुमार 73 में जारी किए गए निर्देश अनुरूप हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 41 में निहित प्रावधानों के साथ

-

कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ", और डी. के. बसु बनाम। W.B.78 की स्थिति है संहिता के ढांचे और इसकी शक्ति के भीतर

75 (2014) 8 एस. सी. सी. 273 76 (2018) 10 एस. सी. सी. 443 विनॉड डुआ बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

जाँच एजेंसी की पदानुक्रमित प्रणाली में अधिकारियों का पर्यवेक्षण। उद्देश्य यह देखना रहा है कि

जाँच एजेंसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती है और लोगों को अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं करती है।

38. राजेश शर्मा में एक तीसरी एजेंसी की शुरुआत की गई है।

जिसका संहिता से कोई लेना-देना नहीं है और इसके अलावा,

समितियों को विफल रिपोर्ट का सुझाव देने का अधिकार दिया गया है

जिसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। बाद में किसी मामले को निपटाने के निर्देश

यह पंजीकृत होना कानून की सही अभिव्यक्ति नहीं है। एक अपराधी

ऐसी कार्यवाही जो शमनीय नहीं है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द किया जा सकता है। जब समझौता होता है, तो दोनों पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय, याचिका के प्रामाणिक होने पर विचार करते हुए, इसे रद्द कर सकता है। शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। इस संबंध में, हम तीन-न्यायाधीशों की पीठ के एक अंश को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

ज्ञान सिंह बनाम। पंजाब राज्य ", उक्त मामले में, यह है

मान लिया कि:

आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ. आई. आर. को रद्द करने की मामलों की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या अपराधों के जघन्य और गंभीर अपराध जैसे

हत्या, बलात्कार, डकैती आदि को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों या उसमें काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता।

4) 4 एससीसी 260

-7) 1 एस. सी. सी. 416

2) 10 एससीसी 303

[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद का होना, विशेष रूप से रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खड़ा है। वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह और अत्यधिक अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने के कारण।

39. हालांकि राजेश शर्मा "ज्ञान सिंह पर ध्यान देते हैं", फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे एक अलग तरीके से लागू किया है। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या ये निर्देश व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा जारी किए जा सकते थे। इस न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाते हुए कुछ मामलों में कानून के अभाव में निर्देश जारी किए हैं -

अर्थात्, लक्ष्मी कांत पांडे बनाम। भारत संघ, विशाखा बनाम। राजस्थान राज्य 3 1 और सामान्य कारण v. भारत संघ 3 2, और कुछ अन्य। प्राप्ति तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, इस क्षेत्र में वैधानिक प्रावधान और निर्णय हैं और इसलिए, एक समिति के गठन से संबंधित निर्देश और

उक्त समिति को शक्ति प्रदान करना गलत है। हालांकि, रेड कॉर्नर नोटिस, मामलों को एक साथ जोड़ने और विवादित दहेज की वस्तुओं की वसूली से संबंधित निर्देश अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, एक पर खड़ा होगा

अलग पैर। वे प्रकृति में सुरक्षात्मक हैं और कोड के साथ एक असंगत नोट ध्वनि नहीं करते हैं। जब जमानत के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, तो उचित शर्तें लागू करनी होती हैं, लेकिन विवादित दहेज वस्तुओं की वसूली आईपीसी की धारा 498-ए के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को अस्वीकार करते समय अपने आप में एक आधार नहीं हो सकती है। कि

4) 2 एससीसी 244 + 7) 6 एससीसी 241

8) 5 एस. सी. सी. 1 VINOD DUA v. भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

उस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें निर्देश 19.14 और 19.15 में कुछ भी गलत नहीं मिलता है। जहाँ तक निर्देश 19.16 और 19.17 का संबंध है, एक आवेदन को करना होगा जिस स्तर पर छूट मांगी गई है, उसके आधार पर या तो धारा 205 सी. आर. पी. सी. या धारा 317 सी. आर. पी. सी. के तहत दायर किया जाए।

42. उपरोक्त विश्लेषण में, परिवार कल्याण समिति और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा इसके गठन से संबंधित निर्देशों और समिति को प्रदत्त शक्ति की घोषणा करते समय अनुमति नहीं है। इसलिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि जांच अधिकारी सावधान रहें और जोगिंदर कुमार, डी. के. बसु, ललिता कुमारिस और अर्नेश कुमार में बताए गए सिद्धांतों से निर्देशित रहें। निर्देश देना भी उचित होगा।

प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अपराधों के मामलों की जांच के प्रभारी जांच अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए।

43. उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए, समग्र रूप से पैरा 19.1 से 19.11 में निहित निर्देश वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं हैं और पैरा 19.12 में जारी किए गए निर्देश को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: ऊपर दी गई दिशा के साथ संयोजन।

44. निर्देश 19.13 को इस हद तक संशोधित किया गया है कि यदि कोई समझौता हो जाता है, तो पक्षकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उच्च न्यायालय ज्ञान सिंह में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए ",

एक ही।

45. जहाँ तक निर्देशों 19.14,19.15,19.16 और 19.17 का संबंध है, वे हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

पैरा 39.

46. राजेश शर्मा में जारी निर्देशों में उपरोक्त संशोधनों के साथ, रिट याचिकाओं और आपराधिक अपील का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि 19.1 से 19.11 तक के निर्देश वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं थे, जबकि 19.12 से 19.17 तक के निर्देश उपयुक्त रूप से तय किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ (जिसके लिए हम में से एक अर्थात

ललित, जे. डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम में अपने निर्णय में एक पक्ष था। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 8 3 ने अनुसूचित मामले और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में शुरू किए गए अभियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए; ("अत्याचार अधिनियम", या "1989 अधिनियम", संक्षेप में):

" 79. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

79.1 . वर्तमान मामले में कार्यवाही प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

79.2 . अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो अत्याचार अधिनियम के तहत मामले

या जहाँ न्यायिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया पाई जाती है दुर्भावनापूर्ण लगता है। हम इस दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं

गुजरात उच्च न्यायालय ने पंकज डी. सुथार बनाम. गुजरात राज्य 4,

और एन. टी. देसाई बनाम गुजरात राज्य, और निर्णयों को स्पष्ट करें

एम. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय का। राम किशना बलोथिया86

9

और मंजू देवी बनाम। ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया 3 7;

79.3 . मामलों में गिरफ्तारी के कानून के दुरुपयोग को देखते हुए

अत्याचार अधिनियम के तहत, एक लोक सेवक की गिरफ्तारी केवल हो सकती है

नियुक्ति प्राधिकारी और गैर-सार्वजनिक प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद

एस. एस. पी. द्वारा अनुमोदन के बाद सेवक जिसे प्रदान किया जा सकता है

दर्ज किए गए कारणों के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो उपयुक्त मामले।

अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कारणों की जांच की जानी चाहिए।

79.4 . एक निर्दोष के झूठे निहितार्थ से बचने के लिए, एक प्रारंभिक यह पता लगाने के लिए संबंधित डीएसपी द्वारा जांच की जा सकती है।

क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत मामला बनाते हैं

और यह कि आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं।

79.5 . निर्देश 79.3 और 79.4 का कोई भी उल्लंघन कार्रवाई योग्य होगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अवमानना के माध्यम से।

79.6 . उपरोक्त दिशाएँ संभावित हैं।

83 (2018) 6 एससीसी 454

84 (1992) 1 गुज एलआर 405

85 (1997) 2 गुज एलआर 942

86 (1995) 3 एससीसी 221: 1995 एससीसी (सीआरआई) 439

87 (2017) 13 एससीसी 439: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 662 वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. बनाम।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

अपने निर्णय के दौरान, पीठ ने ललिता कुमारी 3 में निर्णय के अनुच्छेद 120.6 के साथ-साथ पी में निर्णय पर ध्यान दिया था।

सिराजुद्दीन "। पैराग्राफ 79.3 और 79.4 के निर्देशों के संदर्भ में, यह निर्देश दिया गया था कि एक लोक सेवक की गिरफ्तारी नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही की जा सकती है और एक गैर-लोक सेवक की गिरफ्तारी विशेष पुलिस अधीक्षक की मंजूरी के बाद ही की जा सकती है; कि गिरफ्तारी के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की हिरासत की अनुमति के लिए जांच की जा सकती है; और यह कि संबंधित डीएसपी द्वारा प्रारंभिक जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला बनाने वाले आरोप तुच्छ थे।

या प्रेरित। 64. भारत संघ ने डॉ. सुभाष में जारी निर्देशों की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए समीक्षा याचिका दायर की

काशीनाथ महाजन 3 2. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ बनाम में मामले पर विचार किया। महाराष्ट्र राज्य और अन्य "। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया:

" पुनः में - नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी

60. यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है और झूठा फंसाया जा सकता है, तो वह धारा 482 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जैसा कि राज्य में देखा गया है। उड़ीसा बनाम। देबेंद्र नाथ पाधी88।

61. ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देश जारी करते समय

अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण को अनिवार्य कर दिया गया है, यदि वह 1989 के अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोपी है। लोक सेवक को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की अनुमति की वैधानिक रूप से परिकल्पना नहीं की गई है; यह एक ऐसे क्षेत्र का अतिक्रमण है जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायिका के लिए आरक्षित। निर्देश एक विधायी रंग वाले जनादेश के बराबर है जो एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके लिए निर्धारित नहीं है अदालतें।

ऐसे मामले में केस डायरी को देखने का अधिकार जहां किसी ऐसे अपराध में अभियोजन के लिए इसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में हुआ। 1989 के अधिनियम के तहत हर मामले में लोक सेवक की गिरफ्तारी की मंजूरी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण से संपर्क करने में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। नियुक्ति प्राधिकारी को किए गए अपराध की जमीनी वास्तविकताओं के बारे में पता नहीं होना चाहिए और कभी-कभी जाँच की आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। अक्सर गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं की जा सकती है। इससे पहले कोई सामग्री नहीं हो सकती है

अनुमोदन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। यह तय करना कि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं, नियुक्ति प्राधिकरण का कार्य नहीं है, यह पूरी तरह से अतिरिक्त वैधानिक है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी का मानना है कि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया जाना है

1989 अधिनियम के प्रावधान और वैधानिक आधार के बिना है। 63. जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कई मामलों में विसंगत स्थिति पैदा हो सकती है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी का विचार है कि चूंकि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, तो पदधारी को गिरफ्तार नहीं किया जाना है, कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, एक लोक सेवक हो सकता है, यह सीआरपीसी के सामान्य कानून का प्रावधान नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के तहत गिरफ्तारी के मामले में लोक सेवक को ऐसा कोई वैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि वी. आई. एन. ओ. डी. यू. ए. वी. के तहत मामलों में इस तरह के अधिकार को लागू करना भेदभावपूर्ण होगा।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

1989 का अधिनियम। केवल आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के मामले में, कुछ अपराध किया गया प्रतीत होता है, उस मामले में, मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है और अन्यथा नहीं। यदि अधिनियम कर्तव्य के आधिकारिक निर्वहन के दायरे से बाहर है, तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं

है। 64. नियुक्ति प्राधिकारी संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध और पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के मामले में प्राथमिकी पर नहीं बैठ सकता है; यह कार्य नियुक्ति प्राधिकारी को प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी परिकल्पना दंड प्रक्रिया संहिता या 1989 के अधिनियम में नहीं की गई है। इस प्रकार, इस अधिकार को 1989 के अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है, यह हो सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की मंजूरी की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य, अव्यावहारिक है, इसके अलावा यह विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और सामान्य कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि सामान्य कानून के तहत ऐसे किसी अधिकार की परिकल्पना नहीं की गई है।

65. यह मानते हुए कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने की अनुमति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की स्थिति और बिगड़ जाएगी। यदि उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं दी जानी है,

आपराधिक जाँच में हस्तक्षेप करें। यदि गिरफ्तारी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है, तो अधिनियम का उद्देश्य ही विफल होने की संभावना है। विभिन्न प्रकार के जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। जाँच निर्दिष्ट समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, और न ही परीक्षण परिकल्पना के अनुसार पूरा किया जा सकता है। 1989 के अधिनियम में देरी दलित वर्ग की दुर्दशा को और बढ़ा देगी।

पुनः में - गैर-लोक सेवक के मामले में एसएसपी द्वारा गिरफ्तारी की मंजूरी

66. अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारी यह सुविचारित राय है कि गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की मंजूरी की आवश्यकता ऐसे मामले में आवश्यक नहीं है क्योंकि

भेदभावपूर्ण और अधिनियम के तहत परिकल्पित सुरक्षात्मक भेदभाव के खिलाफ। इसके अलावा, इस तरह के कोई दिशानिर्देश लागू नहीं हो सकते हैं।

जो विधायी हैं। जब अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी करनी होगी। किसी भी अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह किए बिना, इसे उनके विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो। अनुमोदन का अर्थ यह होगा कि यह भी आदेश दिया जा सकता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना है तो जांच कैसे पूरी की जा सकती है जब किसी पदधारी की गिरफ्तारी आवश्यक है, यह समझ में नहीं आता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी

की मंजूरी की ऐसी शर्त को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता था, इससे 1989 के तहत मामलों में देरी हो सकती है।

एक्ट करें।

पुनः में - मजिस्ट्रेट से आगे हिरासत की अनुमति देने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता

67. इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोक सेवक को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और

एस. एस. पी. की मंजूरी के बाद एक गैर-लोक सेवक। अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों पर विचार किया जाना चाहिए

आगे की हिरासत। यदि मंजूरी नहीं दी गई है, तो यह कवायद नहीं की गई है। जब अपराध 1989 के अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए कि गिरफ्तारी पर किसी भी अतिरिक्त बंधन की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह लोक सेवक हो या गैर-लोक सेवक। अन्यथा भी, चूंकि हमने प्राधिकरण/एसएसपी की नियुक्ति करके गिरफ्तारी की मंजूरी को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को दर्ज करने और जांच करने का निर्देश परिणामस्वरूप रद्द कर दिया जाता है।

68. यह निर्देश भी जारी किया गया है कि डीएसपी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं, और यह कि आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं। यदि एक संज्ञेय अपराध बनाया जाता है, तो प्राथमिकी पूरी तरह से दर्ज की जानी चाहिए, और कोई प्रारंभिक जांच नहीं होनी चाहिए।

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

जैसा कि 'ललिता कुमारी' में कहा गया है, इसे संविधान पीठ द्वारा बनाया जाना है। प्रारंभिक जांच के लिए या एससी/एसटी अधिनियम के तहत दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस तरह का निर्देश है - अस्वीकार्य। इसके अलावा, इसे डी. एस. पी. रैंक के व्यक्ति द्वारा संचालित करने का आदेश दिया जाता है। प्रारंभिक जांच की इस तरह की कवायद के लिए भारत संघ के रुख के अनुसार आवश्यक डीएसपी की संख्या उपलब्ध नहीं है। निर्देश का मतलब यह होगा कि अगर किसी शिकायत को संज्ञेय अपराध भी माना जाए, तो भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।

प्रारंभिक जांच होने तक पंजीकृत। यदि प्रारंभिक जाँच निष्कर्ष निकालती है कि आरोप झूठे या प्रेरित हैं, तो एफ़. आई. आर. दर्ज नहीं की जानी चाहिए, ऐसे मामले में अदालत में अंतिम रिपोर्ट कैसे दायर की जानी चाहिए। निर्देश 79.4 अन्य कारणों से जीवित नहीं रह सकता क्योंकि यह अनुसूचित जातियों के सदस्यों को रखता है और उच्च जाति के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में प्रक्रिया के मामले में नुकसानदेह स्थिति में अनुसूचित जनजातियों के लिए बाद में ऐसी कोई प्रारंभिक

जांच आवश्यक नहीं है, इस मामले को देखते हुए प्रारंभिक जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

अत्याचार अधिनियम, 1989 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए जांच। 70. हमें संदेह नहीं है कि निर्देश विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं और सुरक्षात्मक की अवधारणा के खिलाफ हैं।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत दलित वर्गों के पक्ष में भेदभाव और मापदंडों के भीतर भी अस्वीकार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित। परिणामस्वरूप, हमारी यह सुविचारित राय है कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश 79.3 और 79.4 वापस लिए जाने के योग्य हैं और इसके परिणामस्वरूप हम मानते हैं कि निर्देश 79.5 भी गायब हो जाता है। पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी जाती है ऊपर वर्णित सीमा "।

65. रिट याचिका में दूसरी प्रार्थना के संबंध में प्रस्तुतियों पर इन निर्णयों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए।66. जैकब मैथ्यू में, दिशानिर्देश आई. पी. सी. 3 की धारा 88 पर ध्यान देने के बाद जारी किए गए थे जो "सामान्य अपवाद" शीर्षक वाले अध्याय में [2021] 12 एस. सी. आर. के रूप में आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह न्यायालय। वास्तव में, स्वीकृत मानदंड-चाहे वह सी. बी. आई. नियमावली के रूप में हो या समान उपकरणों के रूप में-प्रारंभिक जांच पर जोर देना है। एक. यह भी कहा जा सकता है कि एक लोक सेवक को संरक्षण संहिता की धारा 197 जैसे कुछ प्रावधानों के तहत अंतर्निहित सिद्धांत है और इस तरह वैधानिक प्रावधानों में कुछ आधार है।

दूसरी ओर, राजेश शर्मा 13 में जारी किए गए निर्देश (19.1 से 19.11) वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं पाए गए।

और इस तरह इस न्यायालय की बड़ी पीठ के निर्णय के अनुमोदन के साथ नहीं मिला। इसी तरह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन 82 में प्रारंभिक जांच के संबंध में जारी किए गए निर्देश वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं पाए गए। रिट याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना यह है कि समिति का गठन पूरी तरह से वैधानिक ढांचे के दायरे से बाहर हो। एक समिति के गठन को निर्देशित करने की इसी तरह की कवायद ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों में वैधानिक ढांचे के साथ असंगत पाई गई। हम इस बात से अवगत हैं कि जैकब मैथ्यू 4 में जारी किए गए निर्देशों को ललिता कुमारिस में एक संविधान पीठ द्वारा मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जैकब मैथ्यू में जारी किए गए दिशा-निर्देश पूरी तरह से मानकों पर आधारित हैं।

भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 70 और मानव अधिकार और अन्य बनाम भारत संघ, विधि और न्याय मंत्रालय और अन्य के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के बाद के निर्णयों से अलग। कोई भी राहत प्रदान की गई VINOD DUA v.

भारत संघ और अन्य। [उदय उमेश ललित, जे।]

67. हालाँकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह 2 के संदर्भ में सुरक्षा का हकदार होगा, जैसा कि प्रत्येक अभियोजन पक्ष के तहत है। आई. पी. सी. 3 की धारा 124 ए और 505, जैसा कि केदार नाथ सिंह 2 में वर्णित है, उक्त धाराओं के दायरे और दायरे के साथ पूरी तरह से संगत होनी चाहिए।

68. निष्कर्षतः

आई.

हम कुमारसैन, जिला पुलिस स्टेशन में दर्ज 6.5.2020 दिनांकित No.0053 प्राथमिकी को रद्द करते हैं। शिमला, हिमाचल

प्रदेश, याचिकाकर्ता के खिलाफ;

लेकिन इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दें कि एक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए

ii.

कम से कम 10 वर्ष की स्थिति के साथ मीडिया से संबंधित व्यक्ति जब तक कि समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

69. लिखित याचिका की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी गई है।

लिखित याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है।

निधि जैन